पंचम माला, खंड 36, अंक 16, बुधवार, 13 मार्च 1974/22 फाल्गुन, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVI, No. 16, Wednesday, March 13, 1974/Phalguna 22, 1895(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित

संस्करण

पंचम माला

खण्ड 36

अंक 16-20

13-19 मार्च

1974

P. L.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—119LSS/74

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, बुधवार, 13 मार्च, 1974/22 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 16, Wednesday, 13 March, 1974/22 Phalguna, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रा० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
281.	'सत्यमेव जयते' शब्दों का राष्ट्र चिह्न के नीचे अंकित किया जाना	Inscription of Satyameva Jayate below the National Emblem	1—4
284.	तकनीशनों और उद्योगपतियों को भारत में कागज संयंत्रों के निर्माण के सीमित अवसर	Limited Scope to build paper Plants in India by Technicians and Industrialists	4—6
285.	गुजरात में बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशिनों को सहायता	Assistance to Unemployment Engineers and Technicians in Gujarat	7—9
286.	योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास द्वारा दिए गए त्याग-पत्र का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Resignation Tendered by Dr. B. S. Minhas, Member Planning Commission	9—11
287.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए अलग 'सेल'	Separate Cells for Recruitment of S.C. and S.T. Candidates	11—13
288.	'प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया' को पब्लिक निगम में बदलना	Conversion of Press Trust of India into a Public Corporation	13—15
289.	कपड़ा उद्योग के विकास की गति बढ़ाने वाले निकाय के रूप में राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textile Corporation as Pace Setter in Textile Industry	15

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign †marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रा० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अल्प सूचना प्रश्न		Short Notice Question	
1.	अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of News print	15—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर		Written Answers to Question	
282.	वायु दूषित करने वाले उद्योगों पर 'कनजेशन' कर लगाना	Congestion Tax on Pollution generating Industries · ·	20
283.	अखबारी कागज की कमी के परिणाम-स्वरूप दैनिक समाचार पत्रों द्वारा पृष्ठों की संख्या घटाना	Curtailment of the number of pages by daily newspapers due to newsprint shortage · ·	20—21
290.	हैदराबाद में टेलीविजन स्टूडियो	T.V. Studio in Hyderabad	21
291.	रायपुर सिटी में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Raipur City · · · · ·	21
292.	पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद उनमें उत्पादन	Production in Textile Mills of West Bengal after take over by National Textile Corporation ·	21
293.	निर्धन हरिजनों के लिए विशेष योजनाएं	Special Schemes for Poor Harijans · · · · ·	21—22
295.	नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में मैनेजर की नियुक्ति	Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	22
296.	टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट्स की चोरी के बारे में व्यापार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शिकायत का दर्ज किया जाना	Registration of Complaint by Officials of Trade Development Authority re : theft of Telephone Instruments · · · ·	22—23
297.	योजना-लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना	Instilation of sense of Responsibility among Government Officials for Implementing Plan Targets ·	23
298.	नेपा मिल्स का विस्तार	Expansion of Nepa Mills	23
299.	राज्यों की राजधानियों में तारों का शीघ्र वितरण	Quick Delivery of Telegrams in State Capitals · · · ·	23—24
300.	स्वर्गीय रासबिहारी बोस की अस्थियां वापिस लाना	Bringing Back the Ashes of Late Reshbehari Bose · · ·	24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2805.	अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों तथा पोस्ट कार्डों की बिक्री से लाभ	Profit on sale of Inland Letters, Envelops and Post Cards	24—25
2806.	दिल्ली में वायु प्रदूषण	Air Pollution in Delhi	25
2807.	तुलु तथा कोंकण बोलने वाले व्यक्ति	Tulu and Konkani Speaking Persons	25
2808.	राज्यों में आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना	Plan for Development of Tribal and Backward areas in the States	26
2809.	भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज के एक महिला कर्मचारी का गायब हो जाना	Disappearance of a lady employee of Bhagalpur Telephone Exchange	26
2810.	बच्चों के लिए अच्छी फिल्मों का उत्पादन	Production of Good Films for Children	26—27
2811.	समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the Prices of Newspapers	27—28
2812.	मध्य प्रदेश से औद्योगिक लायसेंसों के लिए आवेदन-पत्र	Applications from M.P. for Industrial Licences	28
2813.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकानों का आवंटन	Allotment of Houses to S.C. and S.T. Persons in Madhya Pradesh.	28
2814.	आयातित औद्योगिक कच्चे माल की कमी	Shortage of Imported Industrial Raw Material	28—29
2815.	जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी पारपत्र धारी पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals with Pakistani Passports staying in Jammu and Kashmir	29
2816.	आंध्र प्रदेश की बीमार कपड़ा मिलों में कंट्रोलर की नियुक्ति	Appointment of Controller in Sick Textile Mills, Andhra Pradesh	29
2817.	फिरोजपुर जिले के मुक्तसर स्थान पर भारतीय संविधान की प्रति का जलाया जाना	Burning of a Copy of Indian Constitution at Muktsar in Ferozpur District	30
2818.	बिहार में 'लांग टर्म वीजा' पर पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या	Number of Pak Nationals on long Term Visas in Bihar	30
2819.	मंत्रियों द्वारा दौरे	Tours performed by Ministers	30
2820.	मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र के लिए उपकरणों का आयात	Import of Equipment for Madras Atomic Power Plant	30—31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2821.	तरल प्रणोदक एकक स्थापित करने के लिये स्थान	Location of Liquid Propellant Plant	31
2822.	वाई० एम० सी० ए० होस्टल, दिल्ली के निवासियों से शिकायतें	Complaints from the Residents of YMCA Hostel, Delhi . .	31
2823.	गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु-संगणक बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Mini Computer Manufacturing Industries in the Private Sector . . .	31-32
2824.	पालघाट में उपकरण बनाने का कारखाना	Instrumentation Unit in Palghat .	32-33
2825.	नारियल जटा विकास योजना	Coir Development Scheme .	33
2826.	हिन्द साइकल्ज़ की कार्यकारी पूंजी	Working Capital of Hind Cycles .	33
2827.	बिहार में डाक-घरों में सार्वजनिक टेलीफोन	P.C. Os in Post Offices in Bihar	34
2828.	बारडोली, सूरत में किसान-आन्दोलन	Farmers Movement in Bardoli Surat	34
2829.	मछलियों के परिरक्षण के लिए आइसोटोपों का प्रयोग	Use of Isotopes for preservation of Fish	34
2830.	शिक्षित बेरोजगारों के लिए द्रुत कार्यक्रम के अधीन रोजगार अवसरों का पैदा करना	Creation of Jobs under Crash Programme for Educated Unemployed	35-36
2831.	विद्रोही मिज़ो नेता लाल डेंगा	Rebel Mizo Leader, Lal Denga	36-37
2832.	तमिलनाड राज्य सरकार को आवास के लिए नियतन	Allocation for Housing to State Government of Tamil Nadu .	37
2833.	पांचवीं योजना के दौरान वन नीति के बारे में योजना आयोग का नोट	Note of Planning Commission on Forest Policy during Fifth Plan .	37
2834.	अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त के आदेशों पर गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय	Gujarat High Court's Judgement on the orders of Police Commissioner, Ahmedabad . . .	38
2835.	पेट्रोल की खपत में किफायत के बारे में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की को ओर से सुझाव	Suggestions from IIP on Economic in consumption of Petrol . .	38-40
2836.	ईंधन की बचत के लिए मोटरगाड़ियों की अधिकतम गति नियत करने का प्रस्ताव	Proposal to Limit Speed of Automobiles to save Fuel . . .	40
2837.	कोचीन में और इसके आसपास औद्योगिक दूषण	Industrial Pollution in and around Cochin	40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2838.	भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास पर आधारित योजना बनाना	Research and Development Base Plan for Cement Industry prepared by Cement Research Institute of India, New Delhi ·	40-41
2839.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए अधिकरण की स्थापना	Setting up of an agency to recruit Class IV Staff · · ·	41
2840.	कोयले के संसाधनों का विकास	Development of Coal resources	41-42
2841.	महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आरक्षित करना	Reservation of jobs for local people in Maharashtra · · ·	42
2842.	गुजरात में पुलिस ज्यादतियों की न्यायिक जांच	Judicial probe into Police excesses in Gujarat · · · · ·	42-43
2843.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए नियत धनराशि	Allocation for providing free eudcation to Scheduled Tribes in M.P.	43
2844.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के के लिए व्यवस्था	Provision for welfare of Scheduled Tribes in the Fifth Five Year Plan · · · · · ·	43-44
2845.	केंद्रीय भवन संस्थान, रुड़की द्वारा ग्रामीण मकानों के निर्माण के संबंध में विकसित तकनीक	Technique developed by Central Building Research Institute, Roorkee for building rural houses ·	44
2846.	स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस के नाम पर मौलिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना	Setting up of fundamental Research Institute in the name of late Prof. S.N. Bose · · · · ·	44-45
2847.	गौहाटी में नमक की कीमत	Price of salt in Gauhati	45
2848.	केरल में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों के राष्ट्रीकरण का अध्यादेश	Ordinance on nationalisation of foreign owned plantations in Kerala . · · · · ·	46
2850.	मणिपुरी तथा भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की माँग	Demand for inclusion of Manipur and Bhojpuri languages in Eighth Scheduled of the Constitution ·	46
2851.	सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाली पत्रिकायें	Names of Journals to whom advertisments were given · · ·	46-47
2852.	पुर्तगाल में लम्बी अवधि तक कारावास भुगतने वाले स्वाधीनता सेनानी	Freedom fighters who served long term imprisonment in Portugal ·	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2853.	छोटे अखबारों को बड़े अखबारों द्वारा प्रयुक्त अखबारी कागज उपलब्ध करने का प्रस्ताव	Proposal to make available to small newspapers the Newsprint used by big newspapers . . .	47
2854.	महाराष्ट्र-कर्नाटक केरल सीमा विवाद	Maharashtra Karnataka Kerala boundry dispute . . .	47-48
2855.	ओरियन्टल पेपर मिल्स द्वारा कीनिया में अखबारी कागज संयंत्र लगाना	Setting up of newsprint plant in Kenya by Oriental Paper Mills .	48
2856.	पाँचवी योजना में इंजीनियरों की बेरोजगारी दूर करना	Removal of unemployment among engineers during Fifth Plan .	48-49
2857.	गुजरात में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of backward areas in Gujarat	49
2858.	पाँचवी योजना में बचत में वृद्धि	Stepping up of savings during Fifth Plan	49
2859.	पाँचवीं योजना में टेलीवीजन का विस्तार	Expansion of T.V. net work in Fifth Plan	50
2860.	आत्महत्या के मामले	Cases of Suicides . .	50
2861.	सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामले	Court cases against Central Government Employees for September, 1968 strike	50-51
2862.	मंत्रियों की सुरक्षा पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on security of Ministers	51
2863.	भारतीय प्रेस परिषद् का कार्यकरण	Functioning of Press Council of India	51-52
2864.	तकनीकी जानकारी का विदेशों से मंगाया जाना	Import of Technical know how	52
2865.	दुर्गापुर में सीमेंट के कारखाने की स्थापना के लिये बिड़ला बन्धुओं को आशय-पत्र जारी किया जाना	Issue of letter of intent to Birlas for setting up cement plant at Durgapur	52
2866.	दिल्ली में डाक का कथित देर से बाँटा जाना	Alleged late delivery of Dak in Delhi	52-53
2867.	कोयला तथा तेल संकट पर काबू पाने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा सुझाये गये उपाय	Measures suggested by National Committee on Science and Technology to overcome coal and oil crisis	53
2868.	पुलिस बल से अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी	Minority and Scheduled Caste and Tribe employees in Police Force .	53
2869.	प्रशासन में भ्रष्टाचार	Corruption in Administration	54
2870.	उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद	U.P. Haryana Boundary Dispute .	54-55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2871.	समाचारपत्रों में विज्ञापनों और समाचारों का अनुपात निश्चित करने सम्बंधी विधान	Legislation for fixing the proportion of Advertisement and news in the Newspaper . .	55
2872.	आँध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि की समीक्षा	Review of the period of President's Rule in Andhra Pradesh . .	55
2873.	मुंगेर सदर और बाँका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Opening of P.C. Os. in Monghyr Sadar and Banka Parliamentary Constituencies	56
2874.	कोयले के अभाव में सीमेंट के कारखानों के भट्ठों का बंद होना ।	Closure of Kilns in Cement Factories for want of coal . . .	56-58
2875.	सेवा निवृत आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of retired ICS and IAS Officers.	58
2876.	गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against former Ministers of Gujarat . .	58
2877.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों द्वारा आँदोलन किये जाने पर थुम्बा स्थित एककों को बंद कर देने के आशय का वक्तब्य	Statement made by Chairman Indian Space Research Organisation to close down Units at Thumba if Workers resort to agitation .	58-59
2878.	जासूसी करने के अभियोग में पकड़े गये भारतीय तथा विदेशी नागरिक	Indian and Foreign Citizens apprehended for espionage . . .	59
2879.	वर्ष 1974–75 के लिये दिल्ली की वार्षिक योजना पुनः तैयार करना	Recasting of Annual Plan for Delhi for 1974-75 . . .	59
2880.	बड़ौदा में डाक-घर के जला दिये जाने का समाचार	Alleged burning of Post Office Baroda	59
2881.	हल्दिया, पश्चिम बंगाल, में परमाणु ऊर्जा संयंत्र	Atomic Power Plant at Haldia in West Bengal	60
2882.	'हीलियम संचय परियोजना' (प्रोजेक्ट आफ हीलियम कलेक्शन) के बारे में स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा सरकार को लिखा गया पत्र	Letter written by late Prof. S.N. Bose to Government on Project of Helium Collection . . .	60
2883.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वाली कथित विमान दुर्घटना के बारे में लार्ड वेवल की डायरी में उल्लेख	References in Lord Wavell's Diary about Reported plane crash involving Netaji Subhas Chandra Bose.	61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2884.	हमीरपुर डाक डिवीजन के साथ हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले को जोड़ना	Alignment of Bilaspur District of H.P. with Hamirpur Postal Division	61
2885.	दिल्ली में टेलीफोन लेने के इच्छुक लोगों की सूची	Waiting List of Telephone Connections in Delhi	61-62
2886.	डाक तथा तार विभाग में स्थानीय लोगों की भर्ती को प्रोत्साहन दिया जाना	Encouragement of Local Recruitment in P.& T. Department . .	62
2887.	पंजाब सर्किल में दसुया उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Dasuya Sub Post Office in Punjab Circle . .	62
2888.	नालागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज को कालका टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ना	Alignment of Nalagarh Telephone Exchange to Kalka Telephone Exchange	63
2889.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी के बारे में भारत हंगरी करार	Indo Hungarian Agreement on Science and Technology . .	63
2890.	दिल्ली की तीसहजारी अदालत में एक युवक की गोली मार कर की गई हत्या	Shooting down of a Youth in the Tishazari Court, Delhi . .	63
2891.	राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा	STD between State Capitals .	64
2892.	तकनीकी अर्हता वाले व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना	Absorption of Technically Qualified men in jobs	64
2893.	टेलीफोन की बाकाया राशि की वसूली	Collection of Telephone Arrears	65-66
2894.	पटना में सूचना और प्रसारण उप-मंत्री का वक्तव्य	Statement by the Deputy Minister of Information and Broadcasting in Patna	66-67
2895.	थुम्बा केंद्र से राकेट छोड़ने में हुई प्रगति	Progress in launching rockets from Thumba Station . . .	67
2896.	राकेट और उपग्रह छोड़ने के लिये श्री-हरिकोटा में परियोजनायें लगाना	Location of Projects of Sriharikcta for launching rockets and satellites	67-68
2897.	वर्ष 1974–75 में औद्योगिक विकास की दर	Rate of industrial Growth in 1974-75	68
2898.	सरकार द्वारा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना की जानकारी की उपेक्षा किये जाने पर इस प्रयोगशाला द्वारा चिंता व्यक्त किया जाना	Concern expressed by National Chemical Laboratory, Poona on neglect of the know how by Government	68-69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2899.	कुछ पार्टियों के समर्थकों की सेवाओं में नियुक्ति पर रोक	Ban on appointments in services of supporters of certain parties .	69
2900.	1000 से 2000 की आबादी वाले गाँवों में डाक घर	Post Offices in villages with a Population of 1000 to 2000 . .	69
2901.	तारों का साधारण डाक द्वारा भेजा जाना	Sending of Telegrams by ordinary Mail	69-70
2902.	राष्ट्रीय फिल्म निगम	National Film Corporation .	70
2903.	निर्धारित अवधि के अंतर्गत मशीनरी का निर्माण	Manufacture of machinery within a stipulated period . . .	70-71
2904.	नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी के यहाँ मंगाये जाने का विरोध	Import of foreign technology opposed by the staff of National Physical Laboratory, New Delhi	71
2905.	मनीपुर चुनाव में विदेशी पूंजी का प्रयोग	Inflow of foreign money in Manipur Poll	71
2906.	भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ	Activities of Christian Missionaries in North East regions of India .	72
2907.	कागज की कमी के कारण मध्य प्रदेश में पाठ्यपुस्तकों की कमी	Shortage of text books in M.P. due to shortage of Paper . . .	72
2908.	सेवा निवृत्ति आयु के बाद अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-employment of officers beyond the age of Superannuation . .	72-73
2909.	प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विद्रोही नागाओं का चीन भाग जाना	Rebel Nagas slipped out for training in China	73
2910.	त्रिपुरा और बंगला देश की बीच की सीमा का जासूसी का केंद्र बन जाना	Border between Tripura and Bangladesh as a spy centre . . .	74
2911.	दरभंगा में मिथिला प्रसारण केंद्र	Mithila Broadcasting Station at Darbhanga	74
2912.	फिल्म 'बाबी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग	Demand for ban on screening of Film 'Bobby'	74
2913.	फरीदाबाद (हरियाणा) में उद्योगों का बंद होना	Closure of Industries in Faridabad (Haryana)	74-75
2914.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को कार्बाइड के निर्माण के लिये लाइसेंस देना	Licence for manufacture of Carbide by Indian Oxygen . . .	75
2915.	गैसों के निर्माण के लिये इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना	Issue of Cob Licences to Indian Oxygen Ltd., for manufacture of Gases	75-76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2916.	प्रधान मंत्री को दिया गया कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स के विरुद्ध लगाय गये आरोपों वाला ज्ञापन	Memoranda containing allegations against Shri Devraj Urs Chief Minister of Karnataka, submitted to the Prime Minister . .	76
2917.	सीमेंट की वितरण प्रणाली	Distribution system of Cement	76-77
2918.	गैसोलीन में सीरे के अल्कोहल के तत्व मिलाकर प्रैट्रोल बनाना	Production of Petrol by mixing Alcoholic content of Molasses with Gasoline	77
2919.	दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिये कम्प्युटर	Computer of Delhi Traffic Police .	77-78
2920.	सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Government Servants	78-79
2921.	सभी विज्ञापनों पर संविधिक 20 प्रतिशत विज्ञापन अधिभार लगाने की स्वीकृति	Sanction of Statutory 20 per cent Advertisement surcharge on all advertisements . . .	79
2922.	मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जीवन से संबंधित वृत्त चित्र	Documentary Films depicting the life of Advasis of Madhya Pradesh.	80
2923.	आदिवासी बच्चों को मैरिट स्कालरशिप तथा मैरिट स्टाइपण्ड	Merit Scholarships and Merit Stipend to Adivasi Children . .	80
2924.	वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान भारत आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak nationals who had crossed into India during 1971, 1972 and 1973	80-81
2925.	सही प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन	Implementation of policies/regarding appropriates technology .	81
2926.	इन्चेक टायर्स और नेशनल रबर्स मैन्युफैक्चरर्ज लिमिटेड का सरकारीकरण	Takeover of Incheck Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Ltd.	81
2927.	प्रति तीन गांवों के लिये एक टेलीविजन सप्लाई करने का प्रस्ताव	Proposal to give one T.V. set to every three villages . .	81
2928.	आयात प्रतिस्थापन परिषद् का गठन करना	Setting up of Import substitution Council	82
2929.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में निजी उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया	Response from Private Industrialists in setting up of industries in Backward Areas	82
2930.	ईराकी आयोजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी समझौता	Agreement on Training Iraqi Planning Staff	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2931.	राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक	Next meet of the National Development Council	82-83
2932.	तुलु और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना	Inclusion of Tulu and Konkani Languages in 8th Schedule .	83
2933.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्णाटक में पूरी की जाने वाली पन-बिजली की अतिरिक्त परियोजनायें	Additional Hydel Power Projects to be completed in Fifth Plan in Karnataka	83
2934.	बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के लिये औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences for backward areas of Bihar . . .	84
2935.	अब्दुल्ला द्वारा काश्मीर के ढांचे में परिवर्तन की मांग "अब्दुल्ला फार चेंज इन काश्मीर सैट अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item entitled Abdullah, for change in Kashmir Set up . .	84-85
2936.	आंध्र प्रदेश के चितुर जिले में टेलीफोन सेवायें	Telephone Services in Chittoor District of Andhra Pradesh . .	85
2937.	वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय से विचार-विमर्श	Discussions with Central Ministries on Annual Plan for 1974-75 .	85
2938.	परमाणु बिजली कार्यक्रम को धक्का पहुंचना	Set back to Atomic Power Programmes	86
2939.	गुजरात के उद्योग में कोयले को कमी	Shortage of Coal in Gujarat Industries.	86
2940.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Backward Areas	86-87
2941.	अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ना	Launching of a space satellite ..	87
2943.	केरल के पिछड़े तालुकों में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in Backward Taluks of Kerala . . .	87-88
2944.	बम्बई में शिव सेना द्वारा किये गये अत्याचारों के परिणाम स्वरूप होने वाले जान तथा माल की हानि के लिये गैर-महाराष्ट्रों को मुआवजा देने की योजना	Scheme to Grant Compensation to Non Maharashtrians for the loss of Life and Property as result of Atrocities Committed by Shiv Sena to Bombay . . .	88
2945.	केरल को बस और ट्रकों के टायरों की सप्लाई	Supply of Bus and Truck Tyres to Kerala	89
2946.	केरल में पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Panchayat Offices in Kerala	89
2947.	केरल में निर्धनता का उन्मूलन	Eradication of Poverty in Kerala .	89-90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2948.	पत्रकारों तथा समाचारपत्रों पर आक्रमण की घटनायें	Incidents of attack on Journalists and News Papers . . .	90
2949.	बिहार सर्किल में लाईनमैनों के रिक्त पड़े पद	Post of Linemen in Bihar Circle lying vacant	90-91
2950.	मुख्य लेखा अधिकारी, दूरसंचार लेखा कार्यालय पटना में टाइम स्केल क्लर्कों के रिक्त पड़े पद ।	Vacant posts of T.S. Clerks in Office of Chief Accounts Officer, Telecom Accounts, Patna. . .	91
2951.	चंडीगढ़ में छात्रों की गिरफ्तारी	Arrest of Students in Chandigarh .	91-92
2952.	बिहार के मुंगेर जिले में गहलौर गांव के अछूतों पर अत्याचार	Atrocities on Untouchables of Gahlor Village in Monghyr District, Bihar	92
2953.	बिहार सर्किल के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान	Payment of Medical Bills to Staff of Telegraph Engineering Department of Bihar Circle . .	92-93
2954.	इस्पात संयंत्रों के लिये कोयले का उत्पादन तथा परिवहन में समन्वय लाने के लिये सैल	Cell for Coordinating Production and Transport of Coal for Steel Plants	93
2955.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रमों की क्रियान्विति में ग्राम पंचायतों का सहयोग	Cooperation of Gram Panchayat in Implementing of programmes during Fifth Plan . . .	93-94
2956.	केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना	Prosecution proceedings against Officers recommended by Central Vigilance Commission . .	94
2957.	समुद्रपारीय संचार सेवा	Overseas Communication Service .	94
2958.	बर्दवान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against CISF Officers in Burdwan	94-95
2959.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास	Rural Development during Fifth Plan	95-96
2960.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में संसाधनों के परिव्यय का पुरीक्षण	Revision in outlay on resources in Public Sector during Fifth Plan .	96
2961.	सुन्दर बन विकास कार्यक्रम	Sunderban Development programme	96
2962.	वर्ष 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per capita income in M.P. in 1971-72	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ. PAGES
2963.	गोआलपाड़ा तथा कामरूप जिलों के गारो क्षेत्रों को मेघालय में मिलाने की मांग	Demand for inclusion of Garo areas of Goalpara and Kamrup Meghalaya . . .	97
2964.	त्रिपुरा के मिजो क्षेत्र को मिजोरम के साथ मिलाना	Merger of Mizo area of Tripura with Mizoram	97
2965.	पालघाट में सूक्ष्म उपकरण कारखाने के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Precision instrument factory at Palghat	97
2966.	प्लाईवुड उद्योग, केरल में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Plywood Industry, Kerala . .	98
2967.	बिजली का उत्पादन करने के लिये कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सहायता	Assistance to Calcutta Electric Supply Corporation for Power Generation	98
2968.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृति आयु को कम करना	Lowering of Retirement Age of Govt. Employees . . .	98
2969.	रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के मोती महल गेट स्थित कास्य प्रतिमाओं की चोरी	Theft of Bronze Statues at the Moti Mahal Gate of Raigarh (Madhya Pradesh)	99
2970.	समस्तीपुर पुलिस स्टेशन, बिहार के अधीन रामनाथपुर गांव में हरिजनों पर आक्रमण	Attack on Harijans in the Village Ramnathpur under Samastipur Police Station, Bihar . .	99
2971.	त्रिपुरा में ग्लास फैक्ट्री का पुनः खोला जाना	Reopening of Glass Factory in Tripura	99
2972.	परमाणु रिऐक्टरों के लिये 'न्यूक्लिअर फ्युल एसेम्बलीज' का देशीय निर्माण	Indigenous Fabrication of Nuclear Fuel Assemblies for Atomic Reactors	99-100
2973.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in U.P. during Fifth Plan . . .	100
2974.	राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समिति का गठन	Composition of National Film Award Committee . . .	101-102
2975.	भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन का भाग	Share of IMPEC in the Export Earnings of Indian Films . .	102-103
2976.	पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Purulia (West Bengal)	103-104
2977.	पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from West Bengal . .	104-105
2978.	बंगाली भाषा के टाइपराइटरों का निर्माण	Manufacture of Bengali Typewriters	105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2979.	ग्रामीण औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये पश्चिम बंगाल को ऋण	Loan to West Bengal for Setting up rural Industrial Units. . .	106
2980.	पश्चिम बंगाल में सीमेंट का स्टाक रखने के लिये लाइसेंस	Licences for keeping stock of Cement in West Bengal . .	106
2981.	रामनथल्लि पुयान्नुर स्थानीय टेली-फोन सम्पर्क	Ramanthali Puyyannur Local Telephone Link	107
2982.	सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement . .	107
2983.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिये विशेष एजेंसियां	Special Agencies to look after the Welfare of Seheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes	107-108
2984.	मध्य प्रदेश में भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियां	Arrests made under DIR in Madhya Pradesh	108
2985.	उज्जैन, खरगोन, देवास और इन्दौर जिले के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केंन्द्र खोलना	Setting up of PCOs in Villages of Ujjain Khargone, Dewas and Indore Districts . . .	108
2986.	फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्य-कलापों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the working of Film Censor Board . . .	108
2987.	आर्थिक नीतियों पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना	Convening of a Chief Ministers' Conference to discuss Economic Policies	108-109
2988.	पिछड़े क्षेत्र मानने की कसौटी	Criteria for Identification of Backward Areas	109
2989.	कलकत्ते में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Telephone Connections in Calcutta . . .	110
2990.	कोंडांगांव मुर्गी पालन फार्म को मध्य प्रदेश सरकार को तथा अम्बागंडी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केंन्द्र को उड़ीसा सरकार को हस्तांतरित किया जाना	Transfer of Konda Village poultry Farm to M.P. and ITC Ambagudi .	110
2991.	केंन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to Improve Service Conditions of Employees in the Central Government Employees Consumer Co-operative Society, Ltd. . .	111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2992.	केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लिमिटेड, नई दिल्ली में निदेशक	Directors in the Central Government Employees Consumer Co-operative Society, Ltd, New Delhi	112
2993.	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसियेशन, गुड़गांव को अनुदान	Grant to Central Government Employees Welfare Association Gurgaon.	112
2994.	1974–75 की योजना में पश्चिम बंगाल के लिये धनराशि का आबंटन	Allotment for West Bengal for 1974-75 Plan . . .	113
2995.	पश्चिम बंगाल में संयंत्रों की स्थापना	Setting up Plants in West Bengal .	113
2996.	कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण	Functioning of Calcutta Telephones	114
2997.	वर्ष 1974 में डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Postal Stamps in 1974	115
2998.	पांचवीं योजना के बाद विदेशी सहायता	Foreign Aid after Fifth Plan .	115
2999.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के संबंध में समिति	Committee for Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi . . .	115
3000.	कतिपय राजनैतिक दलों के साथ संबंध होने के कारण बर्खास्त किये गये केन्द्रीय सरकारी अधिकारी	Central Government officials Dismissed from service due to their Association with certain political parties	115—116
3004.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये राजस्थान से आवेदन-पत्र	Application for Industrial Licences from Rajasthan . . .	116—117
अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	117
भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए संकट पर एक प्राइवेट सतथ्य रिपोर्ट का विश्व बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा वितरित किये जाने का समाचार।		Reported Distribution of a Private Factual reports on deepening crisis in Indian economy by the office of the President of the World Bank	117—123
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	117
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwant rao Chavan	117
आगुंतकों को संसद सदस्यों से मिलने से रोके जाने के बारे में		Re. Alleged Prevention of Visitors from Meeting Members of Parliament	123—124
सभा पटल पर खे गये पत्र		Papers Laid on the Table	124—125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	125
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions— . . .	125
37वां प्रतिवेदन	Thirtyseventh Report	125
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	125
104वां प्रतिवेदन	Hundred and Fourth Report	125
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1973-74 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1973-74—Statement presented	126
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 1971-72 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (Railways), 1971-72—Statement Presented	126
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	126
बिहार के एक गांव के दो आदिवासियों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Death of two Adivasis in a village in Bihar . . .	127
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	127
दिल्ली में छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Arrest of Students in Delhi	127
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha . .	127
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377 .	128
रेलवे गार्डों द्वारा नियमानुसार कार्य आंदोलन	Work to Rule Agitation by Railway Guards	128
रेल बजट 1974-75 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1974-75—General Discussion—	128—135
श्री एल० एन० मिश्रा	Shri L. N. Mishra	128
मध्य रेलवे के बीरपुर स्थान के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Accident near Birpur on Central Railway—	135
श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	135
सामान्य बजट 1974-75 सामान्य चर्चा	General Budget, 1974-75—General Discussion—	136
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	136—138
श्री नरेंद्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . . .	138—142
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	142—146
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik. . . .	146—147

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani . . .	147—148
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan . . .	148—151
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . . .	151—153
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	153
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion .	153
राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in States	153—157
श्री ज्योतिर्मय वसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	153—54
श्री देवकांत बरुआ	Shri D. K. Barooah . . .	155—157

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 13 मार्च 1974/22 फाल्गुन, 1895 (शक)
Wednesday, March 13, 1974/Phalguna 22, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"सत्यमेव जयते" शब्दा का राष्ट्र चिह्न के नीचे अंकित किया जाना

281. **श्री मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र चिह्न का प्रयोग जहां कहीं भी किया जाये, उस के नीचे 'सत्यमेव जयते' शब्द अंकित करना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करेंसी नोटों और डाक-टिकटों पर, जिन पर राष्ट्र चिह्न अंकित होता है, 'सत्यमेव जयते' शब्दों का अंकित न होना राष्ट्र चिह्न से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 'सत्यमेव जयते' आदर्शोक्ति राष्ट्रीय चिन्ह का भाग है और जब सम्पूर्ण राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग किया जाता है तो उसे उद्धत किया जाना चाहिए। परन्तु, तकनीकी कठिनाइयों के कारण अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि आवश्यक संशोधनों के साथ चिह्न का प्रयोग सिक्कों, करेंसी नोटों, प्रोमिसरी नोटों तथा डाक टिकटों पर किया जा सकता है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधु दंडवते : मंत्री महोदय के उत्तर के प्रथम भाग से स्पष्ट है कि 'सत्यमेव जयते' राष्ट्रीय चिह्न का अभिन्न अंग हैं परन्तु बाद में उन्होंने यह कहा कि परन्तु तकनीकी कठिनाइयों के कारण अनुदेश में यह भी व्यवस्था है कि आवश्यक संशोधनों के साथ चिह्न का प्रयोग सिक्कों, करेंसी नोटों आदि पर किया जाता है। अत: दोनों उत्तरों से स्पष्ट है कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण यदि कोई रूपभेद

किया भी जा सकता है तो वह बहुत मामूली प्रकार का ही हो सकता है, अतः क्या सरकार 'सत्यमेव जयते' चिह्न को बहुत मामूली समझती है और यदि तकनीकी कठिनाई होती है तो इसे राष्ट्रीय चिह्न के पद से हटाया जा सकता है, मैं उन अनुदेशों का ब्यौरा चाहता हूं जिनका उन्होंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : ये अनुदेश बहुत पहल के हैं और 'भारत के राज चिह्न से संबंधित आदेश' नामक सरकारी प्रकाशन में दिए गए हैं। इन आदेशों की धारा 7 में कहा गया है कि यह चिह्न सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और निर्मित फिल्मों पर, सिक्कों, करेंसी नोटों, प्रोमिसरी नोटों और डाक-टिकटों पर उन रूपभेदों के साथ अंकित किया जा सकता है, जो वह टकसाल या मुद्रणालय आवश्यक समझे। इसी धारा के अधीन यह चिह्न सिक्कों, करेंसी नोटों आदि पर उन रूपभेदों के साथ अंकित किया गया है जिनकी सलाह वित्त और संचार मंत्रालयों ने दी है।

श्री मधु दण्डवते : आपने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार इसे राष्ट्रीय चिह्न का महत्वपूर्ण अंग नहीं समझती और क्या इसे हटाना मामूली परिवर्तन मानती है जो तकनीकी कठिनाई के कारण करना पड़ता है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हम इसे मामूली नहीं मानते और उसे उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितने कि चिह्न के शेष भाग। यह 'नारा' मात्र ही नहीं है—यह तो वह उद्देश्य है जिसके लिए हमारा दल कृतसंकल्प है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : इस उद्देश्य के प्रति आपका दल नहीं पूरा देश कृतसंकल्प है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे कहना का अर्थ यह था कि अन्य दलों की अपेक्षा मेरा दल इसके प्रति अधिक निष्ठावान है और इसका मुझे गर्व है (व्यवधान) इसके पीछे इतिहास है, ब्रिटिश राज समाप्त होने से पूर्व आपको याद ही होगा कि सिक्कों आदि पर राजा का चित्र होता था जिसे बदलना आवश्यक था। तब तक 'सत्यमेव जयते' इस चिह्न का अंग नहीं बना था। केवल अशोक चक्र ही उस चित्र के स्थान पर अंकित किया गया था। बाद में 1949 में इसे चिह्न में जोड़ा गया। बाद में जब इसे नोटों और सिक्कों पर अंकित करने का प्रश्न आया तब इस पर बारीकी से विचार किया गया और कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई और यह संशोधन आदेश जारी किया गया जो केवल कुछ मामलों के संबंध में था न कि सभी मामलों के बारे में ; सिक्कों और नोटों को छोड़कर लेखन सामग्री, डिजाइन, सरकारी मुहरों, गाड़ियों और भवनों आदि पर इसे पूरा पूरा अंकित किया जाना होता है। यह रूपभेद केवल यहीं तक है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले पदकों और सनदों आदि पर, अभिनन्दन पत्रों, राष्ट्रपति भवन और राजभवनों की क्राकरी और चाकू छुरियों आदि पर अर्थात् अन्य सभी मामलों में पूरा चिह्न अंकित किया जाता है .....(व्यवधान)। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। यह संशोधन 1949 में किया गया और कुछ मामलों में ही लागू होता है। अन्य प्रत्येक मामले में पूरा चिह्न ही अंकित किए जाने के आदेश हैं।

श्री मधु दण्डवते : इनका कहना है कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण सिक्कों और डाक-टिकटों आदि पर राष्ट्रीय चिह्न 'सत्यमेव जयते' के बिना भी अंकित किए जा सकते हैं। क्या इसका एक कारण यह भी है कि 10 और 100 रुपये के नोटों पर भुगतान संबंधी जो आश्वासन होता है क्या उसे रुपये के मूल्यों में हो रही कमी के कारण पूरा न कर सकने के कारण यह शब्द हटा दिए गए हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं ऐसे भद्दे मज़ाक पर कोई ध्यान नहीं दूंगा।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, it is a very important issue and it is also true that cultural and historical consciousness is dying slowly. According to rules. the symbol "Satyamev Jayate" must appear wherever the National Emblem is reproduced as is clear from the Government of India publications of 1973-74. It is also correct that none of the currency notes bears these words, therefore it is demanded that all such notes shall be withdrawn so as to end inflation. So whether Government would issue orders within two or three months to the effect that these words may be inscribed wherever they are missing at present and also cancel the circulation of all 100 and 10 rupee notes so as to help ending inflation?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री एवं **वित्त मंत्री** ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह इस प्रश्न पर आगे विचार करेंगे। बाद में वित्त मंत्रालय में इस पर गहराई से विचार किया गया परन्तु इसे व्यवहार्य न समझते हुए ऐसा न करने का निर्णय किया गया क्योंकि इससे नोटों का आकार बढ़ाना पड़ता था। वित्त मंत्रालय की इस राय को हमें मानना पड़ा।

श्री ए० के० एम० इसहाक : इसमें लागत भी तो आयेगी।

Shri Shankar Dayal Singh : The reply is not satisfactory that these words cannot fit into the notes as such. I think these words can be inserted.

Shri Jagannath Rao Joshi : The hon. Minister has admitted that 'Satyamev Jayate' is an integral part of the National Emblem, but later he said that they were omitted on currency notes because of technical difficulties. This was stated to be lack of space which is hardly convincing. When there are persons in one country who can write entire 'Gita' as a grain of rice, how, then, Government take the shelter of paucity of space? I, therefore want to know whether arrangements would be made to include these words on currency note in view of their being integral past the National Emblem?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसका उत्तर दिया जा चुका है, वित्त मंत्रालय ने इस पर गहराई से विचार किया था और उनके अनुसार शब्द अधिक होने के कारण इन्हें नोटों पर अंकित करना संभव नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi ; When the denomination has been indicated in so many languages or currency notes, why 'Satyameva Jayate' cannot be included? How can he tell lies about them?

श्री डी० डी० देसाई : महात्मा गांधी ने सत्य की ईश्वर से तुलना की थी। क्या सत्यमेव जयते अब नारे, सजा या राष्ट्रीय नीति के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, अशोक स्तंभ सारनाथ मंदिर से लिया गया है और 'सत्यमेव जयते' उपनिषदों से। बाद में दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय चिह्न बना। परन्तु वित्त और संचार मंत्रालयों ने गृह मंत्रालय से सहमित व्यक्त नहीं की और उन्हीं के अनुसार करेंसी नोटों, सिक्कों और टिकटों पर इसे अंकित करने में तकनीकी कठिनाइयां हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मेरा प्रश्न तो भिन्न ही था।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ अधिक संगत नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि चाहिये था। सिक्कों पर तो इन्हें अंकित करने में कठिनाई हो सकती है परन्तु नोटों पर नहीं। यदि चिह्न को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि उस पर ये शब्द लिखने का काफी स्थान है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उस समय प्रश्न नोटों पर ही अंकित करने का नहीं था, बल्कि सिक्कों और बहुत छोटे सिक्कों का भी था जिन पर ये शब्द पढ़े नहीं जा सकते थे। किसी चीज़ को अंकित करने का क्या लाभ यदि वह पढ़ा ही न जा सके।

श्री एच० एम० पटेल : इसलिए क्या आप नोटों पर अंकित करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : नोटों के बारे में स्थिति भिन्न है और उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या इन शब्दों को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वे समझते हैं कि यदि सत्य की जीत हुई तो उनका क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह पूरक प्रश्न नहीं है।

Shri R. S. Pandey : These words are no slogan. It is a wish. I may print out that although these words appear on the main gate of Central Hall, it is a dem of all sorts of idle talk. Rather it is good that these words do not appear on currency notes. I want to know whether it has any psychological effect or whether it is a mere piece of writing?

श्री समर गुह : क्या सरकार ने 'सत्य' के अर्थ की कोई परिभाषा बनाई है ताकि उसी के अनुसार सरकार, उसके अधिकारियों और जनता द्वारा कार्य किया जा सके ? यदि हां, तो इनका व्यावहारिक अर्थ क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न व्याख्या का नहीं है, प्रश्न इसे छापने का है।

श्री समर गुह : छापने का उद्देश्य क्या है ? इसे सजावट के उद्देश्य से नहीं छापा जाता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बड़ा साधारण सा है कि नोटों पर यह क्यों नहीं छापा जाता। व्याख्या के बारे में आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री समर गुह : छापने का उद्देश्य क्या है। आप इस प्रश्न को पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते ? सरकार इसका उत्तर दे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के विषय से सम्बद्ध नहीं है।

श्री समर गुह : यह राष्ट्रीय आदर्शोक्ति है जिसे भलिभांति समझना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं।

श्री समर गुह : यह राष्ट्रीय आदर्शोक्ति है मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : अर्थ बता दिया गया है ; इसका अर्थ शाब्दिक है।

तकनीशनों और उद्योगपतियों को भारत में कागज संयंत्रों के निर्माण के सीमित अवसर

284. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीशनों और उद्योगपत्तियों की भारत के कागज संयंत्रों के निर्माण का कोई अवसर नहीं मिलता है, अत: वे ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए देश से बाहर चले जाते हैं; हालांकि भारत को अखबारी कागज और अन्य किस्मों के कागज के अभाव में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० बी० राणा) : (क) जी नहीं (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सरोज मुखर्जी : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है; जी नहीं ; प्रश्न ही नहीं उठता ।

तथ्य यह है कि बहुत से भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ भारत में अवसर न पाकर विदेशों में चले गये हैं और वहां उद्योग स्थापित करने के लिये कार्य कर रहे हैं । 16 जनवरी, 1974 के 'हिन्दुस्तान । टाइम्स' में नैरोबी से पी० टी० आई० के समाचार में कहा गया है ।

"चौबीस घन्टे कार्य करते हुये लगभग 200 भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ, 170 लाख पौंड के पूंजीनिवेश वाली सर्व-अफ्रीकी कागज मिल को जो कीनिया की, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वाधिक पूंजीनिवेश वाली परियोजना है, अन्तिम रूप दे रहे हैं"

यदि इन भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को भारत में कोई अवसर मिलता तो ये कागज मिल यहां लगा सकते थे । देश में अखबारी कागज की अत्यधिक कमी है । भारत में और अधिक कागज मिलों की आवश्यकता है । मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूँ कि देश में अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या उन तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं को भारत में कागज मिल लगाने के लिये उपयोग में लाया जा संकता है ?

श्री एम० बी० राणा : देश में कागज की 63 मिलें तथा अखबारी कागज की मिल चल रही है कागज के 30 छोटे कारखाने हैं । जिनमें से कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किये गये हैं । कुछ फालतू तकनीकी विशेषज्ञों की ही कुछ शर्तों पर विदेश जाने की अनुमति दी जाती है ।

श्री सरोज मुखर्जी : मैंने पूछा था कि क्या भारत में कागज मिलें लगाने के कार्य के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

श्री एम० बी० राणा : वे हमारे यहां फालतू हैं ।

श्री सरोज मुखर्जी : देश में अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें सभी संसाधनों का उपयोग करना है चाहे वे सार्वजनिक हों चाहे निजी । समाचार में यह प्रकाशित हुआ है । मंत्री महोदय को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि यह गलत है अथवा उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिये कि ओरियेंटल पेपर मिल्स ने कीनिया में अपनी शाखा क्यों खोली है तथा मिल स्थापित क्यों की है ?

श्री एम० बी० राणा : ओरिऐंट पेपर मिल्स को कीनिया में शाखा खोलने की स्वीकृति दी गई । हमारी नीति यह है कि भारतीय उद्यमियों को एक सीमित ढंग से विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये, ईक्वीटि पूंजी के उनके अंश के रूप में स्वदेशी मशीनें, उपकरण तकनीकी ज्ञान का योगदान दें, प्रोत्साहन दिया जाये ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तकनीकी ज्ञान देश में उपलब्ध है और अखबारी कागज तथा कागज बनाने के लिये देश में कच्चा माल उपलब्ध है और यदि है, तो देश में कागज मिल स्थापित न करके विदेशों में कागज मिलें स्थापित करने के लिये देश के ईन तकनीकी विशेषज्ञों को विदेशों में भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री एम० बी० राणा : जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, हमारी नीति विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये एक सिमित ढंग से भारतीय उद्यमियों को सहायता देने की है । यही कारण है कि उन्हें विदेशों में जाकर कागज मिलें स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री बी० के० दास चौधरी : इस समय देश में 11 लाख मीटरी टन कागज की आवश्यकता होती है और हमारा उत्पादन इस समय 8 लाख मीटरी टन है। देश में कागज की कमी का यही मूल कारण है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का प्रतिवेदन आया है जिसमें बताया गया है कि कागज पटसन की छड़ों से भी बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तेजी से प्रयास नहीं किये गये हैं। क्या कागज बनाने के तकनीकी ज्ञान से देश के विशेषज्ञों को पटसन की छड़ों से कागज बनाने का कार्य, जैसा कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने हाल ही में अनुसंधान किया है, आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

श्री एम० बी० राणा : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

श्री एच० एम० पटेल : यह सच है कि देश में अखबारी कागज तथा कागज की कमी है। इसलिये मैं यह अनुमान लगाता हूं कि सरकार की यह नीति है कि अतिरिक्त मिलें स्थापित करने तथा देश की वर्तमान मिलों की क्षमता का विस्तार करने हेतु स्वतंत्रता से लाईसेंस दिये जायें। यदि ऐसा है, तो क्या नई मिलें स्थापित करने के लिये मंजूरी दी गई है अथवा क्या नई मिलों का निर्माण हो रहा है? मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेशों में केवल फालतू तकनीकी विशेषज्ञ भेजे गये हैं। इसका यह अर्थ निकलता है कि हमारे देश में बहुत सी मिलें निर्माणाधीन हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वास्तव में बात ऐसी है? अतः मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि देश में कागज के उत्पादन हेतु नई मिलों की स्थापना के लिये तथा वर्तमान मिलों के क्षमता विस्तार के लिये स्वतंत्रतः पूर्वक लाईसेंस दिये जायें और यदि हां तो कितनी नई मिलें निर्माणाधीन हैं अथवा कितनी मिलों का विस्तार किया जा रहा है।

श्री एम० बी० राणा : अखबारी कागज के लिये नेपा नगर में नेपा मिल्स है। हम केरल में भी मिल की स्थापना करने जा रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल : मेरे साथी ने जो जानकारी दी है इस संदर्भ में मैं इतना और बताना चाहता हूं कि 'नेपा' अखबारी कागज कारखाने का पर्याप्त विस्तार किया गया है। वहां उत्पादन बढ़ गया है। यहां इस समय की 75,000 मीटरी टन की अधिष्ठापित क्षमता से दुगना होगा। केरल परियोजना का कार्य अधिकार में ले लिया गया है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता 80,000 मीटरी टन होगी और यहां 1976-77 से थोड़ा थोड़ा उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। अखबारी कागज के दूसरे कारखाने भी, जिन्हें आसाम में स्थापित करने की योजना है, शीघ्र ही स्थापित किये जायेंगे। गैर सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में एक कारखाना परियोजना प्रतिवेदन से आगे चल रहा है।

जहां तक कागज की बात है, भारत सरकार की नीति विस्तार के लिये मंजूरी देने की रही है। इसी कारण वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के विस्तार के लिये स्वीकृति दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में, आसाम, नागालैण्ड में नये कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं हम दूसरे क्षेत्रों भी ऐसे कारखानों के बारे में सोच रहे हैं और हमें आशा है कि आगामी दो, तीन वर्षों में हमारी वर्तमान स्थिति में सुधार हो जायेगा।

गुजरात में बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशनों को सहायता

श्री अरविन्द एम० पटेल
285. श्री डी० पी० जदेबा } : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1972-73 और 1973-74 में (दिसम्बर, 1973 तक) बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्षवार कितनी राशि धन आबंटित की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) अन्य लोगों के साथ-साथ बेरोज़गार इंजीनियरों तथा तकनीशनों को रोज़गार अवसर उपलब्ध करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजनावधि मे समय-समय पर विभिन्न योजना कार्यक्रमों तथा राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, आदि के कार्यक्रमों के साथ-साथ कई विशेष स्कीमें प्रारम्भ की गई थीं। ये स्कीमें हैं (1) 1971-72 में प्रारम्भ किया गया बेरोज़गार व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रम, (2) 1972-73 में प्रारम्भ किया गया विशेष रोज़गार कार्यक्रम, और (3) 1973-74 में प्रारम्भ किया गया शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम। ये स्कीमें गुजरात राज्य में भी कार्यान्वित की गई। वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में गुजरात राज्य में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत बेरोज़गार इंजीनियरों तथा तकनीशनों को दी गई वित्तीय सहायता के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। गुजरात राज्य के लिए विशेष रोज़गार स्कीमों, जिनमें इंजीनियरों तथा तकनीशनों को भी रोज़गार प्राप्त हो सकेगा, के अन्तर्गत इन वर्षों में कार्यक्रम-वार किए गए आबंटन निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए—लाख में)

वर्ष	इंजीनियरों तकनीशनों सहित, शिक्षित बेरोज़गारों से संबंधित कार्यक्रम (1971-72 में प्रारम्भ किया गया)	राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम (1972-73 में प्रारम्भ किया गया)।	पांच लाख रोज़गार अवसर कार्यक्रम (1973-74 में प्रारम्भ किया गया)।
1	2	3	4
1972-73	236.46	131.00	—
1973-74	194.76	11०.59	320.27

टिप्पणी:—कुल 320.27 लाख रुपए के आबंटन में से 69.59 लाख रुपए सीधे इंजीनियरों तथा
††† तकनीशनों (अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से सर्टिफीकेट प्राप्त तथा तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त') को प्रशिक्षण तथा राजकोषीय सहायतायुक्त रोज़गार देने की स्कीमों पर खर्च होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त स्वनियोजन कार्यों से भी तकनीकी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में रोज़गार अवसर प्राप्त होंगे।

Shri Arvind M. Patel : It seems that the reply of the hon. Minister is wrong. It is not the reply to any question Regarding Gujarat, I wanted to know as to how much financial assistance has been given to technicians and engineers? He has, however, given figures for the whole India and the figures, which I asked, are not availalilable with the Government. The figures have not been collected so far. I want to know how much time will they take to make figures available and send the same to me.

श्री मोहन धारिया : विवरण में आंकड़े गुजरात के बारे मे दिये गये हैं न कि समूचे भारत के बारे में ।

उसमें कहा गया है कि इंजीनियरों को दी गई सहायता के बारे में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु 1973-74 के कार्यक्रमों में 5 लाख व्यक्तियों को रोज़गार देने के कार्यक्रम के आंकड़े उपलब्ध हैं जो इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं तथा रोजगार उपलब्ध करने के लिए राज सहायता देने में व्यय की गई थी । मैंने अपने उत्तर में बताया है कि जहां तक इन रोजगार कार्यक्रमों का संबंध है, इसके अन्तर्गत इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा डिप्लोमा धारियों को लाया गया है और मैंने अपने विवरण में जिन सभी योजनाओं का जिक्र किया है, वे गुजरात के लिए हैं न कि समूचे देश के लिए ।

Shri Arvind M. Patel : But it is not the reply to the original question.

श्री मोहन धारिया : मैंने अपने विवरण में उत्तर दे दिया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि ये आंकड़े गुजरात से संबंधित हैं । लेकिन यदि वे वक्तव्य स्वयं पढ़े तो "राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम" शीर्षक के अन्तर्गत कालम में गुजरात का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, इसलिए जब तक वे स्वयं उत्तर नहीं देते हैं तब तक हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

मेरा प्रश्न यह है कि यदि भारत सरकार को वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के बारे में जानकारी लेने में समय लगता है तो क्या हम यह समझें कि वर्ष 1972 से गुजरात में कोई सरकार कार्य नहीं कर रही है ।

दूसरा, क्या यह सच नहीं है कि अनेक इंजीनियर तथा अन्य लोग जैसे छोटे प्रोद्योगिकीविज्ञ न केवल धन के रूप मे अपितु विशेषज्ञों के रूप में अधिक सहायता की मांग कर रहे हैं परन्तु उन्हें इनसे वंचित रखा जा रहा है ? सरकार का इन दो प्रश्नों के लिए क्या उत्तर है ?

श्री मोहन धारिया :—मैं इस सदन का ध्यान इस विशेष प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । यह प्रश्न 1972-73 और 1973-74 के लिए गुजरात में बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित है । मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं (**व्यवधान . . . .**) यदि राज्य सरकार को अनुरोध करने के बाजजूद भी आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं तो मैं राज्य को पुन: अनुरोध कर सकता हूं (**व्यवधान**) मैं पुन: कोशिश करुंगा । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं । मरे पास अपने रिकार्ड हैं । हमने राज्य सरकार को आकांड़े भेजने के लिए अनुरोध किया था परन्तु वे प्राप्त नहीं हो सके हैं । जैसे ही आंकड़े प्राप्त हों जाएंगे त्योंहि हम उसे सभा पटल पर रख देंगे ।

श्री डी० डी० देसाई :—देश में विकट बेरोजगारी है और इसमें वृद्धि हो रही है और शिक्षित बेरोज़गारों हेतु कार्यक्रमों के लिए आबंटित धन और उसके व्यय में भारी अन्तर है और यह देखा जा

रहा है कि यह कार्यक्रम लक्ष्य से पिछड़ रहा है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कार्यक्रम में तेजी लाने का कार्य राज्य सरकारें और केन्द्र अपने हाथ में ले लें . . . .

अध्यक्ष महोदय :—प्रश्न तथ्यपूर्ण जानकारी के बारे में थे। यह प्रश्न बेरोजगारों आदि को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में थे।

श्री डी० डी० देसाई :—यह धनराशि व्यय नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय :—आप इस के साथ और अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई :—मैं बेरोजगारों के लिए कार्यक्रमों हेतु बड़ी मात्रा में उपयुक्त पड़ी धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं। क्या सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी एजेंसियां इनका उपयोग करेंगी

अध्यक्ष महोदय :—यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास द्वारा दिये गये त्यागपत्र का स्वीकार किया जाना

श्री डी० डी० देसाई
286. श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांचवीं योजना के बारे में उनके द्वारा दी गई चेतावनी को कोई महत्व दिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) डा० बी० एस० मिन्हास द्वारा व्यक्त विचारों पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

श्री डी० डी० देसाई :—पांचवीं योजना में कृषि क्षेत्र को महत्व नहीं दिया गया है। लगभग 70 प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। क्या सरकार कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन करने पर विचार नहीं करेगी। डा० मिन्हास ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन्हें मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय आयोजना में कृषि को कम महत्व देने के लिए रूसी विचारधारा से प्रभावित दलालों पर दोषारोपण किया है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कृषि के लिए बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है तथा बिना कृषि सुधार के हम बढ़ी संख्या में जनसंख्या और कम आय वाले व्यक्तियों को खाना नहीं खिला सकते हैं और यह ग्रामीण जनसंख्या तथा हमारी अर्थ व्यवस्था के निर्धन वर्गों को काफी प्रभावित कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :—आपका प्रश्न सीधा है। आपने सामान्य प्रश्न पूछा था और उत्तर भी सामान्य दिया गया था।

श्री डी० डी० देसाई :--क्या मंत्रालय अथवा सरकार ने डा० मिन्हास के विचारों को ध्यान में रखा है ? क्या वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को क्रियान्वित करेंगे ? उनका एक विचार यह था कि कृषि को अधिक धनराशि का आवटन करना चाहिए ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) :--माननीय सदस्य ने जिस बात यथा डा० मिन्हास द्वारा की गई कथित टिप्पणी का उल्लेख किया है, वह उनके द्वारा योजना आयोग में लंबी बहस के दौरान कल विचारों में अथवा योजना आयोग को अपने त्यागपत्र सहित दिए गए पत्र में, कि हमारे देश में कृषि विकास की नीतियां सोवियत विचारधारा से प्रभावित होती हैं, कहीं भी नहीं है, मैंने सभा की पहले हुई बैठक में कहा था कि यह एक ऐसा आरोप है जिसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं । जैसा कि मैंने कहा था कि यह एक निमन्त्रण था जिसका उपयोग डा० मिन्हास जैसे अर्थशास्त्री ने किया जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह सच नहीं है (व्यवधान) ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी:--यह अत्यन्त आपत्तिजनक है कि योजना आयोग के एक सदस्य का उल्लेख इस प्रकार किया जाये । विचारों में मतभेद हो सकता है (व्यवधान)

श्री समर गुह--उनके पत्र का फायदा उठाते हुए उन्होंने विपरीत टिप्पणी की है । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :--डा० मिन्हास यहां मंत्री महोदय का उत्तर देने के लिए नहीं हैं । यह अत्यन्त आपत्तिजनक है (व्यवधान)

श्री डी० पी० धर :--जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को कम किया जाये । वास्तव में हमने योजना तथा संसाधनों द्वारा स्वीकृत सीमा के अन्दर कृषि क्षेत्र में विकास पर 4.7 प्रतिशत रखी है । हम कृषि क्षेत्र में विकास दर में वृद्धि करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं । इन संभावनाओं पर अभी विचार हो रहा है । हमारे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में योजना में प्रभावित 4.7 प्रतिशत विकास पर पर्याप्त है ।

श्री डी० डी० देसाई :--कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की सबसे कम आमदनी है और योजना आयोग इससे अवगत है । हमने समाज के निर्धन व्यक्तियों की सेवा करने का संकल्प किया है । क्या मंत्री महोदय कृषि उद्देश्यों के लिए संपूर्ण योजना पर विचार करेंगे ताकि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करके इन लोगों को फायदा पहुंचाकर बेरोजगारी के कारण देश में उत्पन्न वर्तमान असंतोष को समाप्त किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय :--यह प्रश्न केवल डा० मिन्हास के पत्र की प्रतिक्रिया से संबंधित है । यह अनुपूरक प्रश्न पूर्णतः भिन्न विषय के बारे में है । आप अब डा० मिन्हास से संबंधित प्रश्न न पूछकर अन्य प्रश्नों को पूछ रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :--मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग के विचार में सापेक्ष्य प्राथमिकता के बारे में, जो कि कृषि को दी जानी चाहिए, डा० मिन्हास द्वारा व्यक्त विचार विश्व बैंक द्वारा बाद में अपने पत्र में व्यक्त विचारों से कोई समानता रखता है जो कि बाद में प्रचार पाने के बदनाम हो गया था ।

श्री डी० पी० धर :--श्री अटल जी और प्रोफेसर गुह ने कुछ देर पहले जो कुछ कहा था उसके बावजूद भी मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि इसमें दोष क्या है अथवा विश्व बैंक और

डा० मिन्हास के विचारों में साम्यता नहीं है, ये विचार माननीय सदस्य के सामने हैं और वे स्वतन्त्र रूप से इस बारे में निर्णय कर सकते हैं।

Shri Genda Singh : May I know whether Shri Minhas has indicated in his letter that funds allocated for marginal farmers and agricultural labour are diverted and that these people remain poor as before?

Shri D. P. Dhar : No please.

श्री वी० पी० नायक :—जैसे कि समाचारपत्रों में कहा जा रहा है कि पांचवीं योजना स्थगित की जा रही है तो क्या यह स्थगन संयोग से श्री मिन्हास के विचारों से मेल खाता है ?

श्री डी० पी० धर :—यह अनुमान कि पांचवीं योजना स्थगति की जा रही है, सच नहीं है और इसीलिए दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the Planning Minister wants to say that a person has ability till he remains in the Planning Commission and get in competent as soon as he leaves the Planning Commission?

Shri D. P. Dhar : With reference of what Shri Atal Ji has said, I would like to say that we have great respects for Dr. Minhas and we regard him as an able economist. Whether he remains in or out of Planning Commission, it does not affect our respects for him. I have great respects for Shri Atalji but it does not mean that I angree with his every views.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए अलग 'सेल'

*287. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए नियम बनाने हेतु अलग से किसी "सेल" की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सरकारी संगठनों को सुझाव देगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इसी प्रकार के अलग सेल स्थापित किये जायें ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा : (क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सभी मामले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में निपटाए जाते हैं, जहां इस प्रयोजन के लिए एक अलग अनुभाग की स्थापना की गई है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों से पदों के आरक्षण और आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार कार्यविधि का निर्धारण होता है। उपर्युक्त आदेशों के कार्यान्वयन के लिए, सरकार के विभिन्न विभागों में उपर्युक्त कर्मचारियों की व्यवस्था का गई है।

(ख) अनुमानत: "अन्य सरकारी संगठनों" के संदर्भ का सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से है। सरकारी उद्यम ब्यूरो ने विभिन्न उपक्रमों को नियंत्रित करने वाले विभागों के माध्यम से एक निदेश जारी किया है कि अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण तथा नियुक्तियों से सम्बन्धित कार्यों को निपटाने के लिए उपक्रमों में सैल गठित किए जायं :

श्री गजाधर मांझी :—मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों उन्हीं नियमों का पालन करती हैं या नहीं। यदि नहीं, तो राज्य सरकारों को इन नियमों का पालन करने के लिए कहने को केन्द्रीय सरकार क्या उपाय अपना रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा :—राज्य सरकारों को काफी हद तक सेवाओं में आरक्षण के मामले में वही पद्धति अपनानी पड़ती है जो केन्द्रीय सरकार अपना रही है। हम इस मामले में, यथा क्या वे उचित रोस्टर रख रहे हैं या नहीं तथा यह भी कि क्या आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, राज्य सरकारों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, हमारे अधिकारी समय-समय पर वहां जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उनसे चर्चा करते हैं कि राज्य सरकारें उचित आदेशों को जारी करें तथा विभिन्न विभागाध्यक्ष इनको समुचित रूप से लागू करें।

श्री टी० बालकृष्णैया :—क्या सरकार इस बात को जानती है कि भरती नियमों में किए गए संशोधन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के उद्देश्य को विफल बना देते हैं। यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाए ?

श्री राम निवास मिर्धा :—मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य किस प्रकार के संशोधनों से है। भरती नियमों में ऐसा कोई संशोधन नहीं है, उसमें यही दिया हुआ है कि कुछ प्रतिशत पदों के लिए आरक्षण रखना ही पड़ेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाता है कि इन पदों के लिए आरक्षण रखा जाए।

श्री टी० बालकृष्णैया :—मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय :—उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री डी० बसुमतारी :—क्या यह सच है कि अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत आमतौर पर यह दलील दी जाती है अथवा इन विशेष शब्दों का प्रयोग होता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो क्या सरकार अनुच्छेद 335 को हटाने अथवा उसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति सेवा में आने के अवसर से वंचित न रह सकें ?

श्री राम निवास मिर्धा :—यह सच है कि कुछ मामलों में यह सिफारिश की जाती है कि कुछ पदों को अनारक्षित किया जाये परन्तु ऐसे मामले बहुत कम होते हैं तथा जिन पदों का अनारक्षण किया जाता है वे ऊंची तकनीकी दक्षता वाले होते हैं परन्तु इस मामले में भी अनारक्षण करने का तरीका इतना कठोर बनाया गया है कि संबंधित विभागों में प्रत्येक मामले की जांच की जाती है। तब यह मंत्री स्तर के पास भेजा जाता है तथा फिर यह कार्मिक विभाग के पास भेजा जाता है और तब हम सपूंर्ण मामले की जांच करते हैं और कभी हम उससे असहमत होते हैं और तब इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के पास पुनः विज्ञापन देने के लिए वापिस भेजा जाता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे मामलों में आरक्षण हटाने के संबंध में ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जहां योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं।

श्री डी० बसुमतारी :—मेरे प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है, मेरा प्रश्न सीधा है। अनुच्छेद 335 का तर्क देकर इन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि योग्य उम्मीदवार

उपलब्ध नहीं है और यह तर्क नियुक्ति अधिकारी देते हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के एक बड़ी संख्या में लोग स्नातक तथा स्नातकोत्तर हैं परन्तु उन्हें श्रेणी 3 के पदों के लिए भी योग्य नहीं पाया जा रहा है, इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सेवा के अवसरों को उपलब्ध करना है या नहीं और क्या यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्ति अधिकारी अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत यह तर्क न दें कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के व्यक्तियों में से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 335 को हटाया जा रहा है या संशोधित किया जा रहा है ? यह मेरा सीधा प्रश्न है।

श्री राम निवास मिर्धा :—माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न की भावनाओं का पहले से अनुमान लगाते हुए मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस तर्क का प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जा रहा है जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है, स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को योग्य न समझने का कोई कारण नहीं है। मैंने बताया है कि केवल बहुत ही खास मामलों में जहां अति विशिष्ट अर्हताओं की आवश्यकता होती है, पदों का आरक्षण हटाया जाता है और पदों का आरक्षण हटाने की प्रक्रिया इतनी कठोर होती है कि श्रेणी 3 के पदों के लिए स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को न चुने जाने के मामलों का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री डी० बसुमतारी :—मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :—अब और अधिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

श्री जी० विश्वनाथन : :—मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों में तथा विशेषकर आकाशवाणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्तियों के लिये पदों के आरक्षिण को लागू नहीं किया जाता है ?

श्री राम निवास मिर्धा :—जैसा कि अन्य विभागों में पदों का आरक्षण किया जाता है, वैसा ही आकाशवाणी में किया जाता है।

श्री जी० विश्वनाथन :—वे मुझे इसके आंकड़े दें। यह सच नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा :—यदि माननीय सदस्य मुझे आंकड़े देने के लिए कहते हैं तो मैं उन्हें यह दे सकता हूं। अभी मेरे पास प्रत्येक विभाग के आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि वे कोई विशेष मामला बताए तो मैं उसकी जांच करूंगा।

"प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया" को पब्लिक निगम में बदलना

*288. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया" तथा अन्य एजेन्सियों को पब्लिक निगम में बदलने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) अन्तिम निर्णय लेने में असामान्य विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : (क) और (ख) : समाचार एजेंसियों के स्वामित्व प्रथा प्रबन्ध का ढांचा विचाराधीन है। इस जटिल समस्या के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय शीघ्र लेने का पूरा प्रत्यन किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी :—हमें एक तरह से यही उत्तर मिल रहा है और हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके बाद उत्तर बदला जायेगा और सरकार प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य समाचार एजेन्सियों को पब्लिक निगमों में परिवर्तित करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मेरे मित्र को याद होगा कि पिछले सप्ताह आधे घंटे की चर्चा के दौरान इस बात को उठाया गया था। उस समय भी मैंने इस मामले को माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ के लिए रखा था क्योंकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और दो एजेन्सियां हैं जो लाभ नहीं कमाती हैं। यह मामला निश्चय ही उठता है क्योंकि प्रेस आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निगम का स्वरूप क्या होना चाहिए। स्वरूप का तात्पर्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से है और इसका तात्पर्य यह भी है कि यह लाभ कमाने वाली संस्था नहीं होनी चाहिए।

मुख्य मामला, जिसके बारे में हम वास्तव में चिंतित है, इसके चलने के तरीके में हैं, ये एजेन्सियां.....

एक माननीय सदस्य :—नियंत्रण

श्री आई० के० गुजराल :—इस समय मेरी चिंता इस बात पर है कि इन दो एजेंसियों के निदेशक मंडल तथा विशेषकर प्रबन्धक और मालिकों की आवाज जोर पकड़ रही है और संपादकीय आवाज मंद पड़ रही है। इसलिए मामला यह है कि क्या यह पब्लिक सैक्टर कंपनी होनी चाहिए जिसकी मुझे आशा है कि मेरे मित्र ऐसा नहीं चाहते। और मैं स्वयं भी इसे सरकारी क्षेत्र की कम्पनी बनाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो इसमें सरकारी क्षेत्र दृढ़ विश्वास रखता हूं कि इन कंपनियों को प्रबन्धकों तथा मालिकों के प्रभुत्व वाले निदेशक-मंडल की बजाये एक न्याय-मंडल चलाये। मेरी इच्छा है कि सम्पादकों की आवाज़ आपके ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में वस्तुतः यही बात हमारे विचाराधीन है।

श्री एस० एम० बनर्जी :—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हाल ही में जबकि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारी संघ के महासंघ तथा प्रबन्धकों के बीच बातचीत हो रही थी तो प्रबन्धकों कर्मचारियों की अत्यन्त न्यायोचित मांगों को भी इस आधार पर मानने से इंकार कर दिया कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया घाटे में चल रहा है? क्या मंत्रालय इसकी जांच करेगा क्योंकि हमारा कहना यह है कि यह संस्थान घाटे में नहीं चल रहा है, और यदि घाटे में चल भी रहा है तो यह प्रशासन में कुप्रबन्ध के कारण है?

श्री आई० के० गुजराल : : मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के लिये मुझसे प्रशंसा की आशा तो नहीं रखते होंगे। परन्तु मैं इन समाचार एजेंसियों की अर्थ-व्यवस्था की देख-भाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे आकाशवाणी के अंशदान में वृद्धि करने के लिए कहा है। हम इन समाचार एजेंसियों की आर्थिक स्थिति की जांच कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैंने उसे नोट कर लिया है।

श्री विक्रम महाजन :—क्या यह सच है कि इन समाचार-एजेंसियों में से किसी को राज सहायता की जा रही है। यदि नहीं, तो क्या आकाशवाणी द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों को ही राज सहायता माना जाता है।

श्री आई० के० गुजराल : हम किस समाचार एजेंसी को राज सहायता नहीं देते हैं। परन्तु निश्चय ही हम सबसे बड़े अरादाता क्रेता हैं और हम चाहते हैं कि समाचार एजेंसियां ऐसे तरीके से चलें कि हमें उनमें अधिकांश समाचार मिल जायें। यदि एजेंसियों का प्रबन्ध इस प्रकार चलता है कि हमें विकृत समाचार प्राप्त हों तो फिर स्वाभाविक ही है कि हम इससे चिन्तित होंगे।

कपड़ा उद्योग के विकास की गति बढ़ाने वाले निकाय के रूप में राष्ट्रीय कपड़ा निगम

*289. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कपड़ा उद्योग के विकास की गति बढ़ाने वाले निकाय की भूमिका निभाने योग्य बनाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) कुछ हद तक ऐसा है।

(ख) एक योजना तैयार की जा रही है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् : इन बीमार कपड़ा मिलों को हाथ में लेने तथा फिर उन्हें गैर सरकारी स्वामित्व में देने की बजाए सरकार उन्हें सरकार क्षेत्र के अन्तर्गत रखने में असफल क्यों रही है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर न तो उचित ही है और न ही सम्बन्धित है। भाग (क) यह था कि क्या सरकार ने एक ऐसी योजना बनाने का निश्चय किया है जो कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कपड़ा उद्योग में एक आदर्श निकाय के रूप में कार्य करने में सहायता देनी और उत्तर दिया गया है : किसी सीमा तक मैं इसे समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर तो बड़ा ही इमानदारी पूर्ण है।

श्री एम० बी० राणा : उत्तर सही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का उद्देश्य कपड़ा मिलों को कुशलता पूर्वक चलाना है तथा दूसरे इन मिलों का पुर्नवास तथा नवीकरण करना और तीसरे कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में सरकारी नीति के सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करना है। अर्थात् समाज के कमजोर वर्गों के लिए कपड़े का निर्माण करना है, चौथा : रुई की वसूली के लिए विस्तृत प्रणाली का गठन करना तथा पांचवां : राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग नीति का गठन (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

1. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अखबारी कागज के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि अखबारी कागज के मूल्यों में हुई इस अत्यधिक वृद्धि के परिणाम-स्वरूप छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्र बंद होने की स्थिति में है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : **(क) तथा (ख)** बढ़ी हुई निर्माण कीमतों की पूर्ति हेतु सरकार ने नेपा मिलों को उनके द्वारा बनाए जाने वाले अखबारी कागज की एक्स मिल कीमत दो अवस्थाओं में बढ़ाने अर्थात् उन्होंने 1972-73 में समाचारपत्रों को जितना अखबारी कागज उपलब्ध किया (जो 36,550 टन बनता है) उसका मूल्य 1362 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति टन करने तथा इसके अतिरिक्त अखबारी कागज का मूल्य बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति टन करने की अनुमति दी है । जहां तक आयातित अखबारी कागज का प्रश्न है, समाचारपत्रों को वह कीमत चुकानी होती है जो विदेशी सप्लायरों से बात-चीत करके तय की जाती है । देश में पहुंचे हुए अखबारी कागज की औसतन कीमत अब एक वर्ष पहले की कीमत से लगभग दुगुनी होगी ।

(ग) सरकार को इस बात का पता है कि अखबारी कागज की कीमत में हुई वृद्धि से छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों सहित सभी समाचारपत्रों की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । समाचारपत्रों की अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभाव का सतत अध्ययन किया जा रहा है । सरकार को अभी तक किसी भी समाचारपत्र के अखबारी कागज की कीमत बढ़ने के कारण बन्द होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) सरकार अभी सम्भव उपचारात्मक कदमों को उठाने के दृष्टिकोण से स्थिति का बराबर पुनर्विलोकन कर रही है ।

श्री ज्योतर्मय बसु : प्राय: रात भर में ही उन्होंने अखबारी कागज के मूल्य 65 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं अर्थात् 1725 रुपए से बढ़ा कर 2,850 रुपए प्रति मीटरी टन कर दिए हैं और फिर भी सारा क्रय आयात पर आधारित है । हालांकि नेपा ने 75,000 टन अखबारी कागज के उत्पादन की क्षमता बना ली है, फिर वह बहुत कम उत्पादन कर रहा है विशेष कर उस उत्पादन क्षमता की तुलना में जिसका जिक्र अभी मंत्री महोदय ने किया है ।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार द्वारा यह स्वीकार किए जाने पर कि इससे छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जो कि सार्वजनिक अधिव्यक्ति का माध्यम है और जिनके पढ़ने वाले एक हजार में से केवल 13 हैं अर्थात् खटेव में सब से कम है—जबकि स्वीडन में 518, श्रीलंका में 44, संयुक्त अरब गणराज्य में 28 हैं—और इस दृष्टि से कि लोगों को शिक्षित करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एक सार्वजनिक प्रचार का साधन है, क्या सरकार सब से सस्ते दामों पर आयात किए जाने वाले अखबारी कागज को छोटे तथा मध्यम दर्जे के अखबारों के लिए अलग सुरक्षित रखेगी ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ? दूसरे, क्या सरकार इन पत्रों को सीधे रूप में एक सहायता देने अथवा अधिक विज्ञापन तथा अन्य रियायतें इन छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को देने को राज़ी है क्योंकि वह तो व्यापार का केवल एक अंश ही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में व्यस्त चित्त से सहमत हूं .....

श्री पीलू मोदी : राज सहायता ।

श्री आई० के० गुजराल : यदि श्री पीलू मोदी चाहें तो मैं उन्हें राज सहायता दे सकता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . . . .

श्री पीलू मोदी : उन्होंने संसद में एक आश्वासन दिया था ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं उस पर दृढ़ हूं । यदि वह अपने समाचार पत्र के लिए राज सहायता चाहते हैं तो मैं देने को राजी हूं. . . . . (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : केवल श्री मोदी को ही क्यों ?

श्री आई० के० गुजराल : क्योंकि श्री मोदी का मामला इस का सार्वधिक पात्र है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो आपका सम्बन्ध श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्न से है ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं आप से क्षमा चाहता हूं श्रीमन ! छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की आर्थिक स्थिति के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु की बात खूब समझ में आती है । हम इस पर चिन्तित हैं और यही कारण है कि हमारी यह नीति है कि हमें जो भी सबसे सस्ते दामों पर प्राप्त हो चाहे भारतीय अथवा आयातित––वह हम अधिकांश तथा छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को दे दें––(**व्यवधान**) कई बार सप्लाई कुल जरूरत से भी अधिक होती है । और शायद दूसरे प्रकार हमें इसमें सहायता मिलेगी । परन्तु यदि हमारी नीति है और यही जारी रहेगी ।

जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है, आपको याद होगा कि अधिकांश समाचारपत्रों ने जिनमें छोटे तथा मध्यम श्रेणी के पत्र भी शामिल हैं––अपने मूल्य बढ़ा दिए और एक तरह से उन्हें हमारी अनुमति भी प्राप्त थी इसी प्रकार अब हमने यह स्वीकार कर लिया है कि 1 मार्च से आमतौर पर हम उन्हें विज्ञापन दरों में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि देंगे ।

इसीलिए, हम उनके लिये यथासंभव प्रयास कर रहे हैं । नेपा के बारे में, मैं कहूंगा कि इसकी स्थापित क्षमता 75,000 टन की है और गत वर्ष इसका उत्पादन 35,000 टन का था । हाल ही में उसकी प्रबंध-प्रणली में कुछ परिवर्तन किया गया था और उसके फलस्वरूप उसका उत्पादन बढ़कर 50,000 प्रतिमास हो गया है । हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक या उसके कुछ बाद उत्पादन स्थापित क्षमता तक होने लगेगा । मूल्य इस कदर बढ़ रहे हैं कि उन पर दबाव डालना हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा है । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्य औसतन दुगुने हो गए हैं परन्तु हम सब से सस्ते स्रोतों से अखबारी कागज प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । दुर्भाग्य से सस्ते संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न तो विशिष्ट था । क्या सरकार सर्वाधिक सस्ती दरों पर उपलब्ध होने वाले अखबारी कागज को छोटे तथा मध्यम श्रेणी के अखबारों के लिए उठा रखेगी ? वह तो अतिरिक्त कागज की बात कर रहे हैं । छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की पूरी मांग को पूरा करने के बाद ही उन्हें शेष कागज बड़े पत्रों को देना चाहिये, क्या वह ऐसा करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं स्पष्ट करूंगा कि अब तक हमारी नीति क्या रही है । एक स्थिति थी जब कि आयातित अखबारी कागज भारतीय अखबारी कागज से सस्ता था । उस समय हम आयातित कागज छोटे मध्यम पत्रों को देते थे । गत वर्ष से स्थिति बदल गई है, अब भारतीय अखबारी कागज को आवंटन में हम छोटे तथा मध्यम पत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपलब्ध आंकड़ों से लगता है कि कमी तो बहुत ही कम है, मांग 2.5 लाख टन की है और उपलब्ध माल 2 लाख टन है। क्या सरकार 3,000 तक की बिक्री वाले नये समाचार पत्रों को इन मूल्यों पर आर्थिक दृष्टि से समर्थ मानेगी। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? यदि नहीं, तो क्या वह ऐसा कोई सर्वेक्षण करना चाहेंगे या नहीं?

श्री आई० के० गुजराल : यह 3000 की संख्या हमने इसलिये रखी थी कि ताकि बड़े तथा शृंखलाबद्ध समाचार पत्र इसका लाभ न उठा जाये। इसीलिये 3000 की संख्या किसी नये समाचार पत्र की प्रारंभिक संख्या है। वह 3000 से शुरू करके 15,000 तक जा सकता है और वह इस भार को संभाल सकता है। ज्यों ही किसी अखबार की संख्या 3000 तक पहुंच जाती है हम उसे 15000 की संख्या तक के लिये अखबारी कागज दे सकते हैं। कठिनाई यह नहीं है कि कोई पत्र चालू रह सकता है अथवा नहीं बाद के प्रश्न तो यह हैं कि किसी नये पत्र को अपनी प्रतियों की संख्या 3000 तक ले जाने में कितना समय लगता है। संभव श्री बसु को कोई अन्य ही अनुभव हुआ हो परन्तु मेरा अनुभव यह है कि किसी भी पत्र के लिये इतनी प्रतियों का विक्रय इतनी जल्दी कर पाना सरल नहीं है।

श्री अनन्तराव पाटिल : मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी सही तथा नवीनतम नहीं है। छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों के सामने दो कठिनाइयां हैं: एक तो अखबारी कागज की किल्लत और दूसरे अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि होना। मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्य दुगुने हो गये हैं। पिछले वर्ष मूल्य 1365 रुपये प्रति टन थे, इस वर्ष मार्च में 3300 रु० प्रति टन है। अर्थात् दुगुने से भी ज्यादह बढ़े हैं। जो समाचार पत्र गत वर्ष 500 टन कागज इस्तेमाल करता था उसे इस वर्ष 10 लाख रुपया अधिक देना पड़ेगा। मूल्यों में तथा विज्ञापन दरों में वृद्धि के बावजूद क्या छोटे तथा मध्यम पत्रों के लिए यह संभव है कि वे मूल्य में वृद्धि का मुकाबला करने के लिये 10 लाख रुपये अतिरिक्त अर्जित कर सकें? कनाडा की अखबारी कागज के दाम 451 डालर प्रति टन बताये गये हैं। ऐसी स्थिति में, इन छोटे तथा मध्यम श्रेणी के तथा विशेषकर भाषायी समाचारपत्रों की सहायता करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं जोकि देश की अच्छी सेवा कर रहे हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मैं अपने मित्र की गलत धारणा को ठीक करना चाहूंगा। मैं और सभी चीजों में गलती कर सकता हूं परन्तु मैं अपने द्वारा दिए जाने वाले तथ्यों में कभी ग़लती नहीं करता। मैंने यह नहीं कहा कि मूल्य दुगुने हो गए हैं। यदि वह पैंन्सिल और कागज़ ले कर हिसाब लगावें, वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जहां तक छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, हम ने दो तीन कदम उठाए हैं। एक यह है कि हम सस्ते अखबारी कागज के बारे में उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयत्न कर रहे हैं एक तो यह हुआ। दूसरे हमने इनको मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी है। तीसरे हम विज्ञापनों की दरों पर सरचार्ज पर 20 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई सुझाव है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के अनुरूप है, तो मैं उस पर खुशी से विचार करूंगा।

श्री पीलू मोदी : संभव है मंत्री महोदय ने सभी तथ्य दिए हों जिनका उन्होंने दावा किया है। परन्तु यह औसत उन लोगों के लिए निरर्थक है जो अखबारी कागज़ खरीदते हैं। तथ्य यह है कि अखबारी कागज़ के मूल्य बढ़े हैं हम सब के लिए बढ़े हैं और लगभग तिगुने बढ़े हैं। पहले हम अखबारी कागज़ का एक रिम 22 रुपए का खरीदते थे परन्तु अब तो 72 रुपए तक आता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब 75 रुपए का आता है।

श्री पीलू मोदी : जी हां, 75 रुपए तक । यह बात तो मंत्री महोदय को खुद से पूछनी है । हो सकता है कि औसतन वृद्धि दुगुने हुई हो । मैं नहीं जानता । क्योंकि मेरे पास पैंसिल नहीं है इस लिए मैं बैठ कर औसत का हिसाब नहीं लगा सकता । यह काम तो इनका है । मैं तो केवल इतना जानता हूं कि बाजार में कैसे खरीदा जाता है और मैं आपको बता सकता हूं कि इसके फल-स्वरूप कई बार ऐसा होता है कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की दशा बड़ी खराब हो जाती है । और उनकी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है । उस अन्तर का पूरा करने के लिए अखबार के खुदरा मध्यम में वृद्धि की राशि बिल्कुल अलाभकारी होगी । इसका अर्थ यह होगा कि बाहर की क्रय शक्ति इस वृद्धि को सहन न कर सकेगी । उनके द्वारा विज्ञापन अधिकार में 20 प्रतिशत की वृद्धि भी हम सभी की क्षतिपूर्ति न कर सकेगी । अब उन्होंने और आगे सुझाव मांगे हैं । मैं अपने सुझाव बाद में दूंगा । परन्तु इस बीच, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि जिस अधिकार का उन्होंने वायदा किया है वह अब अधिक होगा । श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य लोगों के सुझावों के विचार से जो कि आप द्वारा दी गई रियायतों से अलग हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप थोड़ी संख्या में अर्थात् 25,000, 20,000, 15,000 आय की बिक्री वाले समाचार पत्रों को सस्ता अखबारी कागज देने पर विचार करेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : गत एक वर्ष के दौरान, हम भारतीय भाषायी समाचार पत्र संगठन तथा आई० ई० एन० एस० के० साथ निरन्तर बात-चीत करते रहे हैं । हमने मंत्रालय में एक छोटा सा दल गठित किया है । हमने इस दल में इन दो संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया है । हम अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव पर निरन्तर विचार करते रहे हैं । इस अध्ययन के फलस्वरूप समय समय पर, हम कतिपय निष्कर्षों पर पहुंचे हैं । उदाहरणार्थ, एक स्तर पर तो हमने यह अनुभव किया कि यदि हम समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दे दें तो अखबारी कागज़ के मूल्य में वृद्धि की क्षति पूर्ति हो जायेगी अखबारों के मालिकों ने इसे स्वीकार कर लिया कि अखबारों के मूल्य बढ़ा दिए जाएं और इस बीच अख़बारी कागज़ के मूल्य और आगे बढ़ गए । फिर दूसरी बार विचार किया गया जिसके बाद हम ने विज्ञापन पर अधिभार में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना स्वीकार किया । यह दल निरन्तर कार्य करता है । वह प्राय: हर महीने अध्ययन करता है । जब भी हमें किसी नई बात का पता लगता है हम उसकी क्षति पूर्ति किसी न किसी रूप में करने की कोशिश करते हैं । ऐसी बात नहीं है कि हम एक तरफ़ा निर्णय कर लेते हैं अथवा कि वे निर्णय किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं हैं ।

जहां तक सस्ते अख़बारी कागज़ के नियतन का सम्बन्ध है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि हम चाहते हैं कि छोटे तथा मध्यम वर्ग के अख़बारों को प्राथमिकता के आधार पर सस्ता अख़बारी कागज़ देते हैं । इस समय नेपा अखबारी कागज़ आयातित कागज़ से सस्ता है । इसी लिए नेपा अखबारी कागज़ का आवंटन में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : : यह सही नहीं है ।

श्री आई० के० गुजराल : यह सही है । यदि मेरे मित्र इस सम्बन्ध में कोई मामला मुझे बताएं तो मैं इस पर सहर्ष विचार करूंगा । परन्तु हमारी नीति यही है ।

मूल्य का हिसाब लगाने तथा उनमें वृद्धि की जहां तक बात है--मेरे विचार से श्री पीलू मोदी ने अपने स्कूल या कालेज के दिनों में गणित में अधिक रुचि नहीं दिखाई है--और वास्तव में उनके सहपाठी मुझे बताते रहे हैं कि वह गणित शास्त्र में कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार होगा । श्री लिमये !

Shri Madhu Limaye : Please give an opportunity for one or two more questions.

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार नियम समिति में यह निर्णय किया गया था कि जब अल्प सूचना प्रश्न के बाद कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार होना हो तब अल्प सूचना प्रश्न पर 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : Two questions can be asked. One from this side and the second from the other. I will finish quickly, it is very small question.

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लीजिए ।

Shri Sankar Dayal Singh : My submission is that when you permit supplementaries you should give me an opportunity.

Mr. Speaker : I won't allow any more Members. I had asked you yourself and you had said that when a calling attention is there, there should not be a short noted question too. If at all that is there, it should not take more than 15 minutes. Now if you do not stand your own decision what can I do?

Shri Madhu Limaye : The Minister gives very long reply. What can we do?

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं अब और अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वायुदूषित करने वाले उद्योगों पर 'कनजेशन' कर लगाना

*282. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु-दूषित करने वाले उद्योगों पर 'कनजेशन' कर लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखबारी कागज की कमी के परिणामस्वरूप दैनिक समाचार पत्रों द्वारा पृष्ठों की संख्या घटाना

*283. **श्री पीलू मोदी**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की बहुत अधिक कमी के कारण अनेक दैनिक समाचारपत्रों को अपने पृष्ठों की संख्या घटाने को बाध्य होना पड़ा है;

(ख) क्या कई अन्य समाचारपत्रों ने अखबारी कागज की कमी के कारण रविवार को छुट्टी मनाना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी हां :

(ग) सरकार अखबारी कागज का आयात बढ़ाने और उसे शीघ्र प्राप्त करने तथा देशी अखबारी कागज के निर्माण की गति को तेज करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है ।

हैदराबाद में टेलीविजन स्टुडियो

*290. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1974-75 के दौरान हैदराबाद में एक टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). उपग्रह टेलीविजन प्रयोग जो 1975 के मध्य में चालू होना है, के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए हैदराबाद में एक टेलीविजन रिकार्डिंग स्टूडियो स्थापित किया जा रहा है ।

Telephone connections in Raipur City

*291. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are 50 such telephone connections in Raipur city in Madhya Pradesh as have not been accounted for in the Exchange there or in the Department;

(b) whether the report to this effect was published in an Indore daily on 4th February, 1974; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of Communications (Shri K. Brahmananda Reddy) : (a) to (c). The report about this appeared in "Swadesh" a daily published from Indore on 4-2-74. A special Officer deputed by the Postmaster-General, Bhopal is making a thorough investigation into this.

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद उनमें उत्पादन

*292. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की उन कपड़ा मिलों में तभी से उत्पादन बहुत कम हो गया है जब से राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उन्हें अपने हाथ में लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्धन हरिजनों के लिए विषेष योजनाएं

*293. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलत: चमड़ा कमाने तथा मैला ढोने के काम में लगे निर्धन हरिजनों को जीवनयापन, शिक्षा तथा सामाजिक सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई विशेष योजनाएं अथवा प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने व्यक्ति लाभन्वित हुए हैं।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). यद्यपि जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है ऐसी कोई विशिष्ट योजना बनाई नहीं गई है, फिर भी अस्वच्छ पेशों में लगे हुए अनुसूचित जातियों के कार्यों तथा उनके रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए 1957-58 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, चतुर्थ योजना के अंत तक 543.53 लाख रुपये का आवंटन किया गया है और उसमें से 505.96 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है। विभिन्न योजना--अवधियों में, इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वालों की ब्यौरेवार संख्या, तथा दी गई सहायता की प्रणाली और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है।

Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

*295. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the date on which the interview for filling up the post of Manager of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi was held by the Service Selection Boarder ; and

(b) whether the Service Selection Board has submitted its recommendations to the Khadi and Village Industries Commission?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b). The interviews for selection of a candidate for the post of Manager, Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, were held in April, 1973 and again in November, 1973. The Service Selection Board could not find a suitable candidate out of the persons called for the interview, except one whose candidature was not accepted by the Commission. The post has been re-advertised by the Service Selection Board.

टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट्स की चोरी के बारे में व्यापार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शिकायत का दर्ज किया जाना

*296. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने व्यापार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत किये जाने पर जो अपने आप को डाक-तार विभाग के कर्मचारी बताकर टेलीफोन उपकरण उठा ले गये थे, उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का साधारण-सा मामला दर्ज करने में तीन महीने लगाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा पुलिस विभाग को यदि कोई अनुदेश जारी किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली प्रशासन से यह ज्ञात हुआ है कि दुर्भाग्य से दिनांक 12 नवम्बर, 1973 की मूल शिकायत खो गई थी और इसलिए 14 फरवरी, 1975 को मामला दर्ज करने से पहले उस शिकायत की एक और प्रतिलिपि प्राप्त करनी पड़ी थी। अब इस मामले की जांच की जा रही है।

(ख) दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि शिकायत दर्ज करने में यदि उनका कोई दोष पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और यदि उन्होंने जानबूझ कर शिकायत दर्ज करने से इन्कार किया तो उनके खिलाफ अभियोग भी चलाया जा सकता है। शिकायतकर्त्ताओं की सूचना के लिए तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के लिए एक सतत चेतावनी के रूप में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सूचना कक्ष (रिपोर्टिंग रूम) में इस आशय का एक नोटिस लगा दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराते समय पूर्णरूप से संतुष्ट न हो तो वह सूचना कक्ष से ही पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप अधीक्षक को इस बारे में टेलीफोन कर सकता है ।

योजना-लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना

*297. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व की अधिक भावना उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने के लिए पांचवीं योजना में परिकल्पित कार्रवाई पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप दस्तावेज के कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्याय में बताई गई है । इसमें प्रशासनिक सुधार, उपयुक्त प्रबोधन और नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना, प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल हैं।

नेपा मिल्स का विस्तार

*298. **श्री बी० मायावन**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपा मिल्स म अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा इस सम्बंध में किस तारीख तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) नेपा मिल्स के उत्पादन को प्रति वर्ष 30,000 मी० टन से बढ़ाकर 75,000 मी० टन करने वाली एक योजना क्रियान्वित की जा रही है और उसके वर्ष भर में पूरा होने की आशा है ।

राज्यों की राजधानियों में तारों का शीघ्र वितरण

*299. **श्री राम प्रकाश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की राजधानियों में तारों का शीघ्र वितरण करने, विशेषकर तीन घंटे के अन्दर करने को सुनिश्चित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तारों के वितरण के सम्बन्ध में इसी प्रकार के पहले किए गए निर्णय कहां तक क्रियान्वित किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मा नन्द रेड्डी) : (क) और (ख). हालांकि ऐसा कोई औपचारिक फैसला इस समय या इससे पहले नहीं किया गया है, फिर भी मौजूदा बाधाओं और उपलब्ध सुविधाओं

के अन्तर्गत ऐसा पक्का इन्तजाम करने की कोशिश की जाती है कि उन राज्यों की राजधानियों मे बुक हुए एक्सप्रेस और साधारण दोनों प्रकार के ज्यादा से ज्यादा तारों की डिलीवरी उनके बुक होने के समय से तीन घंटे के भीतर कर दी जाए, जिनका नई दिल्ली के साथ सीधा तार-सम्पर्क हो ।

स्वर्गीय रासबिहारी बोस की अस्थियां वापिस लाना

*300. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय क्रान्तिकारी नेता रासबिहारी बोस की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने के प्रश्न के बार में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या चांदनी चौक (दिल्ली) में उस मकान के संरक्षण के बार में भी सरकार ने निर्णय ले लिया है जहां से स्वर्गीय रासबिहारी बोस द्वारा भूतपूर्व वायसराय, लार्ड हार्डिंग पर बम फैंका गया था ; और

(घ) क्या स्वर्गीय रासबिहारी बोस तथा उत्तरी भारत के उनके क्रान्तिकारी साथियों की स्मृति में कोई स्मारक बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् ।

(घ) भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है ।

अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों तथा पोस्ट कार्डों की बिक्री से लाभ

2805. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय पत्रों, लिफाफों, टलीग्रामों की बिक्री का उद्देश्य लाभ कमाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं पर कितना लाभ कमाया गया है और गत तीन वर्षों में पोस्ट कार्डों पर कितनी राशि की हानि हुई है ; ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य अन्तर्देशीय पत्र कार्डों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । जी नहीं ।

(ख) जैसा कि टैरिफ जांच समिति ने सिफारिश की है, डाक वस्तुओं और गैर-प्रेस तारों के टैरिफ लाभ कमाने के लिए निश्चित नहीं किए गए हैं बल्कि इस दृष्टि से निश्चित किए गए हैं कि कुछ मदों पर जो सरप्लस धन अर्जित होता है वह क्षेत्रों, दूसरे क्षेत्रों में उठाए गए घाटे को पूरा करने के काम में आए जिससे कि डाक और तार शाखा अन्ततः वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर

हो जाएं । पत्रों, पोस्ट कार्डों, अन्तर्देशीय पत्र कार्डों और तारों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जो हानि या लाभ हुआ उसका उल्लेख नीचे किया गया है :—

वर्ष	पत्र (लिफ़ाफे)	अन्तर्देशीय पत्र कार्ड	पोस्ट कार्ड	गैर-प्रेस तार
		हानि (–) या लाभ (+) लाख रुपयों में		
1968-69	+871.79	–117.18	–657.22	–210.88
1969-70	+936.38	–160.70	–616.20	–475.21
1970-71	+991.26	–71.20	–543.06	–528.90

दिल्ली में वायु प्रदूषण

2806. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण रोकने सम्बन्धी एक पद्धति-बद्ध सर्वेक्षण केवल कलकत्ता और बम्बई में ही किया गया है परन्तु दिल्ली में नहीं ;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कोई धनराशि प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे धनराशि उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं तथा इस बारे में दिल्ली में एक व्यापक सर्वेक्षण कब करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) बम्बई नगर निगम और कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित वायु प्रदूषण सर्वेक्षण का कार्य बम्बई और कलकत्ता में जारी है । केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, (सी० पी० एच० आर० आई०) नागपुर द्वारा दिल्ली में वायुप्रदूषण सर्वेक्षण करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के पास भेजा गया था । दिल्ली प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई गई है ।

तुलू तथा कोंकण बोलने वाले व्यक्ति

2807. श्री पी० आर० शिनाय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) समूचे देश में, (दो) कर्नाटक राज्य में (तीन) केरल राज्य में और (चार) ग्रेटर बम्बई में तुलू भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) (एक) देश भर में, (दो) कर्नाटक राज्य में (तीन) केरल राज्य में और (चार) ग्रेटर बम्बई में कोंकणी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : 1971 की जन-गणना के भाषा सम्बन्धी ब्यौरेवार आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । जनगणना शताब्दी निबन्ध (सं० 10) में प्रकाशित कच्चे आंकड़ों के अनुसार 1971 की जनगणना में पूरे देश में 1,156,950 व्यक्तियों ने तुलू को अपनी मातृ भाषा तथा 1,522,684 ने कोंकणी को अपनी मातृ भाषा घोषित की थी ।

राज्यों में आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना

2808. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी तथा पिछले क्षेत्रों का वहां के लोगों के लिए और अधिक केन्द्रीय क्षेत्रों की योजनाओं के माध्यम से "योजना के अन्दर ही योजना" बना कर तथा विकास के लिए ऐसे क्षेत्रों को निश्चित करके एवम् सामान्य नियतन में से उनके लिए धन राशि उपलब्ध कराकर विकास करने की कोई नई नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत वे राज्य जहां आदिवासियों की आबादी अधिक है, उप-परियोजनाएं बना सकते हैं । आदिवासियों की आबादी के क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना है तथा प्रत्येक सैक्टर को इन क्षेत्रों के लिए अपने प्रयत्न निर्धारित करने की आवश्यकता होगी ।

(ख) उप-परियोजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा आवश्यक मार्ग-दर्शन जारी किए गए हैं । इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को लिखा गया है । 3 से 5 लाख जनसंख्या वाले राज्यों को विकासक्षम क्षेत्रों के लिए विकास परियोजनाएं तैयार करने की और आवश्यकता है । इन क्षेत्रों को राज्य साधनों के अतिरिक्त केन्द्र से उपयुक्त सहायता दी जाएगी ।

Disappearance of a lady employee of Bhagalpur Telephone Exchange

2809. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1403 on 21st November, 1973 and state the results of investigations made by the Police into the disappearance of a lady employee of Bhagalpur Telephone Exchange?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : According to the Police investigation report Smt. Sati Bhattacharya, Telephone Operator, Bhagalpur is believed to have committed suicide by drowning in the river Ganges on account of domestic difficulties. The body of the deceased could not be traced. Murder has not been suspected by the police in this case.

बच्चों के लिए अच्छी फिल्मों का उत्पादन

2810. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिए अच्छी फिल्में बनाने के लिए उद्योग अथवा चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी ने अभी तक मिलकर कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसी फिल्में बनाने वाले रूस, जापान, जर्मनी और पोलेंड से बच्चों के लिए कुल कितनी फिल्मों का आयात किया गया; और

(ग) बच्चों के हित के लिए ऐसी फिल्में बनाने, उनका आयात करने और डबिंग करने अथवा उनका हिन्दी में नाम लिखने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) बालचित्र समिति पहले ही 85 बाल फिल्में बना चुकी है, परन्तु सरकार ने यह महसूस किया है कि बाल फिल्म अभियान को नई शक्ति प्रदान करने के लिए और अधिक संयुक्त प्रयत्नों की आवश्यकता है। 1974-75 के दौरान बच्चों के लिए कई फीचर तथा छोटी फिल्में बनाने के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। तीन नई छोटी फिल्में शीघ्र ही मुकम्मल हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त, समिति ने सारे देश के 20 से अधिक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं से सम्पर्क किया है और बच्चों के लिए उपयुक्त फिल्में बनाने के लिए उनका सहयोग और सहायता मांगी है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समिति की नई कार्यकारी परिषद तथा निर्माण समिति में एक अच्छी संस्था के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं को सहयोजित किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाल फिल्म समिति ने कोई बाल फिल्म आयात नहीं की है।

(ग) (1) 1974-75 के दौरान बहुत अच्छी विदेशी बाल फिल्में खरीदने तथा उनको हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में डब करने के लिए 3.20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(2) नवम्बर, 1973 के दौरान, बाल चित्र समिति ने लखनऊ और कानपुर में चुनी-चुनी भारतीय तथा विदेशी बाल फिल्मों का एक साप्ताहिक समारोह आयोजित किया। चैकोस्लोवाक बाल फिल्मों का एक और समारोह 1973-74 के दौरान दिल्ली तथा 9 अन्य केन्द्रों पर आयोजित किया गया।

(3) मई/जन, 1974 में एक और अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(4) इन मंचों का ऐसी उपयुक्त फिल्मों की खोज के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है जो रूपान्तरित या डब की जा सकें और हमारे दर्शकों द्वारा पसन्द की जा सकें।

समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि

2811. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से अखबारी कागज की कमी हुई है तब से अंग्रेजी के दैनिक समाचारपत्रों ने दो बार मूल्य बढ़ाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी सीमा निर्धारित करने का है जिससे आगे मूल्य न बढ़ाये जा सके; और

(ग) समाचारपत्रों को अधिक अखबारी कागज सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे यह उद्योग स्वयं मूल्यों में कमी कर सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल अंग्रेजी के कुछ ही दैनिक समाचारपत्रों ने अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती लागू होने की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 1973 से अपनी कीमतों में दो बार वृद्धि की है।

(ख) जी, नहीं । प्रकाशकों ने अखबारी कागज की बढ़ी हुई कीमत तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चे को वहन करने हेतु अपनी आय बढ़ाने के लिए समाचारपत्रों की कीमतों में वृद्धि की है । सरकार प्रकाशकों की कठिनाइयों से परिचित है, परन्तु आशा करती है कि वे पत्र का मूल्य बढ़ाते समय पाठकों के हितों का भी ध्यान रखेंगे ।

(ग) सरकार अखबारी कागज का आयात बढ़ाने और उसे शीघ्र प्राप्त करने तथा देशी अखबारी कागज के निर्माण की गति को तेज करने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है । अखबारी कागज की अधिक उपलब्धता से ही समाचारपत्रों की कीमतें जो आयोजित और देशी दोनों प्रकार के अखबारी कागज के मूल्य, जो बढ़ रहे हैं, सहित अन्य बातों पर निर्भर करती है, कम नहीं हो सकती ।

Applications from M. P. for Industrial Licences

2812. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether recently applications have been received from industrialists as a result of the great efforts made by the Department of Industries of Madhya Pradesh and the State Government have recommended them to the Government of India for registration for issue of necessary licences; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) Normally applications under the Industries (D & R) Act, 1951 are received in the Ministry of Industrial Development (Secretariat for Industrial Approvals) directly from the parties and thereafter the Ministry calls for the comments of the various scrutiny agencies including the State Governments. From November, 1973 to February, 1974, 78 complete applications for location in Madhya Pradesh have been received. Information as to how many of these applications have been made as a result of the efforts made by the State Industries Department is not available.

(b) Of these applications, 21 applications have been disposed of and the remaining are being processed.

Allotment of houses to S. C. and S. T. persons in Madhya Pradesh

2813. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to allot houses to Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons through Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporation in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

आयातित औद्योगिक कच्चे माल की कमी

2814. **श्री डी० डी० चन्द्र गौड :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता अथवा कमी के कारण उत्पन्न होने वाली आयातित औद्योगिक कच्चे माल की कमी का सामना करने के लिए कोई आकस्मिक योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये तथा कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के आयात तथा लौह एवं अलौह धातुओं के आयात तथा अन्य सामान के आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) ठीक-ठीक आंकलन प्रस्तुत करना अभी सम्भव नहीं ।

Pak nationals with pakistani passports staying in Jammu and Kashmir

2815. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals with Pakistani passports staying in Jammu and Kashmir, district-wise, at present; and

(b) the number of those, out of them, whose visas have been extended during the last six months?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to the information available, 56 Pakistani nationals with Pakistani passports were staying in Jammu and Kashmir as on 28th February, 1974. The district-wise position was as follows :—

Srinagar	43
Baramula	6
Jammu	7

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Appointment of Controller in Sick Textile Mills, Andhra Pradesh

2816. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) The number and names of sick textile mills in Andhra Pradesh at present for which Government have appointed controllers; and

(b) the figures of profit and loss in respect of these mills for the year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) A statement is attached.

Statement

At present, there are 6 textile undertakings in Andhra Pradesh, whose management has been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit/loss (provisional figures) made by them during the period April, 1973 to November, 1973 are as follows :—

Sl. No.	Name of the undertaking	Net profit/loss (Provisional)
		(Rs. in lakhs)
	Under Industries (Development and Regulation) Act, 1951	
1.	Azam Jahi Mills Ltd., Warangal	(−)7·91
2.	Netha Cooperative Spinning Mills Ltd., Hyderabad	(+)6·62
3.	Natraj Spg. and Wvg. Co. Ltd., Nirmal	(+)2·36
	Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972.	
4.	Anantapur Cotton Mills Tadapatri	The mill has been re-started recently.
5.	Adoni Cotton Mills, Alur Road, Adoni	The physical possession of these mills has not yet been taken over due to stay orders issued by courts.
6.	Tirupathi Cotton Mills, Renigunta	

Burning of a copy of Indian Constitution at Muktsar in Ferozepur District

2817. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri H. M. Patel : } Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some persons had burnt a copy of Indian Constitution at Muktsar in Ferozepur District in January, 1974; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to information received from the State Government no such incident has come to notice.

(b) Does not arise.

Number of Pak Nationals on long term visas in Bihar

2818. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals on long term visas in Bihar at present, District-wise; and

(b) the number of those, out of them, whose visas have been extended for more than one time so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मंत्रियों द्वारा दौरे

2819. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज्योतिर्मय बसु : } क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच महीनों में प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्री मंडल के मंत्रियों ने देश में राज्यवार कितने दौरे किये; और

(ख) इस कार्य पर केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र के लिए उपकरणों का आयात

2820. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र के लिये कनाडा सरकार द्वारा उपकरणों की सप्लाई करने से इन्कार किये जाने के कारण उक्त संयंत्र के निर्धारित कार्य पर कहां तक बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) इन वस्तुओं का देश में उत्पादन करने तथा आवश्यक वस्तुओं का किसी अन्य देशों से आयात करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन पुर्जों की सप्लाई करने की इच्छा व्यक्त की है तथा उन पुर्जों को तुरन्त प्राप्त करने तथा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) . कनाडा ने ऐसे रिऐक्टरों के लिए, जो उसे मान्य सेफगार्डों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उपकरणों तथा उपस्करों की सप्लाई पर जो प्रतिबन्ध लगाये हैं उनसे मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना की प्रगति पर यह प्रभाव पड़ा है कि जिन उपस्करों के निर्माण के लिए कनाडियन निर्माताओं को आर्डर दिये जा चुके थे या दिये जाने थे, उनकी सप्लाई के लिए अन्य वैकल्पिक निर्माता तलाश करने पड़ेंगे। जहां तक सम्भव हो सका है वहां तक, वैकल्पिक भारतीय सप्लायर तलाश करने के लिए प्रबन्ध किये जा चुके हैं। जहां ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है वहां विदेशों में उपयुक्त वैकल्पिक सप्लायर तलाश किये जा रहे हैं। क्योंकि इन प्रबन्धों को पूरा करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, अतः मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना को पूरा करने में कुछ विलम्ब होगा। तथापि, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना को यथासम्भव शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। जिन देशों ने मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के लिए उपकरण सप्लाई करने की इच्छा प्रकट की है उनके नाम बताना जन-हित में नहीं होगा।

तरल प्रणोदक एकक स्थापित करने के लिए स्थान

2821. **श्री वयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री केरल में तरह प्रणोदक एकक स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 3394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त मामले में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वाई० एम० सी० ए० होस्टल, दिल्ली के निवासियों से शिकायतें

2822. **श्री भान सिंह भारा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाई० एम० सी० ए० होस्टल, दिल्ली के निवासियों की कथित शिकायत की ओर दिलाया गया है कि उन्हें समाज विरोधी तत्वों द्वारा परेशान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) वाई० एम० सी० ए० टूरिस्ट होस्टल-कम-प्रोग्राम सैन्टर के महा मंत्री से अप्रैल, 1973 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अतिक्रमण करने, वहां रहने वालों को परेशान करने तथा सामाजिक समारोहों में अशान्ति करने के आरोप थे। उस क्षेत्र के आसपास पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और उसके बाद वहां से कोई शिकायत नहीं हुई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु-संगणक बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस जारी करना

2823. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच या छः लघु-संगणक बनाने वाले उद्योगों को लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में भी ऐसा कोई उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग में लघु-संगणकों के निर्माण के लिए कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पर सम्प्रति विचार हो रहा है। जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की निश्चित संख्या देश में लघु-संगणकों की संभावित मांग पर और आवेदक विशेषों की कोटि पर निर्भर करेगी। लघु-संगणकों पर इलेक्ट्रानिकी विभाग ने जो पेनल गठित किया था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसका विभाग में अध्ययन हो रहा है। लघु-संगणकों के लिए लाइसेंस व्यवस्था तब ही की जायेगी जबकि इलेट्रोनिकी आयोग इस क्षेत्र में नीति निर्णय ले ले।

(ख) और (ग). इलेक्ट्रोनिकी कोरपोरेशन आफ इण्डिया जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक लोक क्षेत्र उपक्रम है, टी० डी० सी० 312 संगणकों का पहले से ही निर्माण कर रहा है। ये संगणक लघु-संगणकों की श्रेणी के हैं। वी० ई० एल० (रक्षा उत्पादन मंत्रालय के अधीन लोक क्षेत्र उपक्रम) भी लघु-संगणकों का निर्माण अपने हाथ में ले रहा है। इलेक्ट्रोनिक्की विभाग से संबंधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भाग स्वरूप, सरकारी क्षेत्र में लघु-संगणकों हेतु एक अन्य निर्माण यूनिट के गठन की परियोजना पर विचार किया जा रहा है। अभी विस्तृत ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

पालघाट में उपकरण बनाने का कारखाना

2824. **श्री बयालार रवि :**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के पालघाट जिले में उपकरण बनाने के प्रस्तावित कारखाने को हाल ही में अन्तिम रूप से स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की प्रमुख बातें क्या हैं और इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई और कारखाना कब पूरा हो जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में पालघाट संयंत्र स्थापित करने का कार्य पहले ही इन्स्टूमेन्टेशन लि० कोटा को इसके दूसरे एकक के रूप में सौंप दिया गया है। इसमें फिलहाल नियन्त्रण वाल्वों, सेफ्टी रिलीफ वाल्वों और एक्युयेटरों का जो इन्स्टूमेन्टेशन प्रणाली की टर्न की व्यवस्था का प्रमुख अंग होंगे उत्पादन किया जाएगा। एकक को जापान के मै० यामाटेक हनीवेल के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। संयंत्र का प्रस्तावित पूंजी निवेश 27 करोड़ रुपए (बस्ती को छोड़ कर) होगा जिसमें 75 लाख विदेशी मुद्रा होगी। पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर लेने पर इसमें करीब 600 व्यक्तियों को काम मिलेगा। संयंत्र में पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेने पर विद्यमान मूल्य स्तर के अनुसार करीब 5.5 से 6 करोड़ रु० तक का उत्पादन होगा।

सहयोग करार पर 17 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षर किए गए। उपकरणों, संयंत्रों, और मशीनों तथा परीक्षण उपकरणों की सूची विदेशी सहयोगी कम्पनी के परामर्श से तैयार की जा चुकी है। देशी उपकरणों के लिए आशय पत्र भेज दिए हैं। जहां तक आयातित पूंजीगत उपकरणों का प्रश्न है शीघ्र ही पूंजीगत माल का लाइसेंस जारी किया जा रहा है। तथा क्या देश शीघ्र ही दिए जा सकेंगे। मुख्य संयंत्र भवन का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और यह आशा की जाती है कि निर्माण के लिए निविदाएं अप्रैल, 1974 के शुरु तक दे दी जाएंगी। साथ ही परियोजना के लिए आवश्यक जल पूर्ति, बिजली और अन्य समवद्ध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आवश्यकता कुछ कर्मचारी पालघाट में कार्य पर हैं। पालघाट में पूरा परियोजना दल अप्रैल-मई 1974 तक कार्यरत हो जाएगा। संयंत्र का डिजाइन और इन्जीनियरी कार्य काफी हो चुका है। सभी उत्पादन कार्यों के लिए प्रारम्भिक नियोजन प्रारम्भ किया जा चुका है।

वर्तमान संकेतों के अनुसार परियोजना के 1975 के मध्य तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

नारियल जटा विकास योजना

2825. श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित केरल के उद्योग मंत्री के इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि केन्द्रीय सरकार ने 60 करोड़ रुपये की नारियल जटा विकास योजना की क्रियान्वित में कोई रुचि नहीं ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हे और इस बारे में वास्तविक तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में कायर (नारियल जटा) की सहकारी समितियों के ढांचे के परिवर्तन की योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दे दी है। इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए 3 वर्ष तक सहायता देगी। 1973-74 वर्ष के लिए 100 लाख रु० की राशि राज्य सरकार को दी गई है।

Working Capital of Hind Cycles

2826. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the value of assets and liabilities of Hind Cycle Company at the time of its recent take over by Government; and

(b) whether Government has enhanced its capital; if so, the amount ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) According to the report of Investigation Committee appointed under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the total assets and liabilities of the company as on 31st March, 1973, amounted to about Rs. 608 lakhs and Rs. 610 lakhs respectively.

(b) No, Sir.

P. C. Os. in Post Offices in Bihar

2827. Shri Jagdish Narain Mandal : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in Bihar which have no public telephone so far;

(b) the time by which the public call offices will be installed in these Post Offices;

(c) whether there are post offices which have got telegraphic facilities but do not have telephone; and

(d) the number and the places where they are situated?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha on receipt.

बारडोली, सूरत में किसान-आन्दोलन

2828. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सूरत जिले के वारडोली स्थान पर किसान-आन्दोलन हिंसापूर्ण हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

मछलियों के परिरक्षण के लिए आइसोटोपों का प्रयोग

2829. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछलियों और विशेष रूप से समुद्री मछलियों के परिरक्षण के लिये आइसीटोपों के उपयोग की अभी तक अनुमति न देने का सही वैज्ञानिक कारण क्या है; और

(ख) क्या समुद्री मछली के परिरक्षण के लिये आइसोटोप (रेडियो) का उपयोग करने से (एक) समुद्री-उत्पादों को प्राप्त करने का हमारा क्षेत्र हजार गुना बढ़ जायेगा और (दो) खेती के लिये मत्स्य खाद तथा मुर्गे-मुर्गियों के लिये मत्स्य-चारा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों की गामा किरणों की सहायता से परिरक्षित करने के जो तरीके भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित किये गये हैं उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रयोग में लाने की अनुमति स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी, हां । किरणीयन की सहायता से समुद्री मछलियों को परिरक्षित करने का लाभ यह होगा कि समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ काफी लम्बे समय तक भंडारित किये जा सकेंगे तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने और बेचने के काम में वे लम्बे समय तक खराब नहीं होंगे । खेती के काम आने वाली मत्स्य-खाद्य तथा मुर्गे-मुर्गियों को दिये जाने वाले मत्स्य-चारे जैसे अपशिष्ट पदार्थों को परिरक्षित रखने के लिये उनका किरणीयन करना आवश्यक नहीं होगा ।

शिक्षित बेरोज़गारों के लिए द्रुत कार्यक्रम के अधीन रोज़गार अवसरों का पैदा करना

2830. श्री राम कंवर : क्या **योजना** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक कितने अवसर पैदा किये गये हैं; और

(ख) यह योजना कब तैयार की गई थी और कितने शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार देने की कल्पना की गई थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : शिक्षित बेरोज़गारों को बहुत सारे रोज़गार अवसर उपलब्ध करने के लिए लोक योजना कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान रोज़गार चाहने वाले शिक्षित लोगों को रोज़गार देने के लिए समय-समय पर अनेक विशेष कदम उठाये गये थे। इन स्कीमों के संबंध में पूरा विवरण निम्नप्रकार से है :—

(1) शिक्षित बेरोज़गारों का कार्यक्रम :

विभिन्न राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में शिक्षित लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1971-72 में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में जिन स्कीमों को शामिल किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्राइमरी शिक्षा की कोटि में सुधार और विस्तार ;
(2) लघु उद्योग स्थापित करने के लिये छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता;
(3) ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण;
(4) कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना;
(5) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार;
(6) सड़क परियोजनाओं की जांच;
(7) ग्रामीण जलपूर्ति के लिए डिजाइन यूनिटें;
(8) सिंचाई, बिजली व बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच; और
(9) प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण-भूमि और मिट्टी, भूमिगत जल, वन और खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण ।

शिक्षित बेरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमें लागू करने से 1971-72 में लगभग 40,000 रोज़गार अवसर और 1972-73 में लगभग 68,000 रोजगार अवसर अर्जित किये गये, जिनमें से अधिकांश रोजगार शिक्षित लोगों के लिए था। 1973-74 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित रोजगार संबन्धी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि 1973-74 में भी रोजगार का वही स्तर बना रहेगा जो 1972-73 में था। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस कार्यक्रम पर 1971-72 में 12.55 करोड़ रुपये 1972-73 में 41.87 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 1973-74 में इस कार्यक्रम के लिए संशोधित आवंटन 44.77 करोड़ रुपये का है ।

(2) राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम :

शिक्षित तथा अन्य व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1972-73 में इस दृष्टि से प्रारम्भ किया गया था कि राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र रोजगार सर्जन की प्रक्रिया में पूरी तरह जुट जायें। राज्यों की 26.50 करोड़ रुपए तथा संघ शासित क्षेत्रों को 0.50 करोड़ रुपए का आवंटन यह मानते हुए किया गया था कि राज्य भी समान अंशदान करेंगे ताकि परिव्यय राशि उस सीमा तक बढ़ जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आवंटन दृढ़ता से उनकी जनसंख्या के आधार पर किए गए थे तथा उनसे यह कहा गया था कि वे ऐसी स्कीमें तैयार करें जिनका लाभ शहरों के साथ-साथ ग्रामों के भी शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगारों को प्राप्त हो सके। यह अनुमान है कि 1972-73 में लगभग 3.70 लाख व्यक्तियों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए जिनमें से लगभग 50,000 शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति थे। यह कार्यक्रम 1973-74 में भी जारी रखा जायगा। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, 1973-74 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है और 90.21 श्रम दिवसों का काम सर्जित हुआ है। लाभानुभोगी शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है।

(3) शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित पांच लाख रोजगार कार्यक्रम :

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध करने की दृष्टि से 1973-74 में पांच लाख रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों ने प्रत्येक को आवंटित की गई राशि की सीमा में स्कीमें तैयार की हैं। ये स्कीमें तीन मुख्य श्रेणियों में आती हैं :—

(1) सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य में स्वनियोजन स्कीमें।

(2) विभिन्न विभागों में अंततः समाहित कर लेने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण स्कीमें।

(3) इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों जैसे शिक्षित बेरोजगार को राज्य सहायता युक्त रोजगार देने के लिए निजी रोजगारदाताओं को प्रोत्साहन स्कीमें।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई स्कीमें आजकल चल रही हैं। इन स्कीमों की रोजगार क्षमता लगभग 5 लाख है। सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अद्यतन रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। किन्तु अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 2.58 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

Rebel Mizo Leader, Lal Denga

2831. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Mizo rebel leader, Lal Denga, is still hiding somewhere in Bangladesh;

(b) whether after the creation of Bangladesh, Government of India have demanded that Mizo Rebel Leader should be apprehended and handed over to India; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Government have no such information.

(b) No.

(c) Does not arise.

तमिलनाडु राज्य सरकार को आवास के लिए नियतन

2832. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए आवास हेतु बहुत थोड़ा नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् से राज्य को आवास के लिए पांचवीं योजना में अधिक राशि आवंटित करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं तमिलनाडु राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में आवास के लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 1532 करोड़ रुपए की राज्य योजना में से आवास के लिए 72.70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 9 करोड़ रुपए ग्रामीण गृह निर्माण स्थलों के लिए रखे गए थे। किन्तु क्योंकि फिलहाल पांचवीं योजना का आकार 1110 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, अतः आवास के लिए उसमें 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस प्रश्न को नहीं उठाया ।

पांचवीं योजना के दौरान वन नीति के बारे में योजना आयोग का नोट

2833. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अभी हाल में ही वन नीति के बारे में एक नोट तैयार किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नीति को किस सीमा तक पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । वन नीति के कतिपय पहलुओं के बारे में हाल ही में एक नोट तैयार कर राष्ट्रीय विकास परिषद् की 8 और 9 दिसम्बर, 1973 को हुई पिछली बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।

(ख) नोट का सारांश संलग्न है । (**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6405/74** ।

(ग) इस नोट के मुख्य मुद्दे पांचवीं योजना प्रारूप में दिए गए हैं।

अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त के आदेशों पर गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय

2834. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त के इस आदेश को अवैध करार दिया है कि कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने वालों को गोली मारी जा सकती है ;

(ख) क्या इस न्यायालय ने सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति भी नहीं दी है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गुजरात उच्च न्यायालय ने घोषणा में निहित कार्यकारी निदेशों को अवैध करार दिया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारी जा सकती है। परन्तु कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का इस प्रकार का कोई आदेश पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया था।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं श्रीमान्। निर्णय की प्रतिलिपि प्रतीक्षित है।

पैट्रोल की खपत में किफायत के बारे में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की ओर से सुझाव

2835. श्री वसन्त साठे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में किफायत करने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) एच० पेट्रोल :--

(एक) मोटरगाडियों में लीन कारब्यूरेटर जेट का प्रयोग।

(दो) भारतीय कारों के लिए अधिकाधिक बचत की रफ्तार सीमा।

(तीन) मोटरगाडियों को ठीक चालू अवस्था में रखने के लिए देखभाल करने वाले कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण।

(चार) कारों को धीरे धीरे चलाने की अवस्था में कार्बन मोनोवसाइड गैस छोडने की अधिकाधिक सीमा का निर्धारण।

(पांच) मल्टि ग्रेड तेलों का प्रयोग।

(छः) अन्य दीर्घ कालीन उपाय; जैसे :
--रेडियल टायरों का प्रयोग :
--परिवर्ती रफ्तार/दिशात्मक रेडिपेटर फैन का प्रयोग।

मिट्टी का तेल :

(एक) प्रकाश करने वाले संयंत्रों में अच्छी किस्म के मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। संस्थान ने इन करने वाले वर्तमान यंत्रों की बनावट में इस प्रकार से सुधार किया है ताकि उनमें कम धुंआं देने वाले मिट्टी के तेल (घटिया किस्म के मिट्टी के तेल में धुएं की मात्रा---चौदह-एम० एम०) का उपयोग हो सके और प्रकाश की मात्रा में भी कमी न हो। इससे मिट्टी के तेल की प्राप्यता में वृद्धि होगी।

(दो) प्रेषण स्टोवों की बनावट में सुधार करके उनकी तापीय क्षमता बढ़ाना।

डीजल इंधन :

(एक) मोटरगाडियों को अच्छी चालू हालत में रख कर अधिकाधिक बचत करने के लिए धुंआ छोडने के सम्बन्ध में कानून बनाना जरूरी है। इस सुझाव के कार्यान्वित करने के लिए संस्थान ने धुंआ के निष्कासन को नापने के लिए एक सरल सा मीटर बनाया है, जो गाडियों के सडक पर दौडते समय भी काम करता है। यह मीटर स्वदेशी है और बाहर से आनेवाले मीटर की तुलना में जिस पर कुछ हजार विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसका मूल्य चार सौ रुपए है।

(दो) सवारी गाडियों के लिए उपयुक्त एक्सल गियर रेशों/आमतौर पर अच्छी खासी बचत करने के लिए सवारी गाडियों और ट्रकों के लिए भिन्न एक्सल रेशों का होना जरूरी होता है। यह एक्सल रेशों मोटर गाडी के कुल वजन पर निर्भर करता है।

(तीन) मोटर गाडी की बाडी डिजाइन में सुधार ताकि गाडी के दौडने के समय फ्रंटल एरिया के कारण वायु अवरोध में कमी हो सके, और भार रहित मोटर गाडी के वजन में कमी।

(चार) अधिक भार ढोने के लिए ट्रकों के डिजाइन।

(पांच) गाडी चालकों और देखभाल करने वाले कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण।

(छः) स्वारी गाडियों और ट्रकों के लिए रफ्तार की अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करना।

(सात) मल्टी ग्रेड स्नेहकों का प्रयोग।

(आठ) अन्य दीर्घ कालीन उपाय, जैसे :--

(अ) आटोमेटिक इन्जेक्शन लिमिटिंग डिवाइस का प्रयोग ;

(ब) रेडियल टायरों का प्रयोग ;

(स) दिशात्मक/परिवर्ती रफ्तार रेडियेटर फेनों का प्रयोग।

स्नेहक तेल :--

प्रयुक्त स्नेहक तेलों का पुनः परिशोधन :--इस काम के लिए संस्थान ने एक विधि निकाली है जिसे बाइस उद्योगों को लाईसेन्स पर दिया जा चुका है। इसकी वार्षिक क्षमता छः हजार आठ सौ टन है।

सामान्य :—

—भारतीय मानक संस्थान (आ० एम० आई०) द्वारा प्रकाश और ऊष्मा देने वाले यंत्रों की कार्य क्षमता बढ़ाई जाए ।

—जो यंत्र आई० एस० आई० के मानकों के अनुरूप न हों उनकी बिक्री में रोक लगाई जाए ।

सचिवों की एक कमेटी और उसके उप-दलों द्वारा प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा रहा है ।

ईंधन की बचत के लिए मोटरगाड़ियों की अधिकतम गति नियत करने का प्रस्ताव

2836. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून ने मोटर गाडियों द्वारा ईंधन की खपत के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या ईंधन की बचत की दृष्टि से सरकार का मोटर गाडियों की अधिकतम गति नियत करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय की रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . सचिवों की एक समिति और उसके अन्य दलों द्वारा मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है ।

कोचीन में और इसके आसपास औद्योगिक दूषण

2837. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल शास्त्र साहित्य परिषद् और कोचीन विज्ञान संस्था द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में कोचीन और इसके आसपास होने वाले औद्योगिक दूषण की समस्याओं का गहन अध्ययन करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या कोचीन-अलवाय पट्टी में अनेक बड़े उद्योगों द्वारा दूषण होता है ; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में दूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सीमेन्ट उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास पर आधारित योजना बनाना

2838. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (सी० एस० आई० आर० के अधीन) ने सीमेन्ट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास पर आधारित योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(अ) आधारित योजना सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन/अंशकालिन उपायों का मार्गदर्शन करती है ।

(आ) योजनाबद्ध और निरन्तर अनुसंधान और विकास के गहन कार्य के लिए सीमेन्ट उद्योग में अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) का स्थान और सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान भारत का भाग लेना ।

(इ) पत्थरों की खदान के क्षेत्र में, सामग्री इस्तेमाल करने में तथा निम्न स्तरीय कच्ची सामग्री के उपयोग आदि में सीमेन्ट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) की आवश्यकताएं ।

(ई) सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान भारत के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों और सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान के विशेष कार्यों के प्रस्तावित केन्द्रों का पता इस आधारित योजना से लगता है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नये अभिकरण की स्थापना

2839. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एम० राम गोपालरेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग के समान एक नए अभिकरण का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्यत बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह नया संगठन अनुसूचित जातियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों को भी नौकरियों देगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले के संसाधनों का विकास

2840. श्री वसन्त साठे :

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विशषज्ञों द्वारा किए गए और समाचारपत्रों में छपे वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि यदि तेल की खोज में कोयले

के संसाधनों की उपेक्षा न की गई होती तो आज भारत कोयले संबंधी प्रविधि में सब से आगे : होता :

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में इस दिशा में क्या कार्यवाही की जायगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) घोष कमेटी की सिफारिशों को इन कारणों की वजह से अनुसरण नहीं किया जा सका : (अ) उस समय के भाव की कीमतों के संदर्भ में यह किफायती नहीं था । (आ) साउथ अफ्रीका में स्थित सासोल (एस०ए० एस० ओ० एल०) संयंत्र की नाकामयाबी की सूचना प्राप्त होने के कारण और (इ) भारत में परिष्कणशालाओं स्थापना करने संबंधी निर्णय और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचाने के कारण ।

(ग) कोयले के उपयोग पर सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं में प्रारंभिक स्तर एवं प्रयोगशाला स्तर का काफी कार्य किया जा चुका है । प्रविधि के अग्रिम विकास के लिये कुछ मामलों में प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आरक्षित करना

2841. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई संदेश मिला है जिसमें महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की समस्या का उल्लेख है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है जिसमें महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत रोजगार 'स्थानीय लोगों' के लिए आरक्षित करने की समस्या का उल्लेख हो । फिर भी, केन्द्रीय सरकार को उन अनुदेशों की सूचना मिली है । जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा 27 सितम्बर, 1973 को जारी किया गया बताया गया है ।

इससे पहिले, जब केन्द्रीय सरकार का ध्यान उस पत्र की ओर दिलाया गया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार के उद्योग तथा श्रम विभाग द्वारा इस आशय के लिए जारी किया गया बताया गया है कि रोजगार के मामलों में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए, तो अगस्त, 1973 में महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा गया था जिसमें अवसर की समानता के संबंध में संवैधानिक स्थिति को उनकी जानकारी में लाया गया था और साथ ही यह भी उल्लेख किया गया था कि इस संबंध में वे अपनी नीति की पुनरीक्षा करें और यदि, ऐसा कोई पत्र, जैसा कि बताया गया है, जारी किया जा चुका हो तो वे उसमें उपर्युक्त संशोधन करने पर विचार करें ।

गुजरात में पुलिस ज्यादतियों की न्यायिक जांच

2842 **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे गुजरात राज्य में कब धारा 144 के अन्तर्गत लगाये गये निषेधात्मक आदेश वापस लेने और अहमदाबाद से सेना हटाने का विचार है; और

(ख) गुजरात में कथित पुलिस ज्यादतियों जिनके परिणामस्वरूप अनेक निर्दोश व्यक्तियों के माल तथा जान की क्षति हुई, के संबंध में न्यायिक जांच करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अहमदाबाद से 16 फरवरी, 1974 को सेना की टुकड़ियों को हटा लिया गया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लगाई गई निषेधाज्ञा जो गुजरात के कुछ भागों में लागू है ज्योंही विधि तथा व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी, हटाली जायगी ।

(ख) सरकार का ध्यान अब पूर्ण रूप से राज्य में शान्ति तथा सामान्य स्थिति तुरन्त बहाल करने की ओर लगा हुआ है और वर्तमान समय पुलिस की कथित ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है :

Allocation for providing free education to Scheduled Tribes in M.P.

2843. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether one third of the population in Madhya Pradesh belongs to Scheduled Tribes;

(b) if so, the allocation made for providing them free education during the Fifth Five Year Plan; and

(c) the other steps taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Scheduled Tribes population in Madhya Pradesh is 20·14%.

(b) Educational facilities upto pre-Matric level are provided by State Government to all boys and girls belonging to Scheduled Tribes under general sector programme. However, under the State Sector Programme for Backward Classes, special provision is made to supplement the efforts of the general education sector for education of Scheduled Tribes. Central assistance to the State Government is given in the form of block grant and block loans every year. A tentative provision of Rs. 71·00 crores has been made for all the States during the Fifth Plan for the welfare of Scheduled Tribes under the State Sector Programme.

(c) Under the Centrally Sponsored Programme where the expenditure is met 100% by the Central Government, there are two schemes for educational advancement of Scheduled Tribes, namely, Post-Matric Scholarships and Girls' Hostels. The provision made for these two schemes for all the States during the Fifth Five Year Plan is Rs. 14·00 crores and Rs. 2·00 crores, respectively.

Provision for welfare of Scheduled Tribes in the Fifth Five Year Plan

2844. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total provision included in the Fifth Five Year Plan for the welfare of Scheduled Tribes; and

(b) the criteria adopted in regard to allocation of such funds to States?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The tentative Fifth Plan provision for Scheduled Tribes is as under :—

	(Rs. in crores)
Central Sector	32·00
State Sector	71·00

In addition an amount of Rs. 200·00 crores is likely to be allocated to the concerned States for integrated development of tribal areas during the Fifth Plan.

(b) The outlay under the State sector is a part of the State Plan itself and therefore question of allocating it to the States by the Centre does not arise. The Central sector outlays are for various programmes like tribal development blocks, cooperation, girls hostels, post-matric scholarships and research and training. The allocation for Tribal Development blocks depends on the number of blocks in a particular State. The other programmes are discussed at the annual Plan meetings and suitable allocations made keeping in view the total requirement of the State and the total outlays available. In respect of the additional outlay for integrated development of tribal areas the States have been asked to prepare sub-Plans for these areas. They have been requested to indicate the total outlay which is likely to flow from the State sector programmes, from Central sector programmes and credit institutions. Allocation from the Central sector will be decided after a detailed discussion with the States when the sub-Plans are presented to the Planning Commission.

केन्द्रीय भवन संस्थान, रुड़की द्वारा ग्रामीण मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में विकसित तकनीक

2845. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने तीन इंच मोटाई के पूर्वनिर्मित पेनलों के उपयोग द्वारा दो हजार रुपय प्रति एकक की लागत पर ग्रामीण मकान बनाने की तकनीकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तकनीक का प्रयोग करके ग्रामीण क्षत्रों में मकान निर्माण करने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां लेकिन प्रति एकक की लागत लगभग दो हजार दो सौ पचास रुपए है ।

(ख) संस्थान के मार्गदर्शन में ग्रामीण इंजीनियर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (यू०पी०) द्वारा जिला मेरठ के ग्राणीण क्षत्रो में इस तकनीक को अपनाकर कुछ हरिजनों के मकानों का निर्माण किया जा रहा है ।

भूतपूर्व प्रो० एस० एन० बोस के नाम पर मौलिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना

2846. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रोफसर आचार्य सत्यन्द्र नाथ बोस के 'बोस-स्टटिस्टक्स', 'यूनिफाइड फोल्ड थियोरी' में उनके अंशदान तथा उनके अन्य कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत द्वारा भौतिक उपलब्धि के रूप म मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौलिक विज्ञान पर अनुसंधान करने के इच्छुक युवा भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरणा के रूप में उनकी स्मृति की प्रतिष्ठा प्रदान की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके नामपर मौलिक अनुसंधान संस्थान को स्थापना करने का है अथवा मौलिक विज्ञान के किसी वर्तमान अनुसंधान केन्द्र का नामकरण

उनके नाम पर करेगी, यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य से क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार आचार्य [सत्येन्द्र नाथ बोस के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में कोई स्मारिका प्रकाशित करेगी, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) श्रीमन्, प्रो० एस० एन० बोस तथा उनके कार्यों की संस्मृति में जो कार्य किये जायेंगे उनसे सम्बन्धित ब्यौरों को अभी तैयार करना बाकी है ।

गौहटी में नमक की कीमत

2847. **श्री राम प्रकाश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गौहाटी में नमक को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाने के समाचरों की ओर दियाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) समाचार पत्रों में बताया गया था कि असम में नमक एक रु० प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा रहा था ।

(ख) असम में अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में नमक के वितरण हेतु अन्चलीय योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को नमक कलकत्ते से होता हुआ आता है जहां यह गुजरात में पू० तट के बन्दरगाहों व तमिलनाडु में तुतीकोरिन बन्दरगाह से जहाज से आता है । कलकत्ते से असम व उत्तर-पूर्वी आंचल के उपभोक्ता क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत रेल से आता है ।

कलकत्ता होकर समुद्र और रेल मार्ग से प्राप्त क्षेत्रीय नमक के अलावा असम को सामान्य यातायात के अन्तर्गत नमक निर्माण के स्रोतों से रेल के समस्त रास्तों से नमक मिलता रहा है । कठिनाइयां दिसम्बर, 1973 में तब आईं जबकि रेलवे ने सामान्य यातायात को सीमित कर दिया तथा बंकर के अधिभारों का पुनरीक्षण किया गया जिनके सम्पूर्ण प्रभाव से नमक के मूल्य में कुछ वृद्धि हो गई । 2-1-1974 से बंकर के अधिभार को घटा दिया गया था । कलकत्ते से असम को रेलों द्वारा भी सप्लाई की गई ।

असम में नमक की बताई गई अधिक कीमत इस तथ्य के कारण भी है कि असम सरकार की नामित (फर्में) कलकत्ते से नमक का अपना कोटा रेल से नहीं उठा रही थीं । असम में नमक की कमी तथा परिणामतः इसकी अधिक कीमत को कम करने के लिये असम सरकार को कलकत्ते से रेल द्वारा नमक का अपना कोटा उठाने के लिए अपने मनोनीतों को निदेश देने के लिए कहा गया है ।

उत्तर-पूर्वी आंचल की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है ।

केरल में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश

2848. **श्री सी० जनार्दनन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चाय बागान के कर्मचारी विदेशी स्वामित्य वाले चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ख) क्या केरल सरकार ने वर्षों पहले एक अध्यादेश केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा उक्त अध्यादेश की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस प्रकार के प्रदर्शनों की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) अध्यादेश जुलाई, 1971 में प्राप्त हुआ था ।

(ग) नीति सम्बन्धी बातों और उसके व्यापक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के अनेक सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके, इस अध्यादेश पर विचार करने की आवश्यकता है । इन पहलुओं की व्यापक रूप से छान-बीन किए जाने के परिणामस्वरूप, उसमें निहित बातों की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त ग्रुप गठित करने का निर्णय किया गया है ।

मणिपुरी तथा भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग

2850. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया याग है कि विभिन्न संस्थाओं ने मणिपुरी तथा भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मणिपुरी, भोजपुरी तथा कुछ अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करने के लिए समय-समय पर मांग की गई है। सरकार का सुनिश्चित दृष्टिकोण यह है कि 8वीं सूची को बढ़ाने से कोई लाभदायक उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि इन भाषाओं के विकास में अन्यथा प्रगति हो सकती है ।

सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाली पत्रिकाएं

2851. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 के बीच उनके विशेषांको के लिए विज्ञापन दिये गये ; और

(ख) प्रत्येक विज्ञापन के लिए कितनी राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : विभिन्न समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों और उनको दी जाने वाली राशियों के ब्यौर से सम्बन्धित सूचना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा सम्बन्धित प्रकाशकों के बीच गोपनीय समझी जाती है ।

पुर्तगाल में लम्बी अवधि तक कारावास भुगतने वाले स्वाधीनता सेनानी

2852. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ-मुक्ति संघर्ष के दौरान पुर्तगाल में लम्बी अवधि तक कारावास भुगतने वाले स्वाधीनता सैनानियों को राजनैतिक पेंशन दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्वाधीनता सैनानियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख): पेंशन देने की योजना के अन्तर्गत गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों सहित वे स्वतन्त्रता सेनानी आते हैं जिन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान भारत से बाहर की जेलों में सजा काटी थी । परन्तु जिनको पेंशन स्वीकृत की गई है उनमें से उन के नामों का पता लगाना जिन्होंने पुर्तगाल की जेलों में सजा काटी है, संभव नहीं हुआ है ।

छोटे अखबारों को बड़े अखबारों द्वारा प्रयुक्त अखबारी कागज उपलब्ध करने का प्रस्ताव

2853. **श्री मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे अखबारों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बड़ी गांठों से बचने वाला अतिरिक्त अखबारी कागज और बड़े अखबारों द्वारा अखबारी चैनों से प्रयुक्त किया जाने वाला अखबारी कागज उपलब्ध करायेगी; और

(ख) क्या इसके फलस्वरूप छोटे अखबारों की आवश्यकता आंशिक रूप से पूरी करने में मदद मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कोटा समय-समय पर निर्धारित अखबारी कागज आबंटन नीति के आधार पर अलाट किया जाता है । इस प्रकार निश्चित कोटे में लाने-ले-जाने तथा मशीन रूम में जाया होने वाले अखबारी कागज के निमित्त कुछ प्रतिशतता भी शामिल होती है । किसी समाचारपत्र को एक बार जो कोटा अलाट हो जाता है वह उसी के उपयोग के लिए होता है और उसका कोई अंश किसी अन्य समाचारपत्र को देने के लिए वसूल नहीं किया जा सकता ।

महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद

2854. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने कासरगोड़ के भविष्य के बारे में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल की तीनों राज्यों की इस समस्या को किस प्रकार सुलझायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जैसा कि सदन को विदित है महाजन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने स्वयं अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संबंधित मुख्य मंत्रियों के बीच सहमति के क्षेत्रों का पता लगाने तथा सौहार्दपूर्ण हल जो अधिकतम लोगों को मान्य हो ढूंढने की दिशा में प्रयत्न किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं ।

ओरियन्टल पेपर मिल्स द्वारा कीनिया में अखबारी कागज संयंत्र लगाना

2855. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि एक भारतीय कम्पनी, ओरियन्टल पेपर मिल्स, की ओर से 200 तकनीशिन कीनिया के सबसे बड़े कागज संयंत्र की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं जिससे कीनिया के कागज के आयात में 65 प्रतिशत कटौती हो जायेगी ; और

(ख) क्या इस कम्पनी और इन तकनीशनों का भारत में औद्योगिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) :

(क) सरकार की भारतीय उद्यमियों को सीमित आधार पर प्रोत्साहन देने की नीति के अनुसार विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिये उनकी अंश पुंजी में देशी मशीनों और तकनीकी जानकारी के रूप में अंशदान देकर कीनिया में 150 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक कागज संयंत्र लगाने के लिए मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स को स्वीकृति दे दी गई है। इसे निर्यात संवर्द्धन और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी ने इस संबंध में कुछ तकनीशियनों को कीनिया भेजा है ।

(ख) चूंकि हमारे पास देश में पर्याप्त तकनीशियन हैं, इसलिए विदेशों के संयुक्त उद्योगों में कुछ तकनीशियनों को रोजगार मिलने से देश के औद्योगिक कार्यक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पांचवीं योजना में इंजीनियरों की बेरोजगारी दूर करना

2856. श्री डी० पी० जदेजा :: श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आगामी योजना के दौरान इंजीनियरों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : 5.5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर के आधार पर लगभग 85,000 अतिरिक्त स्नातक इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवीं योजना अवधि में उपलब्ध होने वाले इंजीनियरों तथा पहले से बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या को देखते हुए, पांचवीं योजना में इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या कोई गम्भीर नहीं होगी, यदि 5.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर ली जाए।

विभिन्न योजना कार्यक्रमों, जैसे कि बड़े, दरमियाने तथा छोटे उद्योग, बिजली परियोजनायें, मिट्टी संरक्षण, बड़ी, दरमियानी और छोटी सिंचाई, संचार, कृषि सेवा केन्द्र, आदि के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के इंजीनियरों को पर्याप्त रोजगार अवसर प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि पांचवीं योजना में इन कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी मात्रा में आबंटन करने के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय सहायता दे कर इंजीनियरों को बड़े पैमाने पर स्व-नियोजन अवसर उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

गुजरात में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2857. **श्री डी० पी० जदेजा : श्री बेकरिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अपने राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के विकास के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवीं योजना में बचत में वृद्धि

2858. **श्री श्रीकिशन मोदी : श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में बचत में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कारने का सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बचत का धन सरकारी वित्तीय संस्थाओं को देने के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अधिक ब्याज दर देने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में सरकारी और निजी बचतों, दोनों, को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां तथा उपाय बताए गए हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान विशेषरूप से, पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप जो पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है, के अध्याय-2-पांचवीं योजना के उद्देश्य तथा नीतियों तथा अध्याय 4 "निवेश तथा बचत" की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्थाओं के हाथों में यह बचत पहुंचे इस दृष्टि से ब्याज की दरों के स्वरूप की बराबर समीक्षा की जाती है और सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए जब कभी जरूरत होती है तो उसमें उचित परिवर्तन किए जाते हैं। किन्तु, जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बताया गया है, सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास बचत पहुंचाने के लिए वित्तीय परिसम्पत्ति पर अधिक ब्याज देने की नीति पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ब्याज दर में एकदम वृद्धि करना न तो वाछंनीय है और न संम्भव ही है क्योंकि इस प्रकार की नीति का बचत की समग्र मात्रा पर प्रभाव सामान्यत: काफी हल्का और अनिश्चित होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले ब्याज दर में वृद्धि करने से संबंधित सभी अनमानों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।

पांचवीं योजना में टेलीविजन का विस्तार

2859. **श्री श्रीकिशन मोदी : श्री पी० गंगादेव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीविजन प्रसारण के विस्तार-कार्य के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या टेलीविजन पर उचित प्रकार के कार्यक्रम पेश करने की दिशा में भी कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उपग्रह प्रयोग के 1976 के मध्य में समाप्त हो जाने के बाद, इसके द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में टेलीविजन सेवा जारी रखने के लिये, पांचवीं योजना में 3 मूल टेलीविजन केन्द्रों और 18 रिले ट्रांसमिटरों की स्थापना की व्यवस्था है ।

(ख) दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने के अलावा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्रों में विकासात्मक प्रयत्नों को प्रभावी समर्थन देने के लिये जन-सम्पर्क के इस शक्तिशाली माध्यम का उपयोग करने के उद्देश्य से टेलीविजन कार्यक्रमों का नियोजन और निर्णण किया जा रहा है । तथापि, कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है । इन कार्यक्रमों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा इनकी आलोचनात्मक दृष्टि से समीक्षा की जाती है । समाचार-पत्रों की समीक्षाओं और दर्शकों के पत्रों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

आत्महत्या के मामले

2860. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष : 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों में आत्म-हत्या के कितने मामले हुए और उनके मुख्य क्या-क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : वर्ष 1972 के दौरान देश में आत्म हत्याओं की घटना तथा कारणों का एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी०-6406/74) वर्ष 1973 के आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं ।

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामले

2861. **श्री एस० एम० बनर्जी:** (क) क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के समय दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गए अदालती मामले अभी तक चल रहे हैं और औद्योगिक सम्बन्धों को समान्य बनाने हेतु इन कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिय कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के अधीन दर्ज, दिल्ली रक्षा कर्मचारी परिषद् के महासचिव के विरुद्ध अभी एक मामला अक्तूबर, 1968 से नई दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है ; और

(ग) इन अदालती कार्यवाहयों को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्रीराम निवास मिश्रा) : (क) से से (ग)--19 सितम्बर, 1968 को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में ग्रतग्रस्त कर्मचारियों पर अभियोग के मामले में सरकार की यह नीति रही है कि कानून को अपना कार्य करने दिया जाय । फिर भी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे इन कार्यवाहियों के शीघ्र निपटान के लिये आवश्यक कदम उठायें और अभियोग के अनिर्णीत मामलों की सावधानी से संवीक्षा करें जिससे कि इन मामलों को पर्याप्त प्रमाण न होने पर कानून के अनुसार समाप्त किया जा सके । उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मामले, जिन में वह मामला भी शामिल है जिसका इस प्रश्न के भाग (ख) में हवाला दिया गया है, अभी भी अनिर्णीत है। फिर भी, सरकार की ऊपर बताई गई नीति को देखते हुए उक्त मामले में कार्यवाहियों को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है ।

Expenditure incurred on security of Ministers

2862. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on each Minister including the Prime Minister separately under the head of their security after Lok Sabha elections of 1971; and

(b) the steps taken in this regard under economy drive?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Statement attached.

(b) In view of the paramount need for security of the Ministers, no reduction has been made in the security staff deployed for such tasks.

Statement

Statement of Expenditure incurred on Security of the Ministers during the period 1971-73.

	Unstarred Question No. 2862 *for* 13-3-1974.		
	1971	1972	1973
	(In Rs.)	(In. Rs.)	(In Rs.)
1. Prime Minister . .	3,68,730·00	3,83,184·00	3,87,894·00
2. Home Minister . .	—	—	71,868·55
3. Finance Minister .	65,822·00	67,457·00	74,564·00
4. All other Ministers .	22,082·00 each	22,407·60 each	24,162·80 each

Note.—For those Ministers who remained in Office for fraction of a year, the expenditure on security was incurred for the period they stayed in Office at the rates mentioned above.

भारतीय प्रेस परिषद् का कार्यकरण

2863. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् का कार्य ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सुचारु कार्यकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : : (क) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी जानकारी का विदेशों से मंगाया जाना

2864. श्री एम० एन० मुरुगनन्तम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी जानकारी विदेशों से मंगाये जाने और निर्यात-प्रधान उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा देने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय किया है; और (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख) : तकनीकी जानकारी के आयात पर उन्हीं उद्योगों के क्षेत्र में विचार जाता है । जिनमें कि पर्याप्त रुप से देसी जानकारी का विकास नहीं हो पाया है । परन्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उन अन्य उद्योगों क्षेत्रों में भी विदेशी सहयोग की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकती है जिनमें कि उत्पादन का काफी बड़ा हिस्सा निर्यात के लिये निश्चित कर दिया गया हो । ऐसे मामलों में अनुमित इस शर्त के अध्यधीन दी जाती है। कि निश्चित निर्यात करने के लिये भारतीय फर्म उपयुक्त गारन्टी देगी ।

दुर्गापुर में सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना के लिये बिड़ला बन्धुओं का आशय-पत्र जारी किया जाना

2865. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में बिड़ला बन्धुओं द्वारा सीमेंट का कारखाना स्थापित किये जाने के लिये सरकार ने आशय-पत्र जारी किये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या उत्पादन आरम्भ हो गया है, यदि हां, तो कितना उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख):—मैसर्स दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स, जो कि बिरला की कम्पनी है, को 6 लाख टन प्रति वर्ष ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाने हेतु दुर्गापुर में सीमेंट का संयंत्र लगाने के वास्ते 4 अक्तूबर 1971 को काम चलाते रहने का लाइसेंस दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में डाक का कथित देर से बांटा जाना

2866. श्री आर० एन० बर्मन :—क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी, 1974 के उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में डाक कर्मचारियों द्वारा डाक देर से बांटी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 के दौरान लोको कर्मचारियों की हड़ताल और इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन की तालाबन्दी की वजह से डाक की डिलीवरी में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था । ट्रेन और हवाई सेवायें दोनों ही इस समय करीब-करीब सामान्य हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें विलम्ब नहीं होगा ।

कोयला तथा तेल संकट पर काबू पाने के लिए विज्ञान और प्रोद्यौगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा सुझाये गए उपाय

2867: **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **विज्ञान और प्रोद्यौगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने कोयले के वर्तमान संकट पर काबू पाने के लिये अनेक दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय सुझाये हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :—(क) और (ख) :—विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा जिन उपायों को सुझाया गया है वे कोयले के स्रोतों की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए तेल की वर्तमान कमी से संबंधित है । इनमें तेल उत्पादों के प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता और कुशलता तथा उद्योगों में प्रयोग के लिये रासायनिक, सौर, कोयला तथा कोयला गैस जैसे प्रतिस्थापक तथा वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों, जहां तेल के बदले इनका प्रयोग किया जा सकता है, का विकास शामिल है ।

(ग) कुछ विशेषज्ञ दल, देश में संबंधित संगठनों द्वारा इनके कार्यान्वयन के लिये विशेष कार्य योजनायें तैयार कर रहे हैं ।

पुलिस बल में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी

2868. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के पुलिस बल में काम कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता से संबंधित कोई रिकार्ड मंत्रालय के पास है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासन में भ्रष्टाचार

2869. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने चुनाव भाषणों में प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में अथवा मूल्य में वृद्धि की स्थिति के लिये नौकरशाही तथा जमाखोरों के उत्तरदायी होने के बारे में कुछ जिक्र किया था; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रशासन में समूचे तौर पर सुधार करने तथा नौकरशाही के प्रभुत्व को न्यूनतम करने के लिये वह क्या विशिष्ट उपाय करने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). चुनावों के संबंध में अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषणों में उन्होंने सामान्य रूप में भ्रष्टाचार, जमाखोरी तथा चोर बाजारी आदि का सामना करने की आवश्कता का उल्लेख किया था । यद्यपि उन्होंने सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया था, किंतु उन्होंने नौकरशाही के किसी प्रकार के प्रभुत्व की चर्चा नहीं की थी । फिर भी, सरकार वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकताओं से अवगत है और देश की बदलती हुई सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसका पुनरीक्षण तथा पुनगर्ठन करने के निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा-विवाद

2870. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई सीमा-विवाद है;

(ख) क्या यमुना नदी द्वारा काटी गई भूमि पर हरियाणा निवासी हरियाणा पुलिस की सहायता से कब्जा करते जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के उन गांवों के निवासियों ने विरोध स्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच की अंतर्राज्यीय सीमा का एक भाग जमुना नदी के गहरे पानी की धारा निश्चित की गई है और यह गहरे पानी की धारा की सीमा बदलती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण कुछ विवाद पैदा हो जाते हैं परन्तु इस प्रकार का कोई सीमा विवाद नहीं है ।

(ख) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि वहां ऐसा कोई भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं । भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) गहरे पानी की धारा की सीमा को बदल कर निश्चित सीमा बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

समाचारपत्रों में विज्ञापनों और समाचारों का अनुपात निश्चित करने संबंधी विधान

2871. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बहुत बिकने वाले दैनिक सामचारपत्रों में विज्ञापनों और पाठ्य सामग्री के कालमों का अनुपात विधान द्वारा निश्चित करने के प्रश्न पर महान्यायवादी की राय ली है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि "सकाल" प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितम्बर, 1961 के अपने निर्णय में समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 के खण्ड 3(1) जिसमें केंद्रीय सरकार को, और बातों के साथ-साथ, किसी समाचारपत्र में प्रकाशित अन्य सामग्री की तुलना में विज्ञापन सामग्री के लिये दिये जाने वाले स्थान के विनियमन हेतु आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अखबारी कागज नीति संबंधी प्रकरण में 30 अक्तूबर, 1972 के अपने निर्णय में यह कहा है कि पृष्ठों पर नियंत्रण, खपत संख्या पर नियंत्रण और विज्ञापनों पर नियंत्रण से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत प्रचार, प्रकाशन और खपत संख्या संबंधी मूल अधिकारों का हनन होगा । इसलिये समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिये नियत किये जाने वाले स्थान को परिसीमित करने हेतु कोई आदेश जारी करना कानूनी रूप से संभव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि की समीक्षा

2872. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के राष्ट्रपति शासनाधीन रहने की अवधि में केंद्र की सफलताओं और विफलताओं की समीक्षा तैयार की है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह समीक्षा तैयार करके चालू सत्र में सभा पटल पर रखी जायगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राष्ट्रपति के शासन के अधीन राज्य प्रशासन की एक समीक्षा तैयार की गई थी और अगस्त, 1973 में जबकि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के लिये सदन का अनुमोदन लिया गया था, सदस्यों में वितरत की गई थी । सरकार के विचार में आगे और कोई समीक्षा करना आवश्यक नहीं है ।

मुंगेर सदर और बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

2873. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मुंगेर सदर और बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं ;

(ख) क्या उनकी संख्या बढ़ाने की मांग की गई है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सरकार अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन लगायेगी ताकि सभी विकास खंडों और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों पर ये टेलीफोन लग जायें ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय जो सार्वजनिक टेलीफोन घर मौजूद हैं उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

I. मुंगेर सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र . .	5
II. बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	6

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) . शंभूगज, बेलहर, कटोरिया और घौरैया में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से संबंधित चार प्रस्तावों की जांच की गई थी । बेलहर में एक स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये मंजूरी दी जा रही है । शेष 3 प्रस्तावों को छोड़ देना पड़ा क्योंकि ये प्रस्ताव घाटे के थे और इन पर जो घाटा होने की संभावना थी उसे माफ नहीं किया जा सकता था।

विकास खंड मुख्यालयों और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर उन्हीं स्थानों पर खोले जायेंगे जहां मौजूदा नीति के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। दूसरे मामलों में यह सुविधायें तभी उपलब्ध कराई जा सकती हैं यदि कोई इच्छुक पार्टियां डाक-तार विभाग को होने वाला घाटा पूरा करने के लिये तैयार हों । विकास खंड मुख्यालय वे श्रेणीगत स्थान नहीं हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सुविधा घाटा उठा कर दी जाती है । ऐसे स्थानों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रेणीगत स्थानों के रूप में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कोयले के अभाव में सीमेन्ट के कारखाने के भट्ठों का बन्द होना

2874. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री मधु दण्डवते } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के अभाव में देश के सीमेंट कारखानों के कितने भट्ठे बन्द पड़े रहते हैं;

(ख) सीमेंट के उत्पादन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये भट्ठों को कोयला देने के संबंध में सरकार क्या कायवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (एम० बी० राना) : (क) और (ख) : कोयले की कमी के कारण बन्द हुए भट्टों की संख्या संबंधी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । किंतु ऐसा अनुमान है कि सितम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1973 की अवधि में कोयले की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन में करीब 6.7 लाख मी० टन का नुक्सान हुआ है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सीमेंट उद्योग के लिये कोयले की अनुमानित आवश्यकता 52 लाख मी० टन मासिक आंकी गई है जबकि 45.7 लाख मी० टन मासिक का आवंटन निश्चित किया गया है । सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कोयले के संभरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खान विभाग में एक स्थाई लिंकेज समिति का गठन किया गया है तथा वह समिति सीमेंट उद्योग को कोयले की संभरण स्थिति की प्रतिमास संवीक्षा करती है। कारखाने के स्थापना स्थल, कोयले की आवश्यक किस्म आदि को ध्यान में रखकर सीमेंट कारखानों को अलग-अलग कोयला क्षेत्रों से संबद्ध कर दिया गया है । सीमेंट कारखानों को भेजे जाने वाले कोयले की नियमित रूप से देख-रेख करने के लिये कलकत्ता में एक संयुक्त मानीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । फिर भी जैसा कि नीचे दिएं गये आंकड़ों से स्पष्ट है कोयले का वास्तविक प्रेषण आवंटन की मात्रा से कम रहा है :—

(आंकड़ों मी० टनों में)

महीना	लिंकेज समिति द्वारा निर्धारित मासिक कोटा	कोयले की वास्तविक उपलब्धि	सम्भरण में आई गिरावट
सितम्बर, 1973	4,45,450	3,27,024	1,18,426
अक्तूबर, 1973	4,53,550	3,38,482	1,15,068
नवम्बर, 1973	4,53,550	3,47,331	1,06,219
दिसम्बर, 1973	4,57,250	3,25,057	1,32,193
जनवरी, 1974	4,57,250	3,27,910	1,29,340

कोयले के सम्भरण में गिरावट आ जाने के कारण कुछ सीमेंट कारखाने फरनेस आयल का प्रयोग करने के लिये मजबूर हो गये थे।

कोयले के उत्पादन में सुधार करने और इसे सीमेंट कारखानों तक पहुंचाने के लिये सरकार ने अनेक अभ्युपाय किये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयले के परविहन और वितरण के लिये आवश्यक सुधारात्मक अभ्युपायों की संवीक्षा करने हेतु खान विभाग के उप मन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

(2) रेलवे बोर्ड, कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधियों को मिलाकर कलकत्ता में एक संयुक्त प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ताकि कोयले के परिवहन में समुचित समन्वय का सुनिश्चिय किया जा सके ।

(3) रेल द्वारा कोयला भेजने के कार्य को सड़क द्वारा तथा समुद्री जहाजों द्वारा पूरक रूप में किया जा रहा है; और

(4) जिन सीमेंट कारखानों की स्टाक स्थिति कठिन है उन्हें शीघ्रता से कोयला पहुंचाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

सेवा निवृत्त आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों की पुर्नियुक्ति

2875. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री आर० पी० उलगनम्बी } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ सेवानिवृत्त आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में पुर्नियुक्त किये गये उक्त अधिकारियों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनकी पुर्नियुक्ति से आई० ए० एस० अधिकारियों की पदोन्नति रुक जायगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) क्या सूचना एकत्रित की जा रही है और इससे सदन के पटल पर रख दिया जायगा ।

गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2876. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री एम० एम० जोजफ } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केंद्र सरकार का विचार गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । यदि ऐसे कोई आरोप प्राप्त होंगे तो उन मामलों की सामान्य क्रियाविधि के अनुसार जांच की जायगी ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किये जाने पर थुम्बा स्थित एककों को बन्द कर देने के आशय का वक्तव्य

2877. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**
श्री वयालार रवि } : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष ने जनवरी, 1974 में त्रिवेंद्रम में एक सम्वाददाता सम्मेलन में कहा था कि यदि कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार का आंदोलन किया तो यह संगठन थुम्बा स्थित अपने एककों को बन्द कर देगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा वक्तव्य देने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जासूसी करने के अभियोग में पकड़े गये भारतीय तथा विदेशी नागरिक

2878. **श्री राम प्रकाश :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 के दौरान देश में जासूसी करने के अभियोग में पकड़े गये भरतीय तथा विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-73 से 31-12-73 तक की अवधि में 3 भारतीय नागरिक तथा 1 विदेशी नागरिक पकड़े गये थे । कुछ राज्यों से सूचना अभी आनी है ।

वर्ष 1974-75 के लिए दिल्ली की वार्षिक योजना पुनः तैयार करना

2879. **श्री राम प्रकाश**
श्री राम सहाय पांडे } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन से वर्ष 1974–75 के लिये उसकी वार्षिक योजना पुनः तैयार करने को कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने 90.51 करोड़ रुपये की राशि के 1974–75 के लिये जो प्रस्तावों का प्रारूप प्रस्तुत किया था उस पर अधिकारियों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद् दोनों स्तरों पर योजना आयोग में विचार किया गया था । कुल संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 1974–75 वर्ष के लिये योजना आयोग ने [redacted] रुपये का परिव्यय स्वीकार किया ।

बड़ौदा में डाकघर के जला दिये जाने का समाचार

2880. **श्री राम प्रकाश**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में 11 फरवरी, 1974 को एक डाकघर जला दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो डाक-तार विभाग को इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). तारीख 11-2-1974 को मांडवी उप डाकघर (बड़ौदा) में आग लगाने के दो असफल प्रयास किये गये थे। आग से कोई क्षति या हानि होने से पहले ही उसे बुझा दिया गया था।

हल्दिया, पश्चिम बंगाल में परिमाणु ऊर्जा संयंत्र

2881. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) इस अभ्यावेदन में, अगले दस वर्षों के दौरान राज्य में बिजली के उत्पादन में संभावित जबर्दस्त कमी की ओर ध्यान दिलाया गया है और यह निवेदन किया गया है कि कोयले की बढ़ती हुई कीमतों, कोयले पर आधारित उद्योगों में कोयले की बढ़ती हुई मांग तथा खानों के मुहानें से कोयले की ढुलाई पर पड़ने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए तथा यह मानते हुए कि पूर्वी क्षेत्र में भी परमाणु विद्युत तापीय विद्युत का एक बढ़िया विकल्प है, यह निवेदन किया गया है कि हल्दिया में या दांतन में एक परमाणु बिजलीघर लगाया जाय ।

(ग) जब तक भारत में 500/1000 मैगावाट क्षमता के बिजलीघर स्थापित करना तकनीकी आधार पर सम्भव नहीं होता है, तब तक पूर्वी क्षेत्र में कोई परमाणु बिजली घर लगाना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नही रहेगा । उस समय तक देश का हित इसी में है कि कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित स्थानों में परमाणु बिजलीघर लगाकर तथा उनसे बिजली पैदा करके उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाये ।

'हीलियम संचय परियोजना' (प्रोजेक्ट आफ हीलियम कलेक्शन) के बारे में स्वर्गीय प्रो० एस० एन० बोस द्वारा सरकार को लिखा गया पत्र

2882. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० एस० एन० बोस ने अपने स्वर्गवास से पूर्व 'हीलियम संचय परियोजना' के बारे में सरकार को एक पत्र लिखा था जिसके बारे में इंडियन एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के साथ वैज्ञानिको का एक दल कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र का पाठ क्या है; और

(ग) 'हीलियम संचय परियोजना' के बारे में वैज्ञानिक कार्य जारी रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी हां ।

(ख) पत्र का पाठ सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6407/74) ।

(ग) "हीलियम संग्रह" नामक परियोजना एक पांच-वर्षीय योजना के रूप में अप्रैल 1972 में स्वीकृत की गई थी ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वाली कथित विमान दुर्घटना के बारे में लार्ड वेवल की डायरी में उल्लेख

2883. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में छपी लार्ड वेवल की डायरी की ओर दिलाया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वाली कथित विमान दुर्घटना पर भूतपूर्व वाइसराय की प्रतिक्रिया का उल्लेख है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार के पास ये तथ्य पहले उपलब्ध नहीं थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने "वेवल—दी वायसराय जनरल" नामक पुस्तक में 164 पृष्ठ पर 24 अगस्त (1945) की निम्नलिखित प्रविष्टि देखी है :—

"मुझे आश्चर्य होगा यदि जापान की घोषणा कि सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, सही है । मुझे इसमें बहुत सन्देह है क्योंकि यदि उन्हें छिपना होगा तो वे ऐसी ही खबर फैलायेंगे । जब मैंने यह सुना तो मेरी प्रथम प्रतिक्रिया यह हुई कि मैंने अपने निजी सचिव को कहा कि वे दक्षिणपूर्व एशिया कमांड से शीघ्रातिशीघ्र इस समाचार की सावधानी से जांच करने के लिए कहें । यदि यह सत्य है तो यह एक बड़ी राहत होगी । इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन समस्या थी ।"

(ख) और (ग). यह पुस्तक 1973 में प्रकाशित हुई थी । प्रतीत होता है कि उपरोक्त उद्धरण, इस विषय में, लार्ड वेवल का निजी मत है । सरकार को इससे पूर्व इस उद्धरण की कोई सूचना नहीं थी ।

हमीरपुर डाक डिवीजन के साथ हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले को जोड़ना

2884. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले को हमीरपुर डाक डिवीजन से जोड़ने के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या; यदि नहीं, तो निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). जी हां । यह अभ्यावेदन अभी विचाराधीन है और उम्मीद है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

दिल्ली में टेलीफोन लेने के इच्छुक लोगों की सूची

2885. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन पाने को (i) दस वर्ष से अधिक; (ii) सात वर्ष से अधिक; (iii) पांच वर्ष से अधिक; और (iv) तीन वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे लोगों की 1 जनवरी, 1974 को संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(ख) उपरोक्त श्रेणी (i) के लोगों को कब तक टेलीफोन मिल जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1974 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन के लिए जिन व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

		ओ० वाई० टी०	विशेष	सामान्य
(i)	10 वर्ष से अधिक . . .	कोई नहीं	कोई नहीं	8485
(ii)	7 वर्ष से अधिक . .	कोई नहीं	351	16383
(iii)	5 वर्ष से अधिक . .	कोई नहीं	1601	21002
(iv)	3 वर्ष से अधिक . . .	99	5008	27465

(ख) 10 वर्ष से अधिक समय की सभी 8485 मांगे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज हैं और ये मांगें तीस हजारी, ईदगाह, दिल्ली गेट, करोलबाग, कनाट प्लेस, जोरबाग और ओखला क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। उपलब्ध एक्सचेंज क्षमता का सिर्फ 15 प्रतिशत भाग सामान्य श्रेणी के लिए अलाट किया जाता है। पाँचवीं योजना में उपर्युक्त एक्सचेंज इलाकों के लिए 60,000 नई लाईनें जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस व्यवस्था से ऊपर बताई गई सभी 8485 मांगें पांचवीं योजना की अवधि के अन्त तक पूरी हो जाएंगी ।

डाक तथा तार विभाग में स्थानीय लोगों की भर्ती को प्रोत्साहन दिया जाना

2886. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक तथा तार विभाग में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती करने से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों में कोई सुधार करने के लिए विचार करेगी ताकि स्थानीय लोगों की भर्ती को प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं

मौजूदा नियमों और विनियमों में स्थानीय लोगों की भर्ती पर पर्याप्त बल देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब सर्किल में दसुया उप डाकघर का दर्जा बढ़ाना

2887. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में दसुया उप डाकघर का दर्जा बढ़ा कर मुख्य डाकघर करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जैसे ही किराए पर कोई उपयुक्त इमारत मिल जाएगी, दर्जा बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी ।

नालागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज को कालका टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ना

2888. **श्री नारायण चंद पाराशर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज को कालका टेलीफोन एक्सचेंज से (इस एक्सचेंज के इस समय रोपड़ एक्सचेंज से जुड़े होने के बजाए) जोड़ने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भारत-हंगरी करार

2889. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री वीरभाद्रसिंह } क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में एक भारत-हंगरी करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भारत-हंगरी करार पर 14 फरवरी, 1974 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) इस करार के अंतर्गत दोनों देशों में सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सम्पर्क, वैज्ञानिक सम्मेलनों में योगदान, प्रलेखीकरण, प्रकाशनों का विनिमय, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के विस्तार हेतु निर्धारित क्षेत्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञों के दौरों आदि की व्यवस्था है। इस करार के अधीन कार्यान्वयन के लिए एक द्विवर्षीय कार्यकारी कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें, भवन निर्माण विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी, उपस्करों का उष्णकटि-बन्धीयकरण, सेरामिक्स (मृत्तिका-शिल्प) कांच, खाद्य प्रौद्योगिकी भू-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, अल्युमिनियम का धातुकर्मीय विकास, उच्चतापसह सामग्रियों का उत्पादन तथा उनका मूल्यांकन, औद्योगिक अनुसंधान संगठन, अनुसंधान उपयोग तथा औद्योगिक अनुसंधान सूचना के अध्ययन एवं विज्ञान नीति के क्षेत्र में सहयोग सम्मिलित हैं ।

Shooting down of a youth in the Tis Hazari Court, Delhi

2890. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a youth shot down his respondent in the Tis Hazari Court Delhi last month; and

(b) if so, the precautionary measures taken by Government to avoid such incidents in the courts?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir. The incident occurred on 17th January, 1974.

(b) Police patrolling has been intensified in the court area.

राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

2891. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के राज्यों की सभी राजधानियों में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा द्वारा सम्पर्क कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : राज्यों की राजधानियों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा दो चरणों में चालू की जाएगी । पहले चरण में पांडिचेरी पोर्ट-ब्लेयर, सिलवासा, ईवानगर, ऐजल, कावर डी, शिलांग, इम्फाल, कोहिमा और अगरतला को छोड़ कर शेष सभी राज्यों की राजधानियों को पांचवीं योजना के दौरान उपभोक्ताओं ट्रंक डायलिंग के जरिए दिल्ली से जोड़ने का प्रस्ताव है । पांचवीं योजना के बाद, दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा उत्तरोत्तर चालू की जाएगी ।

तकनीकी अर्हता वाले व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

2892. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तकनीकी अर्हता वाले सभी व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों सहित जिन्होंने 1973-74 में परीक्षा पास की है, रोजगार देने के लिए ठोस योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ख) इस समय उड़ीसा में तकनीकी अर्हता वाले कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए कृषि, भू-संरक्षण, बड़ी, मध्यम व लघु सिंचाई, बड़े, लघु व मध्यम उद्योगों, बिजली इत्यादि के क्षेत्रों में जिनके लिए पर्याप्त आवंटन का प्रस्ताव है, बहुत सारे रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे । इसके अतिरिक्त लघु उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और सेवा इत्यादि क्षेत्रों में कई स्व-नियोजन अवसर सुलभ होने की सम्भावना है, जिनके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता भी मिलेगी । आशा है कि इस प्रकार देश में तकनीकी अर्हता वाले व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों सहित जिन्होंने 1973-74 में परीक्षा पास की है, बड़ी मात्रा में रोजगार अवसर सुलभ होंगे ।

(ख) उड़ीसा में तकनीकी लोगों की बेरोजगारी के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है । बहरहाल, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के मुताबिक 30 जून, 1973 को राज्य में तकनीकी लोगों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में श्रेणीवार सूचना निम्न प्रकार से है :—

1. इंजीनियरी स्नातक	304
2. इंजीनियरी डिप्लोमा धारक	1306
3. कृषि (स्नातक और स्नातकोत्तर)	3
4. पशु चिकित्सा (स्नातक और स्नातकोत्तर)	4
5. वाणिज्य (स्नातक और स्नातकोत्तर)	894
6. अन्य	52
जोड़	2563

टेलीफोन की बकाया राशि की वसूली

2893 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन रखने वालों पर किराए, ट्रंक कालों, स्थानीय कालों और फोनोग्रामों की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इसमें से विभिन्न सरकारों प्रतिष्ठानों से कितनी राशि वसूल की जानी है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तारीख 31-8-1973 तक जारी किए गए बिलों की 1-12-1973 को उपभोक्ताओं पर कुल बकाया रकम 7 करोड़ 33 लाख 86 हजार रुपए हैं ।

(ख) राज्य सरकारों पर---92 लाख 35 हजार रुपए; रक्षा विभाग पर---1 करोड़ 6 लाख 20 हजार रुपए, केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभागों पर---77 लाख 72 हजार रुपए ।

योग : 2 करोड़ 76 लाख 27 हजार रुपए ।

(ग) (1) चूंकि टेलीफोन के बिल सेवा देने के बाद जारी किए जाते हैं, इसलिए कुछ बिल हमेशा बकाया हो जाते हैं, जिनकी वसूली करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और जिस पर यह विभाग बड़ा ध्यान देता है ।

(2) बकाया बिलों की वसूली की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है :—

शुरु में टेलीफोन पर याद दिहानी कराई जाती है । इसके बदले रजिस्ट्री से स्मरण-पत्र जारी करने की एक वैकल्पिक सुविधा अभी हाल ही में चालू की गई है । अगर याद दिलाने पर भी बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, तो टेलीफोन काट दिए जाते हैं । टेलीफोन काटने के बाद बकाया बिलों की वसूली के लिए व्यक्तिगत संपर्क किए जाते हैं या मांग पत्र भेजे जाते हैं । यदि ये कदम भी बेकार साबित होते हैं तो प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामले में रकम-वसूली की संभावनाएं देख कर अंत में कानूनी कार्यवाई की जाती है । इस प्रकार, देनदार उपभोक्ताओं से पुरानी बकाया रकमों की वसूली के लिए यह विभाग एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है ।

(3) सरकारी विभागों से बकाया बिलों की शीघ्र वसूली के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों को लिखा गया है कि वे अपने अधिकारियों को बिलों का शीघ्र निपटारा करने के बारे में हिदायतें जारी करें और एक संपर्क अधिकारी भी नामित करें जिसके साथ डाक-तार विभाग के अधिकारी बकाया बिलों की शीघ्र अदायगी के लिए लिखा-पढ़ी कर सकें ।

(4) दिल्ली में, जहां बकाया बिलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, उन सभी टेलीफोन उपभोक्ताओं को हाल ही में एक विशेष स्मरण-पत्र जारी किया गया है, जिनके नाम 31-3-73 तक के बिल भुगतान के लिए बकाया हैं।

इस नेमी प्रक्रिया के अलावा, पुराने बकाया बिलों की वसूली के लिए समय-समय पर गहन और विशेष पुनरीक्षण कार्य भी किए जाते हैं।

पटना में सूचना और प्रसारण उप-मन्त्री का वक्तव्य

2894. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण उप-मंत्री ने 11 फरवरी, 1974 को पटना में इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि अखबारी कागज का संकट दो वर्ष तक और चलता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वक्तव्य की और स्पष्ट किया जाएगा ; और

(ग) इस संकट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अख़बारी कागज की कमी भारत के लिए ही विशिष्ट नहीं है । सारी दुनिया में ही इसकी कमी है । यह कभी उत्तरी अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप, जो प्रमुख उपभोक्ता हैं, में मांग अचानक बढ़ जाने, कनाडा और स्केन्डेनेविया जो प्रमुख सप्लायर हैं, में कागज के निर्माण में थोड़ी ही वृद्धि होने और अखबारी कागज की मिलों में मजदूर संकटों के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य को धक्का लगने के कारण हुई है । केन्द्रीय सूचना और प्रसारण उप मंत्री द्वारा उल्लिखित 2 वर्ष की अवधि एक मोटा मूल्यांकन था । दुनिया में इसकी कमी के कारण, समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखबारी कागज की अपेक्षित मात्रा को आयात करना सम्भव नहीं हो सका

2. समाचारपत्रों की अखबारी कागज के हकदारी 30 प्रतिशत कटौती के उपरान्त पूरी तरह तभी पूरी की जा सकती है जब अखबारी कागज की वह मात्रा (21,26,700 टन) जिसको आरम्भ में विदेशों से उपलब्ध होने की उम्मीद थी, प्राप्त हो जाए। 28 फरवरी, 1974 के दिन की स्थिति के अनुसार जो अखबारी कागज वास्तव में देश में पहुंचा है या रास्ते में है उसकी मात्रा 54,708 टन है । इससे 71,992 टन की कमी हो जाती है । इस कमी के कारण सरकार अनेक समाचारपत्रों, उनकी हकदारी का कोटा पूर्ण रूप से नहीं दे सकी है।

3. अखबारी कागज की विश्वव्यापी कमी के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, अखबारी कागज की कीमत में बहुत वृद्धि हुई है । 1972-73 तथा 1973-74 के मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि कीमतों में वृद्धियां सप्लाई के स्रोत के ऊपर निर्भर करते हुए औसतन न्यूनतम 200 रुपए प्रति टन से लेकर अधितम 1000 रुपए प्रति टन के मध्य है ।

4. देश में निर्मित अखबारी कागज (नेपा मिल) के मामले में भी, निर्माण में बढ़ी हुई कीमतों के कारण, अखबारी कागज की एक्स-मिल कीमत ऊपर की ओर दो अवस्थाओं में बढ़ाई गई है।

पहली अवस्था में 1362 प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति टन और दूसरी अवस्था में बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति टन की गई है ।

5. एक उच्चस्तरीय अखबारी कागज खरीद समिति जिसमें सरकार, राज्य व्यापार निगम तथा समाचारपत्र उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं, सप्लाई स्थिति की बराबर समीक्षा कर रही है और विदेशी सप्लायरों को अखबारी कागज की अनुबन्धित मात्रा को जल्द भेजने के लिए मनाने और वर्ष 1974 तथा आने वाले वर्षों के लिए अतिरिक्त कागज के लिए नए अनुबन्ध करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है ।

थुम्बा केन्द्र से राकेट छोड़ने में हुई प्रगति

2895. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) थुम्बा स्टेशन से राकेट छोड़ने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) हाल ही में क्या प्रयोग किया गया और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

(क) थुम्बा राकेट प्रक्षेपण स्टेशन से 1-4-1973 से 6-3-1974 तक की अवधि में निम्नलिखित राकेट छोड़े गए :—

एम०—100	—57
सैंच्यूर	—1
मेनका—	—28
आर० एच० 125 (एम० एस० आर०)	—6
आर० एच०—125	—1
आर० एच०—100	—3
आर० एच०—300	—1

(ख) हाल ही में किए गए परीक्षण के अन्तर्गत 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के तापमान, हवा और दबाव को मापने के लिए एक मौसम-विज्ञान सम्बन्धी सांउडिंग राकेट एम०—100 छोड़ा गया था । यह परीक्षण 6 मार्च, 1974 को किया गया था, जो सफल रहा ।

राकेट और उपग्रह छोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा में परियोजनाएं लगाना

2896. **श्री बनमाली पटनायक : क्या अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा अरेंगे कि :

(क) क्या राकेट और उपग्रह छोड़ने के लिए कुछ नई परियोजनाएं लगाने के लिए श्रीहरिकोटा को चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) थुम्बा केन्द्र का विस्तार करने के बजाए सरकार द्वारा इस स्थान को चुनने के आधार क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) : श्रीहरिकोटा को 1968 में भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन के रूप में चुना गया था : श्रीहरिकोटा में बड़े राकेटों और उपग्रहों को छोड़ने से सम्बन्धित सुविधाओं के अति-

रिक्त बड़े राकेटों के लिए परीक्षण की सुविधा की व्यवस्था और ठोस प्रणोदक प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है ।

(ग) इन सुविधाओं की स्थापना के लिए थुम्बा केन्द्र की अपेक्षा श्रीहरिकोटा को चुनने के विविध कारण परमाणु ऊर्जा विभाग की 1970-71 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 130 पर दे दिए गए हैं। उनमें से मुख्य कारण ये हैं—(1) भूमि क्षेत्र की पर्याप्त मात्रा में सुलभता (ii) बाधाओं से बचने के लिए घनी आबादी से रहित चारों ओर से घिरे हुए अंतरिक्ष की सुलभता और (iii) यह केन्द्र पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण, इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि राकेट छोड़ने में पृथ्वी के घूमने का लाभ उठाया जा सकता है ।

वर्ष 1974-75 में औद्योगिक विकास की दर

2897. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह आशा कर रही है कि वर्ष 1974-75 में औद्योगों की विकास दर बढ़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी आशाएं किन स्थितियों में की गई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : : (क) जी, हां ।

(ख) कपास, जूट, गन्ना तथा तिलहन की फसलों में सुधार होने से यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कृषि पर आधारित उद्योगों की पैदावार में सुधार होगा क और कृषि पर आधारित उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल का लगभग 50 प्रतिशत है इसलिए आशा की जाती है कि इन उद्योगों का कार्य निष्पादन आगामी वर्ष की अवधि में उत्तम होगा । इसके अतिरिक्त आशा की जाती है कि आगामी वर्ष में कोयला और इस्पात के उत्पादन में भी सुधार होगा और अर्थ व्यवस्था में बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा । इनसे उद्योगों के काम करने में सुधार होने की आशा की जाती है। अन्ततः उत्पादन योजनाओं से सरकारी क्षेत्र के बड़े अनेक उपक्रमों की विशेषतया उर्वरक, बिजली जनित्रण उपकरण मशीनी औजार, ढांचों तथा अन्य निर्मित भारी वस्तुओं की योजनाओं से इन उद्योगों के उत्पादन में सुधार होने के कारणों की धारणा बनती है । बाकी, कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के अवरोधों के होने पर भी यह आशा की जाती है कि 1973-74 की अपेक्षा 1974-75 में उद्योगों का कार्य निष्पादन पूर्णरूपेण अच्छा ही होगा ।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना की जानकारी की उपेक्षा किये जाने पर इस प्रयोगशाला द्वारा चिन्ता व्यक्त किया जाना

2898. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना की जानकारी की उपेक्षा किए जाने पर उक्त प्रयोगशाला ने अप्रसन्नता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०) की तकनीकी जानकारी की उपेक्षा नहीं की गई ।

(ख) डी० जी० टी० डी०, सम्बन्धित मंत्रालयों के तकनीकी अधिकारियों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आदि जैसे विभिन्न अधिकरणों की परामर्श से उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी का निर्णय किया जाता है । कभी-कभी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा निकाली गई प्रौद्यागिकी की तुलना में विदेशों की प्रमाणित उत्पादन प्रौद्योगिकी, उत्पादन और भरासे की उत्सुकता के लिए प्राथमिकता प्राप्त कर लेती है ।

कुछ पार्टियों के समर्थकों की सेवाओं में नियुक्ति पर रोक

2899. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन् :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चार और पार्टियों के समर्थकों की सेवाओं में नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल सेवाओं का सम्बन्ध है, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Post Offices in villages with a population of 1000 to 2000

2900. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether villages with a population of 1000 to 2000 will be left without post offices even after the end of Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the number thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) : Opening of Post Offices depends mainly on the distance from the nearest post office, anticipated income and the amount of loss to be met by the Government, and not on population alone. During the Fifth Five Year Plan it is proposed to open post offices in all Gram Panchayat Villages which are at a distance of more than 2 miles from the nearest existing post office, irrespective of their population. As a result of this it is hoped that very few villages in 1000 to 2000 population category will remain uncovered. As regards villages within 2 miles of an existing post office, adequate postal facilities are already available.

तारों का साधारण डाक द्वारा भेजा जाना

2901. **सरदार महेंद्र सिंह गिल : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान 11 फरवरी, 1974 को प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि तार साधारण डाक द्वारा भेजे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार तार डाक के जरिए ऐसी स्थिति में भेजे जाते हैं यदि तार पाने वाले गंतव्य स्थान के तारघर के 8 किलोमीटर निःशुल्क वितरण घेरे से बाहर रहते हों या प्रेषकों ने 1.50 रुपए अतिरिक्त शुल्क पर विशेष संदेशवाहक से तार भेजने की बजाए डाक से तार भेजने की प्रार्थना की हो या गंतव्य स्थान के तारघर के पास जल्दी से तार भेजने का और कोई साधन न हो ।

इसके अलावा भारतीय तार नियम 79 के प्रावधानों के अनुसार जब तार संचार व्यवस्था में किसी व्यवधान के कारण दो तारघरों के बीच सामान्य मार्ग से तारों का परेषण न किया जा सके और न कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो और न ही विशेष संदेशवाहक के जरिए तारों का निपटारा करना सम्भव हो, तो तारों को मार्ग में कुछ दूरी तक या गंतव्य स्थान तक डाक के जरिए भेजा जा सकता है ।

ऐसे मामलों में तारों को डाक से तभी भेजा जाता है जब कि किसी दूसरे साधन से उनका निपटारा कर पाना सम्भव नहीं होता । डाक से भेजे गए ऐसे तारों का प्रतिशत नगण्य-सा है और यदि प्रेषक को इस बारे में पहले से ही सूचना न दे दी गई हो कि उसका तार पहुंचने में विलम्ब होगा, तो ऐसे सभी मामलों में तार की लागत में से 50 पैसे कम करके (तार के निपटारे का आंशिक खर्च पूरा करने के लिए) बाकी रकम प्रेषक को अपने आप लौटा दी जाती है ।

राष्ट्रीय फिल्म निगम

2902. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों और रचना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत मशीनरी का निर्माण

2903. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं के समक्ष यह शर्त रखी है कि वे निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऐसी मशीनरी या मशीनरी के पुर्जे बनाएं जिनके आयात की अनुमति उन्हें प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन उत्पादकों पर ऐसी शर्त लगाई गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इसे सामान्य नीति न बनाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) जिन मामलों में उत्पादन प्रक्रिया के लिए मशीनों का आयात करने की अनुमति है तथा जिनमें आयातित मशीनों का उत्पादन सम्मिलित नहीं है उनमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई है। किन्तु जिन मामलों में मशीनों अथवा अन्तर्वस्तुओं का आयात सम्पूर्ण उपकरण की रचना के लिए अनुमत है उसमें नीति के अनुसार धीरे-धीरे आयातित वस्तुओं को समाप्त करना आवश्यक होता है।

नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी के यहां मंगाए जाने का विरोध

2904. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री बसन्त राठे

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी मंगाने का निर्णय किया है जब कि नेशनल फीजिकल लेवोरेटरी, नई दिल्ली के पास ऐसी ही प्रक्रियाएं हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में नेशनल फीजिकल लैबोरेटरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हमारी तकनीकी जानकारी सेवाओं का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) डी० जी० टी० डी०, सम्बन्धित मंत्रालयों के तकनीकी अधिकारियों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों के परामर्श से उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी का निर्णय किया जाता है । कभी-कभी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा निकाली गई औद्योगिकी की तुलना में विदेशों का प्रमाणित उत्पादन प्रौद्योगिकी, उत्पादन और भरासे की उत्सुकता के लिए प्राथमिकता प्राप्त कर लेती है।

मनीपुर चुनाव में विदेशी पूंजी का प्रयोग

2905. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 फरवरी, 1974 के उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मनीपुर चुनाव में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) रिपोर्ट की पुष्टि के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां

2906. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विदेशी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की जांच करने के लिए सरकार का विचार कोई उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में किसी संस्था से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां. तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नही, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shortage of textbooks in M.P. due to shortage of paper

2907. **Shri Rana Bahadur Singh :**

Shri Arvind M. Patel : Will the Minister of **Industrial Dvelopment and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether due to shortage of paper in the country difficulties are being experienced in many States even on getting the textbooks.

(b) whether the Government of Madhya Pradesh informed the Central Government about such difficulties; and

(c) if so, the steps taken by Government after considering this matter?

The Minister of State in (Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) : On account of shortfall in production of paper during the year 1973, some difficulty is being experienced by all consumers of paper including textbook manufacturers. No specific complaint from the Government of Madhya Pradesh about such difficulties has been received.

(c) A series of meetings were held with the paper manufacturers as a result of which the paper manufacturers have agreed to step up the production of writing and printing paper.

सेवा निवृत्ति आयु के बाद अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

2908. **श्री वसन्त साठे :**

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में बड़ी संख्या में केन्द्रीय सेवा संवर्ग अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति-आयु के बाद पुनः नियुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया गया ;

(ग) सेवा निवृत्त-आयु के बाद अधिकारियों को पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; और

(घ) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : सेवा-निवृत्ति-आयु के बाद पुनः नियुक्त किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, कुछ

बहुत ही बिरले तथा आपवादिक परिस्थितियों वाले मामलों को छोड़कर, साधारणत: सेवा-निवृत्ति-आयु के बाद पुनर्नियुक्ति प्रदान किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है इस प्रकार के मामलों में भी गैर-वैज्ञानिक/गैर-तकनीकी पदों के मामले में 60 वर्ष तक तथा वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के मामले में 62 वर्ष तक ही पुनर्नियुक्ति की जा सकती है । पुनर्नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सब से अधिक इस बात पर विचार किया जाता है कि ऐसा करना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित में होना चाहिए । पुनर्नियुक्ति के प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए, पर्याप्त रूप से उच्चस्तर पर एक विस्तृत कार्यविधि निर्धारित की गई है । 60 वर्ष की आयु के बाद श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के पदों पर पुनर्नियुक्ति की मंजूरी के प्रस्तावों पर भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति लेना आवश्यक है । पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति दिए जाने से पहले एक-एक मामले की पूर्णत: जांच की जाती है ।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुन: नियुक्त किया गया था, उनकी संख्या के सम्बन्ध में तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें तीन वर्ष 1968-69, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान पुन: नियुक्त किया गया था

वर्ष	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV	जोड़
1968-69	51	24	61	2	138
1970-71	63	28	23	3	117
1971-72	74	40	137	12	26

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्रोही नागाओं का चीन भाग जाना

2909. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 100 विद्रोही नागा प्रशिक्षण प्राप्त करन के लिए हाल ही में चीन भाग गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा और बंगला देश की बीच की सीमा का जासूसी का केन्द्र बन जाना

2910. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा और बंगला देश के बीच की सीमा जासूसी का केन्द्र बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के पास इस संकेत की कोई सूचना नहीं है । कि त्रिपुरा-बंगला देश सीमा जासूसी का केन्द्र बन गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र

2911. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के मिथिला (दरभंगा) प्रसारण केन्द्र के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इस से प्रसारण होने कब तक आरम्भ हो जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दरभंगा में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र परियोजना के स्टूडियो तथा ट्रान्समिटर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है । उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं ।

(ख) केन्द्र के 1974-75 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

DEMAND FOR BAN ON SCREENING OF FILM 'BOBBY'

2912. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** pleased to state :

(a) whether any part of the film 'Bobby' was censored or it was allowed to display as it is ;

(b) whether Government have received certain memoranda from some institution and individuals branding screening of 'Bobby' as obscene and alleging that the moral of the youth affected adversely by its exhibition; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The film 'Bobby' was given Universal certificate by the Central Board of Film Censors only after effecting the necessary cuts.

(b) Yes. Sir.

(c) The matter is being looked into.

फरीदाबाद (हरियाणा) में उद्योगों का बन्द होना

2913. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में बिना सूचना के बिजली सप्लाई बिल्कुल ठप्प होने के कारण फरवरी के दूसरे सप्ताह में फरीदाबाद में रक्षा तथा निर्यात प्रधान उद्योगों सहित सभी उद्योगों में कार्य बन्द हो गया है ;

(ख) क्या इन उद्योगों के बन्द होने से सरकार को कोई हानि हो रही है; और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इन उद्योगों को चलाने तथा भारी वित्तीय घाटे से बचने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : हरियाणा सरकार से पता चला है कि फरीदाबाद में उद्योगों को बिजली की सप्लाई को फरवरी, 1974 में कुछ दिनों के लिए काट दिया गया था। केवल इसी कारण से उद्योगों के बन्द होने के कारण हुई हानि का आंकलन नहीं किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटड को कार्बाइड निर्माण के लिए लाइसेंस देना

2914. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को काबांइड के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतांरांकित प्रश्न संख्या 2458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गैस बनाने के लिए अपेक्षित काबांइड के निर्माण हेतु कोई लाइसेंस मांगा गया है ;

(ख) क्या कार्य चालू रखने सम्बन्धी लाइसेंसों वाले संयंत्रों सहित सभी विभिन्न संयंत्रों की सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ऐसा समझा जाता है कि संदर्भ औद्योगिक गैसों की अधिस्थोपित क्षमता से है। जानकारी 6-3-1974 को अन्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2069 के उत्तर में दी जा चुकी है और वे सभी एकक जिन्हें काम चालू रखने का लाइसेंस दिया गया है इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

गैसों के निर्माण के लिए इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना

2915. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक कम्पनी भारतीय राष्ट्रिकों को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जारी करेगी ताकि विदेशी शेयर पूंजी को कम करेगी, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को आक्सीजन, डिजोल्वड एसीटिलीन, और विभिन्न क्षमताओं वाली नाइट्रोजन के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए थे ;

(ख) विभिन्न औद्योगिक गैसों, लौह चूर्ण, पिलर तारों तथा वेल्डिंग फलस्कों के निर्माण के लिए लाइसेंस मांगने वाले सभी आवेदनों पत्रों को रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हाइड्रोजन अथवा अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को कोई लाइसेंस जारी किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) आक्सीजन, घुली एसिटिलीन नाटइट्रोजन इत्यादि बनाने के लिए मै० इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को 28 नवम्बर, 1973 के बाद काम चालू रखने का कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) ये आवेदन विभिन्न कारणों जैसे क्षमता का उपलब्ध न होना तथा बड़ी विदेशी बहुलांश फर्मों को लाइसेंस दिए जाने के फलस्वरूप छोटे तथा मध्ययम कारखानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गए थे।

(ग) जी नहीं, चूंकि फर्म को अभी एस० आर० टी० पी० की स्वीकृति प्राप्त करनी है इसलिए हाइड्रोजन बनाने के लिए फर्म के आवेदन पत्र का अन्तिम निपटान नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री को दिया गया कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स के विरुद्ध लगाए गए आरोपों वाला ज्ञापन

2916. **श्री सी० टी० दण्डपाणि**
श्री के० सुब्रावेलु } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कुछ विधान सभा सदस्यों ने उनको दी ज्ञापन भेजे हैं जिन में कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज उर्स तथा कर्नाटक के अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये ज्ञापन कब प्राप्त हुए; और इसमें लगाए गए मुख्य आरोप क्या हैं ;

(ग) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों को इस बारे में अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और ज्ञापनों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : कर्नाटक के कुछ विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को दो ज्ञापन तथा एक पत्र पेश किया गया था जिनमें कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। इन ज्ञापनों तथा उक्त पत्र को जुलाई तथा सितम्बर, 1973 में मुख्य मंत्री के पास उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया था जो अब प्राप्त हो गई हैं। और उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपों का सम्बन्ध कदाचार, पक्षपात, शक्ति के दुरुपयोग, प्रशासन आदि से है।

सीमेन्ट की वितरण प्रणाली

2917. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के वितरण पर से नियंत्रण के समाप्त होने के पश्चात् चोर बाजार में सीमेंट का मूल्य बढ़कर प्रति बोरी 30 रुपये हो गया है ;

(ख) क्या उचित वितरण व्यवस्था के अभाव में सीमेंट का मूल्य असमान्य रूप से बढ़ गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ग) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किये गये सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के अनुसार सीमेंट के मूल्य और वितरण पर औपचारिक नियंत्रण है। समय-समय पर इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुछ असामयिक तत्व बिजली में कटौती, मजदूरों की हड़तालों, कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति आदि के फलस्वरूप उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।

स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन लाइसेंस/परमिट जारी करके सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण लगाने के लिए उपर्युक्त आदेश जारी करने के लिये कहा गया था। उपलब्ध परिमाण का समान रूप से वितरण करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए विगत पांच वर्षों की अवधि की औसत वार्षिक खपत के आधार पर कोटे भी निश्चित कर दिये गये हैं। ये आबंटन राज्य सरकारों की विशेष सिफारिशों पर किये जाते हैं।

गैसोलीन में सीरे के अल्कोहल के तत्व मिलाकर पेट्रोल बनाना

2918. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैसोलोन में सीरे के अल्कोहल के कुछ तत्व मिला कर पैट्रोल बनाने की सम्भाव्यता पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार उनके द्वारा किये गये परीक्षणों से, स्वःचालित गाड़ियों को चलाने के लिए गैसोलीन में सीरे के अल्कोहल के मिश्रण से उत्पन्न मोटर-स्पिरिट की उपयुक्तता सिद्ध हुई है। हाल में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति की सिफारिश के अनुसरण में इस विषय में जांच करने एवं निश्चित सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की गयी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए कम्प्यूटर

2919. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का विचार एक संगणक खरीदने का है जो यातायात सम्बधी अपराधों, गत दोषसिद्धियां, यदि कोई हैं, तथा वाहनों के स्वामित्व का ब्यौरा एक दम उपलब्ध कराएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अपने लिए संगणक खरीदने का कोई विचार नहीं है। किन्तु दिल्ली में पंजीकृत मोटर

वाहनों के स्वामित्व, मोटर वाहनों के चालकों की सजा के रिकार्डों, तथा व्यापारिक मोटर वाहनों के बारे में सजा के आंकाड़ों को संगणक द्वारा तैयार करने के लिए 1974-75 में संगणक केन्द्र राम-कृष्णपुरम से संगणक किराये पर लेने का विचार है।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

2920. श्री डी० डी० देसाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में 1951 और 1973 के बीच कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में सरकारी कार्यालयों में काम में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार के अधीन पदों का सृजन उनके लिए स्पष्ट रूप से औचित्य प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में संख्या भी वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट/प्रयेत्क मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के अधीन स्थापित आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिटों द्वारा सांवधिक पुनरीक्षा किये जाने के अध्यधीन होती है। इस प्रकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या, इस ढंग से निश्चित की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संख्या सरकारी कार्य को कुशलता और शीघ्रता से निपटाये जाने के लिए आवश्यक कार्यभार पर आधारित है और पूर्णत: कम से कम है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि सरकारी कार्यालयों में कार्यभार की वृद्धि से मेल खाती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारियों की संख्या
(रेलवे को छोड़कर)

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित	योग
1951 . . (31 दिसम्बर को)	11,919	6,18,677	6,30,596
1971 . (31 मार्च को)	45,928	12,79,095	13,25,023

पद की श्रेणी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वितरण
(रेलवे को छोड़कर)

पद की श्रेणी	प्रतिवर्ष 31 मार्च को संख्या	
	1960	1971
I .	8,942	21,720
II	24,960	40,332
III . .	4,15,628	7,76,625
IV . . .	2,92,190	4,74,414
अवर्गीकृत . . . . (ब्यौरे प्राप्त नहीं हैं)	55,696	11,932
. . योग	7,97,416	13,25,023

कार्य-प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) कार्मिकों, ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक फण्ड से भुगतान किया जाता है, बाहर के देशों में विदेशी मिशनों में स्थानीय भर्ती किए गए कर्मचारियों को छोड़कर।

टिप्पणी :—(i) 31 मार्च, 1973 को, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ii) पद की श्रेणी के द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वितरण के सम्बन्ध में सूचना 1960 से पहले एकत्रित नहीं की गई थी।

सभी विज्ञापनों पर संविधिक 20 प्रतिशत विज्ञापन अधिभार लगाने की स्वीकृति

2921. **श्री राम सहाय पांडे**
श्री प्रबोध चन्द्र } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन लेंगुएज न्यूजपेपर ऐसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह सभी विज्ञापनों पर 20 प्रतिशत संविधिक विज्ञापन अधिभार लगाने की अनुमति दे दें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अखबारी कागज और अन्य सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि के कारण, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर 1 मार्च, 1974 को या उस के बाद 20 प्रतिशत का अधिभार इस विशिष्ट शर्त पर देने का निश्चय किया गया है कि समाचारपत्र प्रतिष्ठान रोजगार के वर्तमान स्तर को बनाये रखेंगे।

Documentary films depicting the life of adivasis of Madhya Pradesh

2922. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of documentary films made by Government depicting the life of **Adivasis** of Madhya Pradesh;

(b) the names of those Adivasi areas of Madhya Pradesh for which Government propose to make documentary films depicting their life; and

(c) the method adopted to show these documentary films to these people and the nnmber of times these films are shown in one year in the rural areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) The following six documentaries have been produced by the Films Division specifically on the Life of Adivasis of Madhya Pradesh :—

(i) Adivasis.

(ii) Our original inhabitants.

(iii) Report from Heartland.

(iv) Close to nature.

(v) Folk Dances of Madhya Pradesh.

(vi) Rhythm of the Heartland. (T. V. filler)..

(b) The production programme of the Films Division for the year 1974-75 will be finalised shortly in consultation with the various parties concerned.

(c) The 'approved' documentaries which are purchased/produced by the Films **Divisiona** shown in different states through Films Division's Circuit as well as through the Field Publicity Units of the Directorate of Field Publicity of the Ministry of Information and Broadcasting. In-addition, the State Governments are supplied certain number of prints free of charge and they are at liberty to purchase more prints at concessional rates for circulation through their own circuits. There is no fixed periodicity for showing a documentary in a year in rural areas.

Merit Scholarships and Merit Stipend to Adivasi children

2923. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any provision for the grant of merit scholarships and merit stipend to the Adivasi children;

(b) if so, the number of Adivasi children to whom the merit stipend and merit scholarships were given during the last three years; and

(c) if not, whether Government propose to make such a provision?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) . The information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be laid on the Table of the House in due course.

वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान भारत आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक

2924. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान कितने ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत आए और वे पाकिस्तान वापस जाने को अब तत्पर नहीं हैं और उनमें से कितने व्यक्ति इस समय भारत में जिला-वार, रह रहे हैं; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) : वर्ष 1971 के लिये अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०-टी० 6408/74] वर्ष 1972 तथा 1973 के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्रित की जा रही है ।

सही प्रौद्योगिकी (टैक्नोलाजी) सम्बन्धी नीतियों का क्रियान्वयन

2925. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सही प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार का विचार किसी स्थायी उच्च शक्ति प्राप्त केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी तक नहीं रखा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन्चेक टायर्स और नेशनल रबर्स मैन्यूफैक्चरर्ज लिमिटेड का सरकारीकरण

2926. **श्री रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को किसी स्रोत से इन्चेक टायर लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्ज लिमिटेड, कलकत्ता के सरकारीकरण के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) जी हां ।

(ख) चूंकि इन्चेक टायर्स लिमिटेड तथा नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि० अब सामान्य रूप से कार्य कर रहे बताये जाते हैं, इन दोनों कारखानों को अपने हाथों में लेने के प्रश्न पर कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया है ।

प्रति तीन गांवों के लिए टेलीविजन सप्लाई करने का प्रस्ताव

2927. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रति तीन गांवों तथा प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के लिये एक-एक टेलीविजन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये इस संबंध में क्या लक्ष्य है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले टेलिविज़न केन्द्रों तथा वर्तमान टेलीविज़न केन्द्रों द्वारा कवर किए गए या कवर किये जाने वाले क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सेट उपलब्ध करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इनका ब्यौरा अभी तैयार होना है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा 1974-75 के बजट अनुदान में 20 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है ।

आयात प्रतिस्थापन परिषद् का गठन करना

2928. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयात प्रतिस्थापन परिषद् की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के गठन के मुख्य प्रयोजन क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख) हालांकि आयात प्रतिस्थापना परिषद् की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था, अब यह निर्णय किया गया है कि इससे संबंधित वर्तमान समितियां स्वयं इस कार्य को देखेंगी और इसलिए देश में अलग से आयात प्रतिस्थापना परिषद् के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में निजी उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया

2929. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में निजी क्षेत्र से उत्साह जनक प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । पिछड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के कुछ एकक लग रहे हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में रीति और नीति की व्याख्या पंचवर्षीय योजना के मसौदे जिसे सदन के सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है के भाग-II अध्याय 14 के अनुच्छेद 5.19 (ख) में की गई है ।

ईराकी आयोजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी समझौता

2930. **श्री पी० पी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराकी आयोजना कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण देने के संबंध में हाल ही में बगदाद में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक

2931. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक नई दिल्ली में कब होगी ;

(ख) उक्त बैठक में किन-किन बातों पर विचार किया जाएगा ; और

(ग) क्या उक्त बैठक में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के नये मसौदे पर चर्चा की जाएगी ; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अभी तक तारीख तय नहीं की गई है ।

(ख) पांचवीं योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता के नियतन के सिद्धांन्त इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय होगा ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है ।. अतएव हो सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक में यह न आ पाये ।

तूलू और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना

2932. **श्री पी० आर० शिनाय**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूलू और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह सरकार का सुविचारित दृष्टिकोण है कि जहां तक इन भाषाओं के विकास का संबंध है संविधान की 8वीं अनुसूची को बढ़ाने से किसी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में पूरी की जाने वाली पन-बिजली की अतिरिक्त परियोजनाएं

2933. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्णाटक में पूरी की जाने वाली अतिरिक्त पन-बिजली परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन की व्यवस्था की जा रही है और अतिरिक्त बिजली को 40 प्रतिशत आगामी दस वर्षों की अवधि में स्वीकृत शर्तों के अनुसार पड़ौसी राज्यों के साथ बांटा जाएगा ;

(ख) क्या कर्णाटक सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और लगभग 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 901 मैगावाट की स्थापित क्षमता की वराही, बैंडथी, शरावथी टेलरेस और काली नदी-चरण-2 परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन सरकार को भेजे हैं; और

(ग) क्या इन परियोजना प्रतिवेदनों की स्वीकृति दे दी गई है अथवा केन्द्र सरकार स्वीकृति के लिए इन पर विचार हो रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह प्रस्ताव योजना आयोग में विचाराधीन है लागतों और लाभों की भागीदारों के बारे में लाभानुभोगी राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ।

(ख) और (ग) परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के द्वारा जांच की जा रही है और निकट भविष्य में इन पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजना की सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने की आशा है ।

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना

2934. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 के लिए बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) किन किन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए हैं और कौन-कौन से उद्योग स्थापित हुए हैं और किन-किन स्थानों पर ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	औद्योगिक एकक का नाम	स्थापना स्थल	उद्योग
		1972	
1.	मैं० सोर वैली पोर्टलैंड सीमेंट कं० लि० टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	जापला पालामाऊ	सीमेंट
2.	मैं० राम सरन दास ब्रादर्स राजौरा कालौरी, 18, नेता जी सुभाष रोड़, कलकत्ता ।	राझरा कोलरी पालामऊ, बिहार	कोयला
3.	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, 119, पाटलिपुत्र कालोनी पटना ।	दरभंगा बिहार	गेहूं के उत्पाद
		1973	
1.	मैं० इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कं० लि० 12, मिशनरी कलकत्ता ।	नूनदोदिनवनितपुर कोलरी चम्पारन बिहार ।	कोयला
2.	श्री गिरधारी प्रसाद बागला आनन्द भवन, लाहेरला सराय जिला दरभंगा ।	दरभंगा बिहार	गेहूं के उत्पाद

अब्दुल्ला द्वारा काश्मीर के ढांचे में परिवर्तन की मांग "अब्दुल्ला फार चेंज इन कश्मीर सैट अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2935. **श्री पी० गोविन्दन**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 दिसम्बर, 1973 को अब्दुल्ला द्वारा काश्मीर के ढ़ांचे में परिवर्तन की मांग "अब्दुल्ला फार चेंज इन कश्मीर सैट अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से जम्मू और कश्मीर के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन न करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है ।

(ग) शेख अब्दुल्ला द्वारा व्यक्त किए गये विचार केवल उनका निजी दृष्टिकोण है ।

आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में टेलीफोन सेवाएं

2936. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में टलीफोन सेवाओं संबंधी अनेक योजनायें सामान की कमी के कारण रुकी पड़ीं हैं ;

(ख) इन योजनाओं की रूपरेखा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) साज-सामान न होने की वजह से चित्तूर जिले में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने के 11 काम, छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज खोलने के तीन मामले और छोटे आटोमैटिक एक्सचेजों का विस्तार करने के तीन मामले रुके पड़े हैं ।

(ग) देश में टेलीफोन उपस्कर और अन्य साज-सामान की आम कमी है। इसलिए सभी योजनाएं तुरन्त कार्यान्वित न की जा सकीं । साज-सामान मिल जाने पर ये काम उत्तरोत्तर पूरे किए जाएंगे ।

वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श

2937. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1974-75 की वार्षिक योजनाओं के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ 10 दिसम्बर, 1973 को बातचीत प्रारम्भ की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने वर्ष 1974-75 के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्रीय मंत्रालयों से 14 दिसम्बर, 1973 को विचार-विमर्श किया गया था ।

(ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं सहित 1974-75 के दौरान कुल योजना परिव्यय 4769 करोड़ रुपये का होगा । केवल केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं का प्रावधान 2629 करोड़ रुपये होगा जिसमें अतिरिक्त संसाधनों के रूप में 574 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

परमाणु बिजली कार्यक्रम को धक्का पहुंचना

2938. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूक्लियर फिशन रिएक्टरों पर आधारित बिजली घरों में आरम्भ में आशाजनक कार्य होने के बाद परमाणु बिजली कार्यक्रमों को धक्का पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) हमारे परमाणु विद्युत कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में भारी पानी से मंदित तथा शीतित कांड़ किस्म के रिएक्टर स्थापित करना शामिल है। कांड किस्म के पहले रिएक्टर ने हाल ही में दिसम्बर, 1973 में कोटा, राजस्थान में व्यवसायिक स्तर पर बिजली तैयार करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे कारणों से ; जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर की बात थी, परमाणु बिजलीघरों को आरम्भिक कार्यक्रम के अनुसार लगाने में कुछ विलम्ब हुआ है। उन कारणों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

गुजरात के उद्योग में कोयले की कमी

2939. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विद्युतशक्ति को बचाए रखने के विचार से गुजरात के इन उद्योगों में 11 फरवरी, 1974 से अलग अलग दिनों को छुट्टी करना आरम्भ कर दिया गया है जिनमें अधिक बिजली खर्च होती है ;

(ख) क्या औद्योगिक श्रमिकों ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या उद्योगों में कोयले का अभाव है ;

(घ) यदि हां, तो क्या बिजली में कटौती और कोयले की कमी का गुजरात राज्य में औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या कोयले की कमी के कारण इन उद्योगों से गुजरात में कई लाख श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ङ) सूचना इकठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2940. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को राज सहायता देने संबंधी योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित किए गए ;

(ख) ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और यह कहां कहां स्थापित किए गए ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक औद्योगिक एकक को कितनी राज सहायता दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सीधी सहायता अनुदान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े स्वीकृत जिलों/क्षेत्रों के सभी प्रकार के औद्योगिक

एककों को प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत जिन एककों को आर्थिक सहायता दी गई है उनकी संख्या और अन्य ब्यौरों संलग्न विवरण में दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6409/74)।

अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ना

2941. **श्री ई० वी० विखे पाटिल**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चालू वर्ष में अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़ने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत भारतीय जानकारी तथा टेक्नालाजी का उपयोग किया गया है और कौन-कौन से पुर्जे स्वदेशी हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, आशा है कि हम दिसम्बर, 1974 के अंत तक प्रथम उपग्रह छोड़ सकेंगे।

(ख) उपग्रह का सम्पूर्ण डिजाइन, उसका निर्माण और परीक्षण, ये सभी कार्य देश में ही किए जाते हैं। 90 प्रतिशत से अधिक यान्त्रिक-पद्धतियां, जिनमें उपग्रह की संरचना भी शामिल है, भारत में ही निर्मित की गई हैं। अन्तरिक्ष की दृष्टि से उपयुक्त योग्य इलैक्ट्रोनिक कल-पुर्जे अभी भी देश में उपलब्ध नहीं हैं; अतः ऐसे बहुत से इलैक्ट्रोनिक कल-पुर्जों का आयात करना पड़ा। परन्तु माडयूल में इन इलैक्ट्रोनिक कल-पुर्जों के संयोजन और एकीकरण का कार्य तथा टेलीमीटरी, टेलीकमांड एवं अन्य कार्यों के लिए आवश्यक उप-प्रणालियों को भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने ही तैयार किया था। इस उपग्रह के स्पिनिंग के लिए और उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उप-प्रणालियां विदेशों से ली जा रही हैं। इन उप-प्रणालियों को भी स्वदेश में ही विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

केरल के पिछड़े तालुकों में प्रति व्यक्ति आय

2943. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के पिछड़े तालुकों के नाम क्या हैं तथा उनकी जनसंख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान इन क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में किनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन तालुकों के नाम तथा जनसंख्या दी गई है जिनको राज्य सरकार द्वारा अनेक "पांचवीं पचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा" तथा "पिछड़े क्षेत्रों तथा जनजातियों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम" नामक हाल के निबन्ध में अत्यधिक पिछड़े तालुक बताया गया है।

(ख) और (ग) : प्रत्येक तालुक सम्बन्धी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

"केरल के पिछड़े तालुकों में प्रति व्यक्ति आय" के बारे में 13-3-74 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न 2943 के उत्तर में सभा-पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

क्रम सबसे कम से	तालुक	जन संख्या (1971–जनगणना)
1	2	3
1.	देवी कोलम	134350
2.	मन्नार घाट	184579
3.	ऊदुमबनचोला	264913
4.	एरनद	715496
5.	दक्षिण वैनद	284515
6.	परिथलमन्ना	273101
7.	तिरूर	653793
8.	पीरमेढ़	146841
9.	उत्तर वैनद	129335
10.	क्विलंदी	468714
11.	आसारगोढ़े	353819
12.	आलाथूर	295762
13.	ओहापल्लम	522027
14.	तालीपारम्बा	435090
15.	हासदृग	329201

बम्बई में शिव सेना द्वारा किये गये अत्याचारों के परिणामस्वरूप होने वाले जान तथा माल की हानि के लिए गैर-महाराष्ट्रियों को मुआवजा देने की योजना

2944. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिव सेना के स्वयं सेवकों द्वारा किये गये अत्याचारों के परिणामस्वरूप होने वाले जान तथा माल की हानि के लिए महाराष्ट्र में बसे गैर-महाराष्ट्रियों को मुआवजा देने की योजना बनाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) और (ख) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

केरल को बस और ट्रकों के टायरों की सप्लाई

2945. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार केरल सरकार ने कुल कितने बस तथा ट्रक टायरों की मांग की है ;

(ख) उस अवधि के दौरान उनको कितने टायरों की सप्लाई करने का प्रस्ताव था;

(ग) कितने टायरों की वास्तव में सप्लाई की गई है; और

(घ) टायरों की कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) केरल सरकार से वर्षवार टायरों की सप्लाई के लिये कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन

2946. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे कितने पंचायत कार्यालय हैं जहां कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं ; और

(ख) उनको टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : केरल में इस समय 153 पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं । इनमें से 102 कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अपनी अर्जियां दी हैं । ये अर्जियां उनके संबंधित एक्सचेंजों को प्रतीक्षा सूचियों में अन्य आवेदकों के साथ दर्ज कर ली गई हैं । जिन कार्यालयों ने अपनी अर्जियां दी हैं, जैसे ही उनके संबंधित एक्सचेंजों में उनकी बारी आ जाएगी, उन्हें टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

केरल में निर्धनता का उन्मूलन

2947. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में निर्धनता स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जिला-वार प्रतिशतता क्या है ;

(ख) उनकी निर्धनता का उन्मूलन करने के कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने हेतु क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है तथा कहां तक कार्य-वाही की है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उनके वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्या योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, केरल में 50 से 60 प्रतिशत जनसंख्या (1971 की जनगणना) गरीबी की पंक्ति से नीचे जीवन-निर्वाह कर रही है । परन्तु अलग-अलग जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : तेजी से आर्थिक विकास करना और रोजगार अवसरों का विस्तार करना, आय व सम्पत्ति की असमानतायें घटना और गरीबी का उन्मूलन करना पंचवर्षीय योजनाओं का आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त है। इस सम्बन्ध में, केरल की समस्त पंचवर्षीय योजनायें इस प्रकार तैयार की गई है जिससे विकास की आधारभूत निम्नतम स्तरों की पूर्ति की जा सके और खासकर गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन निर्वाह की दशाओं में सुधार करने में सहायता मिले। फिर भी, खासतौर पर गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले लोगों की लाभान्वित करने वाली केरल की चौथी योजना स्कीमों और कार्यक्रमों को पृथक करना सम्भव नहीं।

पत्रकारों तथा समाचार पत्रों पर आक्रमण की घटनाएं

2948. श्री इसहाक सम्भली : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक परिषद् ने पत्रकारों तथा समाचारपत्रों पर हाल ही में होने वाले आक्रमणों की निन्दा की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन की 9 फरवरी, 1974 की हुई बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी० 6410/74) उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट घटनाओं से संबंधित तथ्य भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। उनका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

बिहार सर्किल में लाइनमैनों के रिक्त पड़े पद

2949. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में विभिन्न तार तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सब-डिवीजनों में लाइनमैनों के लगभग 400 पद अब तक रिक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या बिहार सर्किल के महाडाकपाल ने अपने डिवीजनल इंजीनियर तथा सब-डिवीजनल अधिकारियों को बहुत पहले लाइनमैनों की भरती करने को कहा था परन्तु अभी भरती नहीं हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) बिहार सर्किल में लाइनमनों के रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इन रिक्त पदों को कब तक भरा जायगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) रिक्त पदों की संख्या 383 है।

(ख) सितम्बर 1973 में आदेश ज री किऐ गऐ थे। भर्ती के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों के मामलों पर विचार करना होगा जो मूलरूप में रोजगार दफ्तर के माध्यम से नहीं आए थे। विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि हर

मामले की इस रूप में छानबीन की जा रही है कि चयन के लिए वे पात्र हैं या नहीं। अप्रैल, 1974 तक भर्ती का काम पूरा हो जाने की संभावना है। चुने गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद आशा है कि अगस्त 1974 या सितम्बर, 1974 तक पद भर दिए जाएंगें।

मुख्य लेखा अधिकारी, दूरसंचार लेखा कार्यालय पटना में टाइम स्केल क्लर्कों के रिक्त पद

2950. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी : } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य लेखा अधिकारी, दूरसंचार लेखा कार्यालय, जमाल रोड़, पटना में टाइम स्केल क्लर्कों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा उक्त पदों पर कितने उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है ;

(ख) टेलीफोन लेखा कार्यालय में क्लर्कों के प्रशिक्षण में भर्ती के लिए कितने प्रत्याशी प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ग) उनको प्रशिक्षण देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क)और (ख). पटना के मुख्य लेखा अधिकारी, दूरसंचार लेखा के कार्यालय में रिक्त पदों की संख्या --22,

ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जो उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए भर्ती किए गए हैं और प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं--17।

(ग) और(घ) : प्रशिक्षण के पूर्व की औपचारिकताएं पूरी होने में विलम्ब के कारण उनको प्रशिक्षण देने में देरी हुई है। सभी रिक्त पदों को 1974 के अंत तक भर देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

चण्डीगढ़ में छात्रों की गिरफ्तारी

2951. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री बूटा सिंह : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 में चंडीगढ़ में छात्र आन्दोलन के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) उस आन्दोलन में कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) उस आन्दोलन में यदि कोई सम्पत्ति की हानि हुई है, तो वह अनुमानत: कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री(श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 137 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे।

(ख) 50 पुलिस अधिकारियों समेत सब मिला कर 72 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) 2805 रु० मूल्य का फर्नीचर तथा खिड़कियों के सीसों को हानि पहुंचाई गई थी।

बिहार के मुंगेर जिले में गहलौर गांव के अछूतों पर अत्याचार

2952. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के मुंगेर जिले में गहलौर गांव के तथाकथित अछूतों पर पुलिस के अत्याचारों के आरोप के बारे में कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इसमें रुचि लेगी तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों को सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार मुंगेर जिले के गहलौर गांव में तथा कथित घटना की जांच करने के लिए बिहार की विधान सभा के ग्यारह सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी। जांच होने तक राज्य सरकार ने, उप पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। किन्तु उप पुलिस अधीक्षक ने अपने निलम्बन के खिलाफ न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा ले ली। इस संबंध में नवीनतम सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार सर्किल के टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान

2953. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी : } क्या **संचार** मंत्री दिनांक 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक के दौरान इंजीनियरिंग डिवीजन-वार कितनी कितनी राशि के चिकित्सा बिलों को अस्वीकृत किया गया था 1 जनवरी, 1974 को भुगतान के लिए कितनी राशि के कितने चिकित्सा बिल विचाराधीन पड़े थे ;

(ख) क्या चिकित्सा बिलों को अस्वीकृत करने के कारण कर्मचारियों को बताये जाते हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ यूनियन नेता भी जाली चिकित्सा बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, ; और

(घ) बिहार सर्किल के इंजीनियरिंग डिवीजनों में यूनियनों के उन डिवीजनल सचिवों तथा सर्किल सचिवों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान 1,000 रुपये से अधिक के चिकित्सा बिलों का भुगतान किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण-पत्र अनुबंध "क" में संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6411/74)।

(ख) नियमों के अनुसार नियंत्रण-अधिकारी को दावे की यथार्थता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अगर किसी चिकित्सा बिल को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसके कारण बताने

की जरूरत नहीं होती। तथापि जिस मामले म जरूरी समझा जाता है चिकित्सा बिल को अस्वीकृत करने के कारण बता दिए जाते हैं।

(ग) यूनियन के किसी भी नेता के खिलाफ जाली चिकित्सा-बिल पेश करने का कोई भी मामला साबित नहीं हुआ है।

(घ) एक विवरण-पत्र अनुबंध "ख" में संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6411/74)।

इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले का उत्पादन तथा परिवहन में समन्वय लाने के लिए सैल

2954. श्री रामावतार शास्त्री
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले के उत्पादन तथा परिवहन में तालमेल लाने हेतु एक सैल स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख): योजना आयोग ने इस काम के लिए अलग से किसी प्रकार के कक्ष (सैल) की स्थापना नहीं की है। बहरहाल, सम्बद्ध मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर कोकिंग कोयले के उत्पादन तथा परिवहन सम्बधी कार्य-कलापों के समन्वय में सहायता प्रदान करने के लिए योजना आयोग ने प्रबोधन और मूल्यांकन प्रभाग की स्थापना की है।

Cooperation of Gram Panchayats in implementing of programmes during Fifth Plan

2955. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether cooperation of Gram Panchayats will be sought in the implementation of the programmes included in the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the names of the programmes add in the manner in which it is proposed to be sought; and

(c) whether cooperation of the Rural Development Boards will also be sought; and

(d) if so, how those works will be distributed between these two institutions?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) The specific programmes in whose implementation cooperation of gram panchayats is proposed to be sought will not necessarily be the same throughout the country. These will partly depend on the organisational strength of the local gram panchayats in individual States and the legislation governing these panchayats. However, generally speaking, the gram panchayat are expected to be involved in the implementation of the following programmes :—

(i) Nutrition schemes;

(ii) Family Planning programmes;

(iii) Some of the agricultural production programmes;

(iv) Some aspects of Minimum Needs Programme;

(v) Afforestation of private/community lands.

The cooperation of the gram panchayats is proposed to be sought by involving them in the formulation of the local proposals as also in the execution of the programmes listed above

(c) and (d) : Yes, Sir. In the States like Kerala and such other States where these Boards have been constituted, it is envisaged that these agencies will utilise panchayat raj institution and also help these institutions in carrying out rural development programmes.

Prosecution proceedings against officers recommended by Central Vigilance Commission

2956. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the officers against whom the Central Vigilance Commission has recommended prosecution proceedings in its Eighth Report together with the period for which each of the said officers was kept under Surveillance by the Commission before recommending prosecution proceedings against him; and

(b) whether these officers have been prosecuted and if so, the date on which Prosecution launched against each of them and the charges against them?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. L.T. 6412/74.]

समुद्रपारीय संचार सेवा

2957. **श्री के० मालन्ना :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्रपारीय संचार सेवा, जो कि उपग्रह व्यवस्था द्वारा समुद्रपारीय चैनल का कार्य कर रही है, के कार्य तथा उससे होने वाली आय से सन्तुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में टेलीफोन की विकास दर क्या रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। आर्वी में विक्रम उपग्रह भू-केन्द्रके फरवरी, 1971 में चालू होने के बाद से उपग्रह प्रणाली के जरिये दूरसंचार सरणियों का निष्पादन बहुत ज्यादा विश्वसनीय ढंग से चल रहा है। विदेश संचार सेवा द्वारा अर्जित सकल राजस्व, उपग्रह सेवा आरम्भ होने के पहले के वर्ष, 1970-71 में 6.96 करोड़ रु० थी। यह राशि 1973-1974 वर्ष के लिए 9.47 करोड़ रुपये के अनुमानित आंकड़ों तक बढ़ गई है।

(ख) 1972-73 के लिए विदेश टेलीफोन परियात के राजस्व अरजक मिनिटों की वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक थी। 1973-74 के लिए वृद्धि की दर 41 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

बर्दवान में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

2958. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो अधिकारी बर्दवान, पश्चिम बंगाल में तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) 5-12-1973 को राज्य पुलिस ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो सहायक उप-निरीक्षकों, एक मुख्य सुरक्षा गार्ड तथा छः सुरक्षा गार्डों को राज्य खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उस समय गिरफ्तार किया जब वे बर्दवान जिले के गालची नामक स्थान से 15 क्विंटल गेहूं तथा 4.5 क्विंटल चावल खरीद कर दुर्गापुर ला रहे थे। यह बताया गया है कि दुर्गापुर प्लाट में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अपने उपभोग के लिए ही इन खाद्यान्नों को खरीदा गया था क्योंकि उनके राशन का कोटा कम पाया गया था ।

(ग) इस समय यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास

2959. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रमीण विकास की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र म परिव्यय कितना रखा गया है; और

(ग) इसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कृषि (पशुपालन, डेरी कार्य पशुधन, मत्स्य पालन और वन सहित) और सिंचाई क्षेत्रों में सामान्य कार्यक्रम चलाने से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी जिससे ग्रमीण विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है :

(1) छोटे किसानों, नाममात्र के किसानों व कृषि मज़दूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का कार्यक्रम लगभग 160 जिलों में आरम्भ किया जाना है । चुनींदा जिलों में छोटे किसानों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन और सुअर पालन संबंधी कुछ विशेष विकास कार्यक्रमों को इन परियोजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा।

(2) 54 जिलों (18 जिलों के कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों सहित) में सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए चलाया जाने वाला समेकित विकास कार्यक्रम/सामान्य क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ छोटे किसानों व नाममात्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत विशेष कदम उठाए जाएंगे ।

(3) बड़ी सिंचाई के अन्तर्गत लगभग पचास कमान क्षेत्रों के लिए सघन विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है । इस क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ-साथ छोटे व नाममात्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ।

(4) 1972-73 के दौरान 15 चुनींदा विकास-खण्डों में प्रायोगिक तौर पर आरम्भ की सघन ग्रामीण रोज़गार परियोजना को पांचवीं योजना में भी प्रथम दो वर्षों तक चालू रखा जाएगा ।

(5) पांचवीं योजना में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि विशेषतः आदिवासियों के लिए उप-योजनाएं तैयार करें ।

(ख) आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान उपर्युक्त विशेष कार्यक्रमों पर केन्द्र और राज्यों द्वारा 1000 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया जाएगा ।

(ग) लघु कृषक परियोजनाएं विशेष एजेन्सियों के माध्यम से लागू की जाती रहेंगी । ये एजेन्सियां या तो स्थापित की जा चुकी हैं या स्थापित की जाएंगी । सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा गठित समन्वय निगमित निकाय लागू करेंगे । मार्गदर्शी ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिला विकास तन्त्र द्वारा जारी रहेगा ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में संसाधनों के परिव्यय का पुनरीक्षण

2960. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में संशोधन परिव्यय का पुनर्मूल्यांकन करने तथा पुनरीक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पहले, मूल्य वृद्धि, तेल संकट और 1973-74 के दौरान अर्थ-व्यवस्था की गतिविधियों सहित सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रख कर सरकारी क्षेत्रों के अनुमानों तथा परिव्ययों की समीक्षा की जायेगी । अभी रूपरेखा के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं ।

सुन्दरबन विकास कार्यक्रम

2961. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **योजना** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुन्दरबन विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : योजना आयोग और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत सुन्दरबन विकास स्कीम की जांच की है । पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि ऐसे कुछ निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उक्त स्कीम पर पुनर्विचार करें ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, और राज्यों के समस्त योजना-परिव्ययों के अंतर्गत ही इस प्रयोजन के लिए वित्त-व्यवस्था की जानी है । पांचवीं योजना का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरबन विकास कार्य क्रम के लिये 8 करोड़ रुपये का परिव्यय दर्शाया है । राज्य योजना को अंतिम रूप मिलने पर वित्तीय-भार तथा राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को दी जाने वाली प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए पुन: परिव्यय निर्धारित किया जाएगा ।

Per capita income in M. P. in 1971-72

2962. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state the average per capita income in Madhya Pradesh at the end of 1971-72?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) ; The Preliminary estimate of per capita income of Madhya Pradesh in 1971-72, as prepared by the Director of Economics and Statistics, Madhya Pradesh, was Rs. 569/- at current prices.

गोआलपाड़ा तथा कामरूप जिलों के गारो क्षेत्रों को मेघालय में मिलाने की मांग

2963. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो नेशनल जोनल काउंसिल आफ एक्शन, आसाम आसाम के गोआलपाड़ा तथा कामरूप जिलों के पड़ोसी गारो क्षेत्रों को मेघालय में मिलाने की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मेघालय राज्य की सीमायें उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं ।

त्रिपुरा के मिजो क्षेत्र को मिजोरम के साथ मिलाना

2964. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मिजो भाषी क्षेत्र को मिजोरम के साथ मिलाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मिजोरम ने त्रिपुरा का कुल कितना क्षेत्र मांगा है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व त्रिपुरा की जनता की राय पता लगायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : त्रिपुरा सरकार ने कुछ समय पूर्व सूचित किया था कि जम्पूई पहाड़ियों के लुशाई नेताओं के एक शिष्ट मंडल ने त्रिपुरा के जम्पूई क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में मिलाने की मांग करते हुए 29-1-1973 को राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। भारत सरकार इस मांग के पक्ष में नही हैं।

पालघाट में सूक्ष्म उपकरण कारखाने के लिए भूमि का अभिग्रहण

2965. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में सूक्ष्म उपकरण कारखाने के लिए 10 वर्ष पूर्व भूमि अधिगृहीत की गई थी; और

(ख) क्या सरकार ने परियोजना के लिए जल फिल्टर संयंत्र, विद्युत सप्लाई आदि के लिए धन व्यय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राशि कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां। पालघाट संयंत्र की स्थापना के लिए केरल सरकार ने 600 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी तथा 1965 में इन्स्ट्रुमैण्टेशन लि० को हस्तांतरित कर दी थी ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्लाईवुड उद्योग, केरल में कच्चे माल की कमी

2966. **श्री सी० एस० मोहम्मद कोया : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्लाईवुड उद्योग यूरिया रेजिन, जो एक चिपकिया तथा मूल कच्चा माल है, के अभाव के कारण संकटग्रस्त है; और

(ख) क्या सरकार फर्टीलाइजर कारपोरेशन ट्राम्बे यूनिट को पुनालर वालीपत्तनम आदि स्थानों में स्थित प्लाईवुड कारखानों को यूरिया रेजिन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैथोनोल देने को कहेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : जी, हां । मैथोनील की अपर्याप्त प्राप्ति और फोरमलडीहाइड की कमी के परिणामस्वरूप प्लाईवुड उद्योग द्वारा अपेक्षित चिपचिपी प्रकार के यूरिया फोरमलडीहाइड सिन्थैटिक रेजिन की व्यापक कमी है । कमी को पूरा करने के लिए 16,000 मी० टन मथोनोल का आयात करने की व्यवस्था की गई है । इनमें से 8,000 मी० टन आ चुका है और शेष 8,000 मी० टन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा । मैथोनोल का आयात राज्य सरकार निगम के माध्यम से किया जाता है और इसे फोरमलडीहाइड तथा चिपचिपी प्रकार का यूरिया फोरमलडीहाइड सिन्थैटिक रेजिन के निर्माताओं को भारतीय उर्वरक निगम (फर्टलाइजर कोरपोरेशन) द्वारा वितरित किया गया है । प्लाईवुड उद्योग के लिए चिपचिपी प्रकार का यूरिया फोरमलडीहाइड रेजिन की पर्याप्त उपलब्धि का सुनिश्चय करने हेतु हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि 1974 के मध्य तक स्थिति में सुधार आ जायेगा ।

बिजली का उत्पादन करने के लिए कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को सहायता

2967. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना मंत्री ने 23 फरवरी, 1973 को कलकत्ता में प्रैस सम्वाददाताओं को बताया था कि केन्द्र कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को बिजली उत्पादन करने के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगा; और

(ख) यदि हां, तो इस एकाधिकार निगम को इतनी बड़ी धनराशि किस आधार पर दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Lowering of retirement age of Government employees

2968. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the retirement age of the Central Government employees from 58 years to 55 years; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Theft of bronze statues at the Moti Mahal Gate of Raigarh (Madhya Pradesh)

2969. Shri Umed Singh Rathi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether two historical valuable bronze statues, which were installed about 100 Years back at) the Moti Mahal Gate of Raigarh (M. P.) city have been stolen;

(b) if so, when they were stolen and whether Raigarh police has recovered the stolen statues and if so, the place of their recovery and the action taken by the State Government;

(c) whether these two statues w ere procured from Paris (France) by Raja Bhupdev Singh, ex-ruler of Raigarh; and

(d) whether these statues were stolen or caused to be stolen with the motive of earning large sum of money by selling them in foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Statues were stolen on 27-9-73 and recovered by Raigarh Police on 8-11-73 at Raigarh. A case under section 379 IPC was registered by the Police.

(c) These statues were procurd from abroad by Raja Phupdeo Singh ruler of Raigarh.

(d) It is alleged that these statues were stolen by Ex-Raja of Raigarh Shri Lalit Kumar Singh and sold to Nathooram Agarwal R/o Raigarh for Rs. 5000/- who was trying to send the statues out of Raigarh.

समस्तीपुर पुलिस स्टेशन, बिहार के अधीन रामनाथपुर गांव में हरिजनों पर आक्रमण

2970. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर पुलिस स्टेशन के अधीन रामनाथपुर चटौरना गांव में 22 जनवरी, 1974 को एक हरिजन को पीटने से मृत्यु हो गई थी और उस के लड़के पर प्रहार किया गया था; और

(ख) दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : बिहार सरकार से तथ्य मालूम किये जा रह हैं ।

त्रिपुरा में ग्लास फैक्टरी का पुनः खोला जाना

2971. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ग्लास फैक्टरी बन्द हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) फैक्टरी को फिर से खोलने के लिए सरकार के प्रयत्न जारी हैं ।

परमाणु रिऐक्टरों के लिये 'न्यूक्लिअर फ्यूल एसेम्बलीज़' का देशीय निर्माण

2972. **श्री बी० के० दासचौधरी, :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर में परमाणु रिएक्टरों के लिये 'न्युक्लियर फ्यूल एसेम्बलीज' का देशीय निर्माण शुरु हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) तथा (ख) : परमाणु बिजलीघरों के लिये देशी ईंधन असैम्बलियां बनाने का काम न्युक्लीय फ्यूल कम्पलैक्स हैदराबाद में शुरु किया गया है । अब तक, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये ईंधन के 30 बन्डल तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के लिये ईंधन के लगभग 850 बन्डल तैयार किये गये हैं । ईंधन के और बन्डल बनाने का काम चल रहा है । न्युक्लीय ईंधन सम्मिश्र में ईंधन के बन्डल तैयार करने के लिये जो संयंत्र लगाये गये हैं वे प्रतिवर्ष तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये उपयुक्त लगभग 25 मीटरिक टन (150 बन्डल) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के लिये उपयुक्त लगभग 100 मीटरिक टन (6600 बन्डल) तैयार कर सकते हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2973. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी और मध्यम दोनों प्रकार के कौन से और उद्योग स्थापित किये जाएंगे ?

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों को लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या कुछ एकक सरकारी क्षेत्र में भी लगाये जाएंगे और यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) :

पांचवीं योजना में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम पांचवीं योजना प्रलेख के मसौदे के खंड-2 (पृष्ठ 151-155) अनुबंध 2 में दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त राज्य सरकार की योजना ऋषिकेष में एक नया सीमेंट कारखाना लगाने और डल्ला एवं चुर्क के सीमेंट संयंत्रों का विस्तार करने, संयुक्त क्षेत्र में 18 कताई मिलें लगाने, सरकारी क्षेत्र में 4 कताई मिलें और हाथ तथा बिजली के करघों से बने कपड़े की किस्म को उन्नत तथा परिष्कृत करने के लिये 3 परिष्करण गृह और राज्य तथा सहकारी क्षेत्र में बहुत सी चीनी मिलें लगाने की है ।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972 और 1973 में निम्नलिखित उद्योग स्थापित करने के लिये 113 औद्योगिक लाईसेंस और 202 आशय पत्र मंजूर किये गये हैं :—

बिजली के उपकरण, परिवहन एवं दूर संचार उपकरण, कृषि मशीनें, धातु कार्मिक उद्योग, मिट्टी हटाने की मशीनें विविध यांत्रिक इंजीनियरी की वस्तुयें, वाणिज्यिक/कार्यालय एवं घरेलु उपकरण, वैज्ञानिक यंत्र, रसायन वस्त्र, कागज उत्पादों सहित कागज तथा लुगदी, चीनी, खमीर उद्योग खाद्य परिष्करण उद्योग, साबुन, अंगराज, और टायलेट की वस्तुयें, कांच चीनी मिट्टी के बर्तन सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद इत्यादि ।

राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समिति का गठन

2974. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

(ख) यह समिति कैसे बनाई जाती है; और

(ग) क्या वर्ष 1973 के लिये पुरस्कार वितरण के संबंध में इस चलचित्र पुरस्कार समिति के विरुद्ध उनके मन्त्रालय को कोई शिकायत मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) : ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती हैं । मन्त्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि 1973 में मद्रास प्रांदेशिक समिति की सिफारिशों का केंद्रीय सरकार द्वारा परिणामों की घोषणा किये जाने से पहले ही किसी स्थानीय समाचारपत्र को पता लग गया । इसकी सत्यता स्थापित नहीं हो सकी । तथापि, ऐसी सिफारिशों को गोपनीय रखने के लिये और अधिक सावधानी बरतने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

विवरण

इस साल से प्रभावी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है । पहले की योजना में फीचर फिल्मों और बाल फिल्मों की जांच के लिये दो प्रकार की समितियों अर्थात बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थित प्रादेशिक समितियों तथा दिल्ली में स्थित केंद्रीय समिति की व्यवस्था थी । प्रादेशिक समितियां प्रादेशिक पुरस्कारों के बारे में सीधे सरकार से सिफारिश करती थी और अखिल भारतीय पुरस्कारों के बारे में निर्णय हेतू फिल्मों की एक तालिका की केंद्रीय समिति को सिफारिश करती थी । बाल फिल्मों का केंद्रीय समिति भी प्रिव्यू करती थी और पुरस्कार के लिये अपनी सिफारिशें करती थीं । लघु फिल्मों का मूल्यांकन करने के लिये एक अलग समिति होती थी जो सीधे सरकार को सिफारिशें करती थी । फिल्मों के मूल्यांकन में एक रुपता लाने के लिये, नियमों में संशोधन कर अब फीचर फिल्मों के लिये एक राष्ट्रीय ज्यूरी तथा लघु फिल्मों के लिये एक और राष्ट्रीय ज्यूरी की व्यवस्था की गई है । प्रादेशिक समितियों की प्रथा समाप्त कर दी गई है । दोनों ज्युरियों का गठन इस प्रकार होगा :—

फीचर फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी

(1) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष; तथा

(2) कलाओं, मानव प्रकृतियों तथा फिल्म क्षेत्र में ख्याति प्राप्त तथा प्रस्तुतीकरण, निर्देशन तथा तकनीकी मूल्यों सहित फिल्मों के विषय संबंधी तथा कलात्मक योग्यता को जांचने की योग्यता रखने वाले, सरकार द्वारा नामजद अधिक से अधिक 24 व्यक्ति ।

लघु फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी

लघु फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी के सरकार द्वारा नामजद अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे।

नियमों में यह व्यवस्था है कि सरकार दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों में से किसी में भी इतने अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर सकेगी जितने यह सुनिचित करने के लिये आवश्यक समझे जायें कि जिन जिन भाषाओं की फिल्मों की जांच होनी है उन प्रत्येक भाषा के जानने वाला या विशिष्ट पृष्ठ भूमि रखने वाले सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । किंतु ऐसे सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।

फीचर फिल्मों के लिये राष्ट्रीय ज्यूरी में 6 सदस्य फिल्म उद्योग से प्राप्त की गई नामों की तालिका में से होंगे । तथा शेष 19 सदस्य मन्त्रालय द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन का भाग

2975. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् ने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को भेजे अपने पत्र में भारतीय फिल्मों की निर्यात आय में इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन के शेयर कम होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और कारपोरेशन को पुनर्गठित करने और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्यों की पूर्ण जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में फिल्मों के निर्यात के कुल आंकड़े क्या हैं और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन का इसमें कितना शेयर रहा; और

(ग) अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् की मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् ने सूचना और प्रसारण मन्त्री को भेजे अपने एक पत्र में इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्य संचालन और संगठन में विद्यमान कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) नये निदेशक मंडल से यह उम्मीद की जाती है कि वह इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन के कार्य संचालन में सुधार करेगा ।

विवरण

भारतीय फिल्मों के निर्यात से आय

(हजार रुपयों में)

क्रम संख्या	वर्ष	अखिल भारतीय निर्यात	इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन का भाग
1.	1971–72	50,153	5304
2.	1972-73	54,014	3861
3.	1973–74 (31-8-73 तक)	14,073	592

पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में सीमेंट कारखाना

2976. **श्री शंकर नारायण सिंह देव**
श्री ए० के० एम० इसहाक } : या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परूलिया (पश्चिम बंगाल) में किसी फर्म को चूना पत्थर तथा सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो अब तक किये गये कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) पुरुलिया जिले में झालदा में 2.0 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० कलकत्ता का आशय-पत्र स्वीकृत किया गया है ।

(ख) मै० डेवलपमेंट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लि० को सीमेंट परियोजना के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था तथा उन्हें संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया था । उन्हें अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भी कहा गया था। अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में कन्सलटेंट्स ने उल्लेख किया ।

(1) कि कम-से-कम किफायती आकार का संयंत्र 8 लाख टन प्रति वर्ष का होगा।

(2) संयंत्र की पूंजीगत लागत 24 करोड़ रु० रहेगी ।

(3) निकटस्थ स्रोतों से प्राप्त चूने के पत्थर के साथ-साथ पुरुलिया के चूने के पत्थर का भी प्रयोग किया जायेगा ।

(4) चूने के पत्थर की सप्लाई निश्चित करने के लिये पुरुलिया की खदानों तथा बिहार की निकटस्थ खादानों का भूगर्भीय विस्तृत नक्शा बनाया जाना चाहिये।

कन्सल्टेन्ट्स इन खदानों के भूगर्भीय नक्शे बनाने के टर्न की जौब को कर रहे हैं ।

यह ज्ञात हुआ कि पुरुलिया के चूने का पत्थर बिना अभिशोधन के सीमेंट बनाने के लिये उपयुक्त नहीं होगा । अब पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का बोकारो से प्राप्त होने वाले स्लैग से पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के स्थान पर पुरुलिया में ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट बनाने का प्रस्ताव है ।

पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

2977. **श्री शंकर नारायण सिंह देव**
श्री ए० के० एम० इसहाक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिये जिलावार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये;

(ख) कितने आवेदन स्वीकृत हुए तथा कितने आवेदन अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिये प्राप्त सब आवेदन पत्रों पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) पशन स्वीकृत करने के लिये 8,744 मामले अनुमोदित किये गये हैं । 7,373 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । इनमें 2,923 मामले, जिनमें राज्य सरकारों आदि से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं सम्मिलित हैं और 4,450 आवेदन पत्रों की अभी जांच होनी है ।

(ग) क्योंकि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 1974 है अतः अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं । जबकि आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं अतः इस समय कोई निश्चित अवधि बताना ? जिसके अन्दर कार्य पूरा हो जायगा, सम्भव नही है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सैनिकों के पेंशन के लिए 28-2-1974 तक जिलेवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण ।

क्रमांक	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
(1)	बनकुरा	656
(2)	बीरभूम	353
(3)	बर्द्धवान	653
	कूच बिहार	178

1	2	3
(5)	कलकत्ता	5,500
(6)	दार्जिलिंग	194
(7)	हुगली	1,199
(8)	हावड़ा	1,096
(9)	जलपाईगुड़ी	422
(10)	मालदा	200
(11)	मिदनापुर	3,092
(12)	मुर्शिदाबाद	320
(13)	नादिया	688
(14)	पुरुलिया	495
(15)	पश्चिम दिनाजपुर	538
(16)	24-परगना	3,010
	जोड़	18,594

बंगाली भाषा के टाइपराइटरों का निर्माण

2978. **श्री ए० के० एम० इसहाक**
श्री शंकर नारायण सिंह देव } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली भाषा के टाइपराइटरों का निर्माण उनकी मांग के अनुपात में नहीं हो रहा है और इसके परिणामस्वरुप सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं अथवा लोगों को उक्त टाइपराइटर तत्काल उपलब्ध नही हो रहे हैं;

(ख) बंगाली भाषा के टाइपराइटरों के निर्माण में वृद्धि करने तथा उनकी कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) मै० रेमिंटन रैंड आफ इंडिया, कलकत्ता तथा मै० रेयला कारपोरेशन मद्रास नामक दो फर्में हिंदी तथा बंगाली सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के टाइपराइटर बनाती हैं । बंगाली टाइपराइटरों का उत्पादन क्रमिक रूप से बढ़ रहा है । किसी विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सभी योजनाओं में एक शर्त यह लगाई गई है कि उत्पादन के 50 प्रतिशत टाइपराइटर हिंदी तथा अन्य भाषाओं में होने चाहिये । साथ ही, उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार टाइपराइटर बनाने के लिये भाषा के टाइपों के आयात में मौजूदा कारखानों की सहायता की जाती है ।

ग्रामीण औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये पश्चिम बंगाल को ऋण

2979. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य को वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान **ग्रामीण उद्योग** परियोजना के अन्तर्गत कुल कितना ऋण दिया गया और उक्त योजना के **अधीन** राज्य में कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये; और

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान राज्य में ऐसे कितने एकक स्थापित किये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1972–73 तथा 1973–74 में पश्चिम बंगाल को ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अधीन ऋण के रूप में क्रमश: 13.28 लाख रुपये तथा 12 लाख रुपये दिये गये थे।

मार्च, 1973 के अन्त तक राज्य में 4,247 औद्योगिक कारखाने लगाने में सहायता की गई थी ।

(ख) 1973–74 में इस कार्यक्रम के अधीन राज्य में लगाये जाने वाले कारखानों की संख्या राज्य को दिये गये केंद्रीय ऋण की मात्रा, वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध ऋण सुविधायें तथा पूंजीनिवेश के लिये उद्यमियों के पास उपलब्ध धन राशि पर निर्भर करेगी। पिछली प्रवृतियों तथा सामान्य विकास दर को ध्यान में रखते हुए आशा है कि राज्य में मौजूदा परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 550 से 600 नये कारखाने लगाये जा सकेंगे।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट का स्टाक रखने के लिये लाइसेंस

2980. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सीमेंट का स्टाक रखने के लिये कितने व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) गत पांच महीनों में सरकार ने स्टाकिस्टों को कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया ; और

(ग) क्या राज्य में सीमेंट की बड़े पैमाने पर चोर बाजारी हो रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एम० बी० राना) : (क) 1956।

(ख) जुलाई से दिसम्बर 1973 की अवधि में कुल बिक्री वर्ग के स्टाकिस्टों को 15,05,000 मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया था।

(ग) यद्यपि कोई विशेष शिकायतें नहीं मिली हैं फिर भी कुछ चोर बाजारी होने की असम्भावना नहीं है । किंतु सम्भावित चोर बाजारी को रोकने के लिये अभ्युपाय के रूप में राज्य सरकार ने स्टाकिस्टों को सीमेंट पहुंचाने और प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिये निदेश दे दिये हैं ।

रामन्थल्लि पुयान्नूर स्थानीय टेलीफोन सम्पर्क

2981. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामन्थल्लि पंचायत ने रामन्थल्लि से पुयान्नूर तक टेलीफोन कालों को स्थानीय कालें बनाने के लिये आभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) रामन्थल्लि पंचायत ने केरल सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल को एक अभ्यावेदन दिया है, और माननीय सदस्य ने इस बारे में एक पत्र संचार मंत्री को लिखा है ।

(ख) इस संबंध में संचार मंत्री ने जो फैसला किया है, उसकी सूचना वे अपने तारीख 21 जुलाई 1973 के पत्र के जरिये माननीय सदस्य को दे चुके हैं । चूंकि यह गांव पुयान्नूर एक्सचेंज से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है, और ये दोनों स्थान एक ही पंचायत के अंग नहीं है, इसलिये रामन्थल्लि से पुयान्नूर की कालें स्थानीय कालें नहीं मानी जा सकती ।

सीमेंट का उत्पादन

2982. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में देश में विभिन्न एककों में (महीने वार) सीमेंट का कितना उत्पादन किया; और

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6413/74) ।

(ख) वर्ष 1973 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन केवल लगभग 150 लाख मी० टन था जबकि 1972 की अवधि में 157 मी० टन था । विभिन्न राज्यों में लागू की गई बिजली की कटौती, कुछ कारखानों में श्रमिक हड़ताल उद्योग के लिये कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति, कुछ कारखानों में यांत्रिक खराबी और सीमेंट लाने ले जाने के लिये वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि उत्पादन में कमी के मुख्य कारण रहे है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए विशेष एजेंसियां

2983. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या क्या है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिये विशेष एजेंसियां हैं; और

(ख) वर्ष 1970–71 1972-73 और 1973-74 में इस प्रयोजनार्थ कितना अनुदान स्वीकृत हुआ तथा कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

Arrests made under DIR in Madhya Pradesh

2984. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of corrupt persons, blackmarketeers and adulterators arrested under DIR in Madhya Pradesh during last year; and

(b) the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and :(b) Information is awaited from the State Government.

Setting up of P.C.Os. in villages of Ujjain, Khargone, Devas and Indore districts

2985. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether the villages in Ujjain, Khargone, Devas and Indore Districts have been demanding for the last three years for setting up of public call offices there; and

(b) the action taken so far and the steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) The information is given in the Statement-I (attached). [Placed in Library. See No. L.T. 6414/74].

(b) Details of Public Call Offices (1) already opened (2) sanctioned and yet to be opened (3) under examination are given in the Statement-II. [Placed in Library. See No. L.T. 6414/74] The remaining cases have been examined and the proposals dropped being unremunerative.

Complaints against the working of film Censor Board

2986. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of complaints received so far by his Ministry against the working, partisan attitude and activities of the Film Censor Board;

(b) whether last year the Censor Board gave 'U' Certificate to some films which should have been given 'A' Certificate as a result of which there is great resentment among film producers and

(c) if so, the action being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No complaint has been received so far.

(b) No Sir. During 1973, 51 Indian films were granted 'A' Certificates as against 26 films granted such certificate in 1972.

(c) Does not arise.

आर्थिक नीतियों पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना

2987. **श्री एम० के० कृष्णन**
श्री ए० के० गोपालन } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंधन संकट और ऋणों पर लगी रोक से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, स्थिरता के साथ विकास हेतु और सामाजिक न्याय के साथ

उन्नति हेतु समूची आर्थिक नीतियों पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जिसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्य मंत्री हैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया । पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले आर्थिक नीतियों और ईंधन संकट सहित सभी घटकों पर निस्सन्देह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ।

पिछड़े क्षेत्र मानने की कसौटी

2988. **श्री एम० के० कृष्णन्**
श्री ए० के० गोपालन : } क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि पिछड़े क्षेत्र मानने की वर्तमान कसौटी किसी राज्य के पिछड़ेपन का उचित मूल्यांकन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार ने इस बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिये कोई विशेष कसौटी का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने अपनी "पंचवर्षीय योजना प्रारूप की रूपरेखा" में अपने यहां पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या की प्रतिशतता ।

(2) प्रतिलाख जनसख्या पर माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ।

(3) प्रति लाख जनसंख्या पर बिजली के घरेलू कनेक्शनों की संख्या ।

(4) सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कंकरीट और डामर वाली सड़कों की लम्बाई ।

(5) प्रति लाख जनसंख्या पर फैक्टरी में काम करने वालों की संख्या ।

(6) प्रति लाख जनसंख्या पर अस्पतालों में रोगी शय्याओं की संख्या ।

अपने यहां पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिये योजना आयोग ने जनवरी, 1965 में राज्यों को 15 सूचकों का सुझाव दिया था । बाद में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यह सूची केवल निर्देशात्मक है और स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य इसमें संशोधन कर सकते हैं ; क्योंकि अपने यहां के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने की मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की है ।

जहां तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रश्न है इसका राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सितम्बर, 1969 में अनुमोदित वांचू समिति की रिपोर्ट के आधार पर रियायती दर पर धन देने तथा पूंजीगत इमदाद देने के लिये निर्धारण किया गया ।

कलकत्ते में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

2989. **श्री रानेन सेन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन जिलों के अन्तर्गत टेलीफोन के लिये कितने आवेदक हैं और वे कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) गत पाँच वर्षों से कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) (i) तारीख 31-12-73 को अनिर्णीत अर्जियों की कुल संख्या 60,649 थी, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी०	10672
विशेष	3680
सामान्य	46,297

(ii) सब से पुरानी अर्जियों की तारीखें :—

ओ० वाई० टी०	14-1-66 (66 एक्सचेंज)
विशेष	20-4-60 (उत्तर पाड़ा एक्सचेंज
सामान्य	9-11-56 (सिरामपुर एक्सचेंज)

(ख) पिछले पांच वर्षों से अनिर्णीत अर्जियों की संख्या 24,444 है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी०	587
विशेष	1077
सामान्य	22780

(ग) पांचवीं योजना की अवधि में 70,000 से 80,000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है । 16700 लाइनें जोड़ने का काम पहले ही किया जा रहा है । आशा है कि इन में से 900 लाइनें शीघ्र ही दे दी जायेंगी और वर्ष 1974–75 में अन्य 10000 लाइनें उत्तरोत्तर चालू कर दी जायेंगी । पांचवीं योजना के कार्यक्रम के अनुसार बाद में क्षमता का आगे विस्तार किया जायेगा ।

Transfer of Konda Village Poultry Farm to and I.T.C. Ambagudi

2990. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology be pleased to state** :

(a) whether it is a fact that Public Accounts Committee recommended the transfer of Konda Village Poultry Farm to Madhya Pradesh Government and Industrial Training centre, Ambagudi to Orissa Government; and

(b) if so, the action taken in this connection and the reasons for delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति

2991. **श्री शशि भूषण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड में इस समय कितने कर्मचारी काम करते हैं उनमें पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन्हें सेवा में सुरक्षा, भविष्य निधि, चिकित्सा, छुट्टी आदि जैसी प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय समिति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या 258, है, जिनमें से 27 महिला कर्मचारी हैं ।

(ख) समिति के कर्मचारियों की सेवा शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1954 द्वारा शासित होती हैं । उक्त अधिनियम की धारा 30 में यह उपबन्ध है कि कोई भी नियोक्ता अपने ऐसे कर्मचारी की सेवायें जो निरन्तर कम से कम तीन महीने सेवा कर चुका हो उसे कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के ऐवज में मजदूरी दिये बिना, समाप्त नहीं कर सकता । ऐसे नोटिस का दिया जाना ऐसे व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं है, जिसकी सेवायें उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप या आरोपों का लिखित रुप में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किये जाने के बाद उसके कदाचार के कारण समाप्त की गई हो ।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(1) के अधीन छुट्टी के लाभ दिये हुए हैं और 13 महीनों की लगातार सेवा के बाद कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के लिये पूरी मजदूरी सहित विषेषाधिकार छुट्टी तथा हर साल 12 दिन तक की कुल अवधि के लिये मजदूरी सहित बीमारी तथा आकस्मिक छुट्टी दिये जाने की व्यवस्था है ।

3. भविष्य निधि के लाभों के प्रयोजन के लिये इन कर्मचारियों को समय-समय पर यथा संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 द्वारा शासित किया जाता है ।

4. इन कर्मचारियों को समय-समय पर यथासंशोधित बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिनियत (स्टेटयूटरि) बोनस भी मिलता है ।

5. इस समय इन कर्मचारियों को कोई चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल रही है । फिर भी, इस समिति के प्रबन्धक इन कर्मचारियों के लिये चिकित्सा भत्ता स्वीकार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् ।

केन्द्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में निदेशक

2992. **श्री शशि भूषण : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में इस समय कितने निदेशक हैं;

(ख) उक्त निदेशकों को कब चुना गया था और उनके चयन की क्या प्रणाली थी;

(ग) निदेशकों के नये चुनाव कब होंगे;

(घ) क्या समिति की रायसीना रोड शाखा में निदेशकों के लिये एक नया कार्यालय स्थापित किया गया है; और

(ड़) यदि हां, तो कब और इसका मुख्य प्रयोजन क्या है और उन्हें क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय निदेशकों की संख्या (जिसमें निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष भी शामिल है) 17 है भारत सरकार अध्यक्ष तथा आठ निदेशकों को नामांकित करती है और शेष निदेशकों का चुनाव समिति की आम सभा द्वारा किया जाता है ।

(ख) इस समिति के उप-नियमों के अनुसार आम सभा शेयरधारियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है । इन प्रतिनिधियों में से हर वर्ष चार निदेशक दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं । दिनांक 28-2-1972 को हुई आम सभा की बैठक में वर्तमान चार निदेशकों को चुना गया था और अन्य चार का चुनाव दिनांक 10-10-73 को किया गया था ।

(ग) अपने दो वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद जो निदेशक पदमुक्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर अगले चार निदेशकों का चुनाव 30 जून, 1974 से पहले किये जाने की संभावना है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसियेशन, गुड़गांव को अनुदान

2993. **श्री शशि भूषण :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसियेशन को कुछ अनुदान देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितना; और

(ग) उक्त एसोसियेशन को और क्या लाभ दिये गये ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ ने अगस्त, 1972 में सहायता-अनुदान के लिये अनुरोध किया था । अनुदान के लिये, इसकी उपयुक्तता की जांच करने के लिये सितम्बर, 1972 में कतिपय ब्यौरे मांगे गये थे, जिनमें रजिस्ट्रेशन की तारीख रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट की प्रतिलिपि तथा संघ का विधान शामिल थे । इन्हें अभी तक नहीं दिया गया है । इसीलिये संघ को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

1974-75 की योजना में पश्चिम बंगाल के लिए धनराशि का आवंटन

2994. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में पश्चिम बंगाल राज्य के लिए उद्योग, कृषि, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के लिये, अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) प्रत्येक मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांग की गई धनराशि की तुलना में उक्त आवंटन की राशि कितनी कम है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पश्चिम बंगाल सहित, राज्यों की 1974-75 की वार्षिक योजना आकारों तथा उनमें क्षेत्रीय वितरण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में संयंत्रों की स्थापना

2995. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में आगामी दो वर्षों में किन-किन संयंत्रों की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी और इन संयंत्रों के नाम क्या हैं तथा इनकी उत्पादन क्षमता कितनी कितनी होगी और प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन कार्य आरम्भ करने के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना): **(क) तथा (ख)** : विभिन्न राज्यों म जिनमें पं० बंगाल भी शामिल है पांचवी योजना के दौरान लगायी जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं का (जहां तक निर्णय लिया जा चुका है) स्थान और उसका परिव्यय समेत, का उल्लेख पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के पृष्ठ सं० 151–155 (जिल्द-II) पर किया गया है ।

योजना आयोग के द्वारा गठित बड़े तथा मझौले उद्योगों के कार्यकारी दल ने राज्य के सरकारी क्षेत्र के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की औद्योगिक योजनाओं के लिए 1671.72 लाख रुपये की परिव्यय राशि के अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए 2638.62 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है । पांचवीं योजना में कार्यान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं हैं :—

दुर्गापुर कैमीकल लिमिटेड कल्याणी स्पिनिंग मिल्स (विस्तार तथा उत्पादन में विविधता लाना) नये कताई मिल, ईंटों का यंत्रीकृत उत्पादन, कूच बिहार छापा खाना का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बंद पड़ अथवा ठीक प्रकार से न काम कर रहे औद्योगिक कारखानों को फिर से चलाना, सिनकोना उगाने का विस्तार ।

कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण

2996. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा इसके निकतवर्ती क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ता स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट हैं, और

(ख) कलकत्ता टलीफोन प्रौधिकरण को अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 में कलकत्ता टेलीफोन उपभोक्ताओं से एक्सचेंजों-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कलकत्ता टेलीफोन उपभोक्ताओं से उनके टलीफोनों के ठीक काम न करने से संबंधित शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं ।

(ख) मुख्य आटो एक्सचेजों में पिछले तीन महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

एक्सचेंज का नाम	प्राप्त शिकायतें		
	अक्तूबर 73	नवम्बर 73	दिसम्बर 73
22 .	4038	4417	4064
23 .	3413	4548	4109
24 . . .	2475	2906	2685
33 . .	3730	3597	3512
34 .	3537	3622	3408
35 . .	1993	1804	1847
44 . . .	3448	3800	3459
45 .	7533	6356	7129
46 .	5750	5444	4342
47 . .	2739	3445	3390
55 . . .	3934	3849	3621
56 . .	1221	960	824
57 . . .	1028	989	965
58 . . .	1082	1014	832
66 . . .	2867	2998	2097
67 . . .	2156	2105	2109
41 . . .	1054	821	690

Issue of Postal Stamps in 1974

2997. **Shri Shankar Dayal Singh**
Shri P. G. Mavalankar } : Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) whether a final decision regarding the number of new stamps proposed to be brought out during 1974 has been taken; and

(b) if so, particulars regarding names of persons, occasions which are proposed to be commemorated by these stamps?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) Yes.

(b) The programme for the issue of special/commemorative postage stamps during 1974 is given in the list attached. [Placed in Library. See L.T. No. 6415/74].

पांचवीं योजना के बाद विदेशी सहायता

2998. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तेल संकट के कारण पांचवीं योजना के अन्त तक किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता पर निर्भर न रहने के लक्ष्य को प्राप्त करने की देश की आशा समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : भारत के भुगतान संतुलन पर तेल संकट की जटिलताओं और इस समस्या के निदान के लिए अपनाए जाने वाल उपायों का अध्ययन किया जा रहा है। स्थिति अस्पष्ट बनी रहने के कारण अभी ठोस निर्णय नहीं लिए गये हैं। परन्तु सरकार संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करने के लिए कृत-संकल्प है जिससे पांचवीं योजना में निहित आत्म-निर्भरता के उद्देश्य की रक्षा की जा सके।

Committee for Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2999. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Khadi and Village Industries Commission had constituted a committee in regard to Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) if so, the dates on which this Committee was constituted and the benefits derived by this institution from this Committee; and

(c) whether any such committee exists at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Yes, Sir.

(b) It was constituted on 1-10-66. As a result of the expert advice from the Committee from time to time the Bhavan was able to render better service to its patrons and increase its sales.

(c) No, Sir.

कतिपय राजनैतिक दलों के साथ सम्बन्ध होने के कारण बर्खास्त किए गए केन्द्रीय सरकारी अधिकारी

3000. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 से कतिपय राजनैतिक दलों के कार्य में सहयोग देने के कारण अनेक केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है और वे किन-किन राजनैतिक दलों के साथ सम्बद्ध थे; और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये सेवा में आचरण सम्बन्धी नियमों में कर्मचारियों के लिये किसी राजनैतिक दल में शामिल होना या उसके लिये काम करना मना है ; और यदि हां, तो उसमें उल्लिखित राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1964 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन, कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो किसी ऐसी राजनैतिक पार्टी अथवा किसी संगठन का, जो राजनीति में भाग लेती है, सदस्य बनेगा और न किसी अन्य प्रकार से उससे सम्पर्क ही रखेगा और न किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा कार्यों में चन्दा देने अथवा किसी अन्य प्रकार से सहायता करके भाग ही लेगा। उक्त नियम के उप-नियम (3) के अधीन, यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई पार्टी राजनैतिक पार्टी है अथवा इस नियम के अर्थों के भीतर क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है, इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना होता है । इस नियम के अनुसरण में यह स्पष्टीकरण किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमायते-इस्लामी तथा आनन्द मार्ग के नाम से विदित आन्दोलन, अथवा इसके किन्हीं संगठनों की सदस्यता अथवा उनकी गतिविधियों में भाग लेने पर उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे। किन्तु, आनन्द मार्ग अथवा इसके किन्हीं संगठनों की सदस्यता तथा इसकी गतिविधियों में भाग लेने से सम्बन्धित अनुदेशों को, इस मामले के अदालत के समक्ष होने के कारण, आस्थगित रखा गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम (5) (1) के उपबन्धों की पुनरावृत्ति करते हुए अनुदेश भी जारी किए गये हैं, जिसमें विशेषत: यह आवश्यक समझा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को न केवल राजनैतिक तटस्थता ही बनाए रखना चाहिए, बल्कि उन्हें तटस्थता का निर्वाह करते हुए दिखाई भी पड़ना चाहिए और उन्हें ऐसे किसी भी संगठन के कार्यों में न तो भाग ही लेना चाहिए और न उसके साथ सम्पर्क ही रखना चाहिए जिसके सम्बन्ध में यह समझने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि उस संगठन का कोई राजनैतिक पहलु है।

2. उपर्युक्त नियम के उल्लंघन पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के उपयुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाई की जाती है, जिसमें वे कार्य कर रहे हों। इसलिए केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना, जिन्हें वर्ष 1971 से उक्त नियम के उल्लंघन के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Application for Industrial Licences from Rajasthan

3004. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of industries in respect of which a proposal containing recommendations of Rajasthan Government for grant of C.O.B. licences or other licences to them has been forwarded to the Central Government indicating the date of sending the said proposal; and

(b) if so, the action taken on it so far and the time by which a decision will be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) During the period January, 1970 to 28-2-1974, 406 applications for industrial licence pertaining to the State of Rajasthan were received. They related to Metallurgical, Electrical Equipment, Telecommunications, Industrial Machinery, Machine Tools, Agricultural Machinery, Miscellaneous Mechanical & Engineering, Industrial Instruments, Fertilisers, Chemicals (other than Fertilizers), Drugs and Pharmaceuticals, Textiles (including those Dyed, Printed or otherwise Processed), Paper & Pulp including Paper products, Sugar, Food Processing, Vegetable oils and Vanaspathi, Rubber Goods, Glass, and Cement & Gypsum products industries, etc. Of these 363 applications were received upto 31-10-73 and 43 were received subsequent to the introduction of streamlined procedure on 1-11-73. Of the old applications, 284 applications have been disposed of and every effort is being made to dispose of the remaining 79 applications expeditiously in cooperation with the administrative ministries. Of the 43 applications received after 1-11-73, 7 applications have been disposed of and it is expected that the remaining 36 will be disposed of according to the prescribed time schedule. Yearwise and typewise distribution of pending applications as on 1-3-74 is as follows :

Year	Type				
	N.U.	N.A.	S.E.	C.O.B.	Total
1970	3	—	—	3	6
1971	6	1	1	1	9
1972	15	4	3	—	22
1973	34	7	5	6	52
1974 (Upto February) . . .	15	2	3	6	26

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बढ़ते हुए संकट पर एक प्राइवेट सतथ्य रिपोर्ट का विश्व-बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों को वितरित किये जाने का समाचार

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the Following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

Reported distribution of a private factual report on deepening crisis in Indian economy prepared for distribution among the 13 nation Aid India Consortium of the newspapers by the office of the President of the World Bank.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

एड इंडिया कंसोर्शयम के सदस्यों के लिए तैयार की गयी एक रिपोर्ट के बारे में समाचारपत्रों में जो कई प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान गया है।

2. हमने इस बारे विश्व बैंक से पता लगाया और हमें यकीन दिलाया गया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा समाचारपत्रों को बांटी गयी। ऐसा लगता है कि यह रहस्योद्घाटन अनधिकृत रूप से हुआ है और विश्व बैंक द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि उक्त सूचना किसने दी।

3. यह रिपोर्ट तीन साल पहले एड इंडिया कंसोर्शयम के सदस्यों द्वारा किये गये इस अनुरोध के परिणाम स्वरूप तैयार की गयी थी कि विश्व बैंक को भारत की ऋण सम्बन्धी देनदारियों और लम्बी अवधि के लिए भारत की सहायता संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा तैयार की गयी है और पेरिस में अप्रैल, 1974 में होने वाली सहायता संघ के कार्यकारी दल की बैठक के सिलसिले में संघ के सदस्यों में बांटी गयी थी। यह बैठक अगले साल और उससे अगले साल के दौरान भारत के विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि और उसके स्वरूप के बारे में विचार करने के लिए बुलायी गयी है। इस रिपोर्ट का खास उद्देश्य यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान विकास करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे, संघ के सदस्यों को उन्हें समझने में आसानी हो और वे हमारे लिए विकास के ऐसे साधन दे सकें, जैसे वे पहले देते रहे हैं या जो वे भविष्य में दे सकते हैं और जिनका अधिक से अधिक खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether his attention has been drawn to the news-report published in various Indian Newspapers that the World Bank report was distributed to the Newspapers by the officials of the World Bank. It has been reported in the "Times of India" that the World Bank report should not at least be released till the U. P. elections are over, lest it should damage the Congress Party's chances and Mrs. Gandhi's standing.

I would also like the hon. Finance Minister to explain whether any efforts were made by our embassy to hold the publication of the World Bank's report on the eve of the U. P. elections. When several parts contained in the report have already been published, I would urge the Finance Minister to take the House into confidence and place the report on the Table of the House.

According to the report, India is the largest debt-receipient from World Bank. An amount of Rs. 370 crores has been given to India alone. 130 millions out of a total 300 million poor people in the world live in India. It has also been mentioned in the report that an amount of Rs. 1210 crores of foreign aid would be required for the Fifth Plan. The Government has not shown in its budget estimates the amount of wheat-loan received from U.S.S.R. and the laoan given by Iran. The World Bank has also estimated that India would have to import ten Million tons of food-grains during the Fifth Plan Period. I would like to know the reaction of the government to these estimates of the World Bank.

The Shah of Iran has suggested to set-up an Organisation of Petroleum Producing-Countries, Developed Countries and under-developed Countries. I would like to know whether he has received such a suggestion and whether any discussions have been held with the oil producing countries? If such an organisation is formed, whether it would function with the co-operation of World Bank? I would like to Finance Minister to explain the Government's stand to this.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने वक्तव्य में स्थिति का खुलासा किया है।

Shri Madhu Limaye : This leakage has been made by the Bank officials and it is not an official leakage.

Shri Y. B. Chavan : There has, no doubt, been a leakage and they are enquiring into it. At this juncture, it is not possible for me to express my opinion over this.

As far as report is concerned, it is a confidential report of the World Bank and I cannot afford to agree to lay it on the Table of the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्या आपके पास रिपोर्ट है?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत सहायता सार्थ संघ के सदस्य देशों को पेरिस में अप्रैल के महीनों में होने वाली मीटिंग के लिए सहायता और ऋण राहत के प्रश्नों पर विचार करने के लिए सहायता देना है, जिससे ये देश भारत की आर्थिक विकास और सन्तुलन स्थिति से परिचित हो सकें।

Shri Madhu Limaye : Sir, he has not replied any of the questions. I would like to know the reaction of the Government to the World Bank's views regarding foreign aid and import of food-grains.

श्री यशन्त राव चह्वाण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

मैं इस समय प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। अगर सदन पांचवीं योजना के दौरान विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के अनुमानों के बारे में जानने का इच्छुक है, तो उसे इस बात का पूरा हक है; परन्तु अगर आप इस बारे में इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में बात करना चाहते हैं, तो मेरी अपनी सीमायें हैं। मैं रिपोर्ट में निहित विषयों पर चर्चा करने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय का कथन सही है।

Shri Madhu Limaye : I have said that these questions could be replied to irrespective of the World Bank's report, otherwise what is the use of admitting a calling Attention Notice. When world Bank has leaked it to the Press, the Government should not have any objection to release it? Mr. Speaker, Sir, you should kindly direct the Minister to furnish the information.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों में कुछ आरोप लगायें गयें हैं। मंत्री महोदय अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करना चाहते, तो समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर तो सदन में चर्चा की ही जा सकती है।

Shri Madhu Limaye : Notwithstanding anything-contained in the report, I would like to know from the Finance Minister his evaluation regarding the import of food-grains and foreign aid as on 13th of March, 1974.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह प्रश्न इस प्रश्न में से कैसे उत्पन्न होता है?

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं इसके अलग प्रश्न के रूप में स्वीकार कर सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : It is grave injustice. What is the use of a Calling Attention Notice? The Minister could reply in two sentences about the evaluation of the Government regarding import of food-grains and foreign aid. Mr. Speaker, Sir, you are not protecting the rights of the Members.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान्जी, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर अपना निर्णय दें। यह दस्तावेज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। इसे सभा पटल पर रखने में मंत्री महोदय के सामने क्या बाधा है? यह सदन का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : आप दस्तावेज पेश करने में विशेषज्ञ हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, would he not reply regarding the Shah of Iran also? You would have disallowed the Calling Attention then.

Mr. Speaker : You may give a separate Calling Attention for that purpose.

श्री यशन्त राव चह्वाण : उस प्रश्न का उत्तर पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय देगा।

Shri Madhu Limaye : I am asking about foreign aid and development. The foreign exchange is his subject. Sir, if this goes on, I would have to walk out. Sir, my question regarding the Shah of Iran must be got replied.

श्री समर गुह (कन्टाई) : विश्व बैंक की रिपोर्ट के कुछ अंश समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। इस बारे में ध्यानाकर्षण नोटिस भी आपने मंजूर किया है। अब इस बारे में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर वित्त मंत्री यही कहते रहे कि यह गोपनीय रिपोर्ट है तो फिर इस पर चर्चा हो भी कैसे सकती है? मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट भारत के लिए सहायक है अथवा नहीं? क्या भारत के आर्थिक विकास से सम्बन्धित कुछ तथ्यों के समाचारपत्रों में समय से पहले प्रकाशित हो जाने से देश को कोई हानि हुई है? टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार में विश्व बैंक के ऊपर कुछ आक्षेप लगाये गये हैं। मंत्री महोदय इन सब प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मैकनमारा ने विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के बाद आई० डी० ई० की 40% सहायता भारत को दी है। अब यह समाचार मिला है कि अमेरिका द्वारा आई० डी० ए० को दी जाने वाली सहायता में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सार्थ संघ और विश्व बैंक से ही हम वस्तुओं के आयात के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित अंश भारत सरकार को पेश की गई रिपोर्ट से मेल खाते हैं या नहीं?

यह भी कहा जाता है कि भारत और इस साम्यवादी देश के बीच व्यापार सहायक नहीं है। भारत को पांचवीं योजना के लिये 5 बिलियन विदेशी मुद्रा की आश्वयकता होने का अनुमान है। इस बारे में विश्व बैंक ने 12.1 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है। इस बारे मे तथ्य क्या है? सरकार को इस बात का भी उत्तर देना चाहिये कि क्या भारत और सम्यवदी देश के बीच व्यापार देश के हित में नहीं होगा? क्या सरकार विश्व बैंक के इस मत से सहमत है कि पांचवीं योजना के दौरान भारत के लिये 5 बिलियन डालर की सहायता अपर्याप्त होगी। इसके लिये उस 12.1 बिलियन डालर की सहायता की आवश्यकता होगी।

क्या प्रतिवेदन की बातें पहले पता लग जाने के कारण सहायता देने वाले सार्थ-समूह देशों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : विश्व बैंक के प्रतिवेदन के बारे में हम अध्ययन कर रहे ह। यह कहना कठिन है कि यह हमारे लिये सहायक होगा अथवा नहीं। जहां तक श्री मैकनमारा के रुख का सम्बन्ध है वह भारत सहित विकासशील देशों के लिये उपयोग और सहानुभूति पूर्ण रही है।

श्री समर गुह : सरकार को विश्व बैंक का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस बारे में कुछ समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। क्या उक्त प्रकाशित समाचार सच हैं।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस सम्बन्ध मे आपका क्या विनिर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में 26 फरवरी, 1965 को यह विनिर्णय दिया था कि सरकार को किसी भी गुप्त अथवा गोपनीय वर्गीकृत दस्तावेज की कथित प्रति की सत्यता को स्वीकार अथवा इंकार करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। यह सत्यापित करने का दायित्व उस सदस्य का है जिसने अपने निजी स्रोतों के माध्यम से उक्त दस्तावेज से उद्धत किया है।

Shri Madhu Limaya (Banda): I am challenging your ruling I have to raise a point of order.....

Mr. Speaker : We cannot compel the Minister to say about the confidential documents.

Shri Madhu Limaye : World Bank's document is not Government's document. The present ruling does not apply in this matter.

Mr. Speaker : World Bank's report is confidential for the Government. Government want to keep it confidential.

श्री मधु लिमये : यह सरकार का विनिर्णय नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पुराना विनिर्णय है कृपा करके यह बतायें कि इस मामले में यह विनिर्णय कहां तक न्याय संगत है । श्री समर गुह और श्री मधु लिमये कोई भी दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रख रहे हैं । अत. उन्हें सत्यता सिद्ध करना आवश्यक नहीं है । उन्होंने ऐसा समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कहा है । वित्त मंत्री ने कहा था कि प्रतिवेदन में निहित तथ्यों के बारे में पहले ही पता लग गया था । अत: इस बारे में सदन को अन्धकार में रखने का क्या कारण है ?

श्री समर गुह : मेरे विचार से उक्त विनिर्णय इस मामले में लागू नहीं होता । इसके अतिरिक्त यह भारत सरकार का दस्तावेज नहीं है । जहां तक विनिर्णय का सम्बन्ध है वे भारत सरकार के दस्तावेजों पर लागू होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में दिये गये विनिर्णय के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री समर गुह : सरकार को इसकी सत्यता अथवा असत्यता के बारे में विनिर्णय देना चाहिये । मेरा यह सुझाव है कि इस विषय पर चर्चा स्थगित कर दी जानी चाहिये । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह सोच विचार कर विनिर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस पर बहुत विचार कर चुका हूं ।

Shri Madhu Limaya : I am not satisfied with the ruling and I am leaving the House in protest.

(तत्पश्चात् श्री मधु लिमये सदन त्याग कर चले गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House)

डा० कैलाश (बम्बई–दक्षिण) : क्या तत्संगत है अथवा क्या तत्संगत नहीं है इस बारे में निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को है । जब आपने विनिर्णय को एक बार तत्संगत घोषित कर दिया है तो इस विषय पर आगे प्रश्न उठाने का सवाल उत्पन्न नहीं होता ।

श्री समर गुह : इस मामले में विश्व बैंक और भारत सरकार के सम्बंध "प्रोटोकोल" नहीं हैं । अत: इस मामले में उक्त विनिर्णय लागू नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : विश्व बैंक का प्रतिवेदन गोपनीय है और उन्हें उसे गोपनीय रखना है और उन्ह इस बारे में जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब विश्व के समाचार पत्रों को इस बात की जानकारी है । हमें इस सम्बन्ध में क्यों अन्धकार में रखा जा रहा है ? आप इस बारे में उचित टिप्पणी दें ।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : माननीय मंत्री द्वारा दिय गये उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट भारत को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक सहायता के हेतु उचित आशय से

दी गई थी । इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन के प्रकाशन का तरीका आपत्तिजनक है । हो सकता है प्रतिवेदन में भारत की खाद्यान्न की आवश्यकता को उचित अथवा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हो । लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । वित्त मंत्री को यह कहने का अधिकार है कि प्रतिवेदन के बारे में नहीं बताया जा सकता (**अन्तर्बाधाएं**) ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह प्रकट होता है कि प्रतिवेदन का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है और भारत के वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों में सहायता देने के लिये नहीं किया गया है । क्या वित्त मंत्री प्रतिवेदन के इस प्रकार प्रयोग करने का विश्व बैंक से विरोध करेंगे ?

श्री योगेन्द्र झा (जय नगर): यह सच है कि प्रतिवेदन के बारे में पहले पता लग गया था । वित्त मंत्री के लिखित उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदन के जिस भाग का पता लगा था । वह गोपनीय था (**अंतर्बाधाएं**) ।**

एक माननीय सदस्य शब्द** को सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उक्त टिप्पणी की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र झा : रिपोर्ट के पहले ही पता लग जाने के बारे में क्या सरकार ने विश्व बैंक से बाचचीत की है ? इस प्रकार रिपोर्ट के पहले पता लगने से हमारा आत्म-निर्भरता के घोषित उद्देश्य को धक्का पहुंचता है और इससे देश में आत्म-निर्भरता विरोधी शक्तियों को सहायता मिलती है ।

विश्व बैंक ने ऐसे समय रिपोर्ट को पता लगने दिया है जब सरकार गेहूं के थोक व्यापार को लागू करने में हिचक रही है । क्या रिपोर्ट के पता लग जाने से सरकार जनता को नियंत्रित दर पर अनाज देने, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने की नीति को छोड़ देगी ।

सरकार को रिपोर्ट के पहले पता लग जाने के बारे में विश्व बैंक से विरोध प्रकट करना चाहिये और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी देनी चाहिये ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार से अथवा अन्य प्रकार से रिपोर्ट के पता लग जाने से हमारी नीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । योजना संसद की अनुमति से बनाई जाती है और हम निश्चित रूप से आत्म निर्भरता की नीति पर दृढ़ हैं । जहां तक विरोध प्रकट करने का सम्बन्ध है, वह इस सम्बन्ध में स्वयं जांच कर रहे हैं । यदि सरकार की ओर से रिपोर्ट की पहले जानकारी दी गई होती तो हम निश्चित रूप से इस पर विरोध प्रकट करते ।

श्री योगेन्द्र झा : उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि भारत को अगामी पांच वर्ष में प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी और भारत को अगामी पांच वर्षों में 12.1 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । क्या भारत सरकार उक्त अनुमानों से सहमत है ?

****अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।**

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस बारे में केवल यही कह सकता हूंकि हमारी मूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंद गांव) : यदि रिपोर्ट के पहले पता लग जाने के परिणामस्वरूप भारत की सम्पन्न स्थिति का पता लगता तो कोई बात न थी । लेकिन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत खाद्यान्न, उर्वरक, विदेशी मुद्रा पंचवर्षीय योजनाओं आदि माले में दिवालिया हो गयी है । वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और भारत के लोग असहाय हैं । चूंकि प्रतिवेदन गोपनीय है अत: यह कहना कठिन है कि यह बातें सत्य हैं अथवा नहीं । वित्त मंत्री को पैरिस में अप्रैल में होने वाली बैठक में सदन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहिये । उन्हें यह कहना चाहिये कि हम लोग इस प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत के लोग इस बारे में बहुत क्षुब्ध हैं । यदि यह बात बताना गोपनीय है तो वह मुझको गुप्त रूप से उत्तर दे सकते हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मुझे कोई उत्तर नहीं देना है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हुई है । गुजरात विधान सभा के 168 विधायकों में से 84 सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है । सरकार की विधानसभा भंग करने में क्या आपत्ति है ? मैं इस मामले में आप की राय जानता चाहता हूं । सरकार अभी तक क्यों उसी स्थिति को बनाये हुये है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृहमंत्री महोदय ने इसके बारे में वक्तव्य देना था ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला चर्चा के दौरान उठाया गया था ।

आगन्तुकों को संसद सदस्यों से मिलने से कथित रोके जाने के बारे में

Re : Alleged Prevention of Visitors from meeting Members of Parliament

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I would like to draw your attention towards the incident which occurred in the reception .....

Mr. Spaker : There is no need to raise this issue here, you just write to me about that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have already written to you. It has been wrongly stated by the Secretariat that no boy came to see me. I myself had been to reception office and the students who came to see me were there. Even Mr. Mavalanker was there. It is a serious matter and must be looked into. It will not be proper if you believe the statement of Security Staff and distrust the Members.

Mr. Speaker : The matter has been enquired into by the Secretary General himself, and the records have been checked. Nobody came to see you.

श्री पी० जी० मांवलकर : अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों से कई विद्यार्थी हम में से अनेक संसद सदस्यों से मिलने के लिए आये । जब उन लड़कों तथा व्यक्तियों ने 'स्लिप' मांगी तो उन्हें यह कहा गया कि हम में से कोई भी उपस्थित नहीं है । हमारी शिकायत यह है कि उनको हमसे मिलने से क्यों रोका गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिये । मैं इसकी जांच करुंगा । यह ठीक है कि कुछ विद्यार्थियों को अन्दर नहीं आने दिया गया क्योंकि उनका स्वागत कार्यालय में झगड़ा हो गया था ।

श्री पी० जी० मांवलकर : विद्यार्थियों का अपमान किया गया। विद्यार्थी हमसे मिलना चाहते थे और हमें उनसे मिलने का अधिकार है।

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : आप जानते हैं कि अभी यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया था। अध्यक्ष महोदय आपके बार बार इस बात पर बल देने से कि इस प्रकार का कोई मामला आपके नोटिस में नहीं आया, इसीलिए हमें पुनः यह बात यहां दोहरानी पड़ रही है। हमें 40–50 स्लिपें भेजी गई थीं परन्तु उनमें से हमें कोई भी नहीं मिली। जो शिकायत की गई है आप इसकी जांच कीजिये और यह सुनिश्चित कीजिये कि भविष्य में ऐसा न हो।

Shri Samar Guha : rose.....

Mr. Speaker : Mr. Samar Guha, here you sworn that you must get up every moment on any subject?

Mr. Jyotirmoy Bosu : This sort of things are being done by the Delhi Police which is deployed in plain cloths. It is not done by Security Staff.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, we send our papers through somebody, but that man is not permitted to enter the Parliament House .....(*interruptions*)
May I request you to fix a day enclusively for Mr. Samar Guha to speak.

अध्यक्ष महोदय : हम एक दिन इतवार को केवल श्री समर गुह के साथ ही सदन में बैठेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना और अन्दमान और निकोबार वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवा (प्रवरता विनियमन) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 195 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रवरता विनियमन) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 196 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 6388/74)।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति संशोधन विनियमन, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 121 (ङ) में प्रकाशित हुये थ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 122 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) अण्डमान और निकोबार प्रशासन का वर्ष 1972-73 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6389/74)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सदन को देनी है ।

राज्य सभा ने 11 मार्च, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गयी है कि वह बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति में श्री जी० वेंकटस्वामी द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य का नाम उस सभा को सूचित करे ।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

37वां प्रतिवेदन

श्री० जी जी० स्वैल : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

104 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सीमा शुल्क के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन--केन्द्रीय सरकार (सिविल)--- राजस्व प्राप्तियां --के अध्याय दो के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 80वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 104वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, (रेलवे), 1973-74

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1973-74

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वर्ष 1973-74 के बजट (रेल) संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेल) 1971-72

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1971-72

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वर्ष 1971–72 के बजट (रेल) संबंधी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब कि गलत समाचार दिया गया हो । पैट्रिआट समाचार पत्र में जो कुछ प्रकाशित किया गया है उसका सार यह है कि श्री पी० जी० मावलंकर एक निर्दलीय सदस्य इस आन्दोलन से शुरू में संबद्ध थे पर जब उन्होंने इसे एक राजनीतिक दल का रूप देकर उसका नेता बनना चाहा तो विद्यार्थियों द्वारा उन्हें अलग कर दिया गया ।

श्री पी० जी० मांवलकर (अहमदाबाद) : यह आधारहीन और विद्वेषपूर्ण आरोप है । यह मेरे चरित्र पर आक्षेप है यदि आप कौल और शकधर की पुस्तक का पृष्ठ 914 देखें तो उसमें साफ लिखा है कि प्रैस के मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न मुख्यत दो रूपों में उठाया जा सकता है एक तो संसद की कार्यवाहियों के गलत प्रकाशन, और दूसरे किसी भी सदन, उसकी समितियों या सदस्यों के बारे में की गई टिप्पणियों के बारे में । इस समाचार द्वारा मेरे चरित्र पर आक्षेप लगाया गया है जबकि मैंने कभी कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया और न ही ऐसा कभी स्वप्न में सोचा अत: इस मामले पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने संवेदनशील न हों । मेरे मामले में भी समाचारपत्र कहते रहते हैं कि अध्यक्ष ने यह कहा वह कहा और फिर यह निर्णय दिया । मैंने भी कभी बुरा नहीं माना और न ही सदन के सदस्यों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई । अत: आप अत्यधिक संवेदनशील न बनें । विशेषाधिकार के प्रश्न पर हम समाचारपत्र से उनकी राय मांगते हैं । इस समाचार पत्र के सम्पादक से पूछा जाएगा कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है ।

बिहार के एक गाँव में दो आदिवासियों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEATH OF TWO ADIVASIS IN A VILLAGE IN BIHAR

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : बिहार सरकार से 5 मार्च, 1974 को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार धनबाद जिले के दुगादीह गांव में दंगे के फलस्वरूप दो आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। घटना की जानकारी के मिलने के तुरन्त बाद धनबाद के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेन्ट घटनास्थल पर पहुंचे और एक आदिवासी के शव को, जिसपर गोलियों के निशान थे, एक कुवर चौधरी, एक दुकानदार और गांव के एक छोटे किसान के घर के सामने पड़ा पाया। यह सूचना मिलने पर कि एक आदिवासी लड़के को भी मार दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मृत लड़के के शव को भी वहां मंगाया और उन्हें उनके सम्बंधियों के साथ धनबाद में पोस्टमार्टम के लिये भिजवाया। टुंडी के पुलिस थाने में एक मामला और उसके विरुद्ध एक और मामला दर्ज किया गया है। पैंतीस व्यक्तियों को, जिनमें जयराम चौधरी, जिसने अपनी बन्दूक से गोली चलाई बताते हैं, गिरफ्तार किया गया है अन्य उन लोगों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिनका इसमें हाथ हो सकता है। समूचे टुंडी थाना क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश जारी करके जलसों, जलूसों, घातक हथियारों को लेकर चलने आदि पर रोक लगा दी गई है? शान्ति और व्यवस्था के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है।

जयराम चौधरी की बंदूक, बाण और फरशों सहित घातक हथियार जब्त कर लिये गये हैं। अन्य लोगों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिनका इसमें हाथ हो सकता है। समूचे टुंडी थाना के क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश जारी करके जलसों, जुलूसों, घातक हथियार लेकर चलने आदि पर रोक लगा दी गई है। शान्ति और व्यवस्था के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है।

दिल्ली में छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ARREST OF STUDENTS IN DELHI

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 11 मार्च, 1974 को संसद-भवन के निकट 210 छात्रों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया था।

इस बीच हमने मामले की जांच की है। छात्रों ने स्वेच्छा से भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन स्वयं को गिरफ्तार करवाया। उन्होंने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश लागू हैं। उन पर न्यायिक न्यायालय द्वारा अभियोग चलाया जा रहा है और उन्हें सात दिन के साधारण कारावास का दंड दिया गया है। एक छात्र को प्रथम अपराधी अधिनियम के "प्रोबेशन" के अन्तर्गत छोड़ दिया गया है। यह उचित नहीं समझा गया कि सरकार न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करे। दिल्ली प्रशासन को आदेश दिया गया है कि छात्रों के साथ जेल में मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाये। हमें सूचना मिली है कि उन्हें जेल में "बी०" क्लास में रखा गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते।

नियम 377 के अधीन मामला

METTER UNDER RULE 377

रेलवे गार्डों द्वारा नियमानुसार कार्य अन्दोलन

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I would like to draw the attention of the hon. Minister to the work-to-rule agitation by the Guards which has resulted in cancellation of so many trains.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

The situation is the worst in South-Eastern Railway where more than 100 goods trains have been cancelled within a period of 24 hours. The hon. Minister may make a statement clarifying the position.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : No Statement has been made in this House regarding a train accident near Gwalior occurred on the 9th.

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : We had no facts at that time. Now we have received them and my colleague will make a statement.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : A trade-union leader of the Railways was murdered on the 11th at Gomoh. The hon. Minister may tell the House the reasons of the murder after collecting the facts.

रेलवे बजट 1974-75 के सामान्य चर्चा—जारी

Railway Budget 1974-75 General Discussion—*Contd.*

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : माननीय सदस्यों ने मुख्य प्रश्न किरायें और भाड़े के बारे में उठाये हैं । इस बारे में दो मुख्य बातें ध्यान देने लायक हैं । एक तो हम जन-साधारण पर कम से कम बोझ डालना चाहते हैं और साथ ही हम समाज के समृद्ध वर्ग से कुछ संसाधन बढ़ाना चाहते हैं । इन किरायों और भाड़ों को निश्चित करते समय हमारे यह मार्गदर्शी सिद्धान्त रहे हैं ।

माननीय सदस्य मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और ऐसा करना न केवल इस प्रधान सरकारी उपक्रम के हित में है अपितु हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था के हित में है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि किराये का जो यह बोझ डाला गया है उसे समान रूप से नहीं डाला गया है । हमने तृतीय श्रेणी के यात्रियों से लगभग 16 करोड़ रुपये पाने की कोशिश की है । किराये में वृद्धि से होने वाली आय का सम्बन्ध यात्रियों की संख्या से होना चाहिये । गत वर्ष, तीसरे दर्जे में केवल 128 करोड़ यात्रियों (सीजन टिकट होल्डरों के अतिरिक्त) ने यात्रा की जबकि वातानुकूलित डिब्बों में लगभग 3 लाख यात्रियों ने यात्रा की ।

इस तथ्य को नज़र अन्दाज नहीं किया जाना चाहिये । अब वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को प्रति यात्री 15 रुपये से 160 रुपये तक अधिक देने पड़ेंगे और तृतीय श्रेणी के यात्रियों को 5 पैसे से 1 रुपये तक अधिक देना पड़ेगा जिससे वातानुकूलित श्रेणी के 73 लाख यात्री 4 करोड़ रुपये अदा करेंगे और तृतीय श्रेणी के 128 करोड़ यात्री लगभग 16 करोड़ रुपये अदा करेंगे ।

मैंने दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के सम्बन्ध में आम-आदमी की ओर ध्यान देने की कोशिश की है । अब तक तो मृत्यु या अपंग हो जाने की स्थिति में यात्री की आय के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था परन्तु अब धनी या निर्धन सबको समान रुप से मुआवजा दिया जायेगा और मुआवजे की राशि को 20,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दिया गया है ।

वर्ष 1964-65 में दुर्घटनाओं की संख्या 1293 थी । यह संख्या कम होकर जनवरी 1974 में 665 हो गई ।

मैं अपने बजट को विकास सम्बन्धी बजट कहूंगा । इस वर्ष के रेलवे बजट में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये व्यवस्था है ।

वर्ष 1974-75 का रेलवे बजट सरकार की समाजवादी और विकासशील नीतियों को क्रियान्वित करने की ओर एक कदम है ।

मैं अब कोयले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस सभा में कोयले के मामले में भारी आलोचना हुई है कोयले पर इस समय भाड़े की सामान्य दर से अलग भाड़ा वसूल किया जाता है । यह मात्रा वास्तविक लागत से कम है । कोयले की ढुलाई पर अनुमानित घाटा 1973-74 के 33.25 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1974-75 में 37.67 करोड़ रुपये हो जायेगा । रेलवे की अशक्त आर्थिक स्थिति इसे सहन नहीं कर सकती । अतः कोयले की भाड़े की दर को भाड़े की स्टैंडर्ड दर के समान करने का प्रस्ताव है । कोयले का भाड़ा सदैव कोयले के मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में कम रहा है ।

जहां तक कोयले के लदान का सम्बन्ध है इस वर्ष का लदान गत वर्ष के लदान का 92.7 प्रतिशत रहा है ।

इस वर्ष बंगाल/बिहार के क्षेत्रों में लदान के मामले में 529 वैगन प्रति दिन की कमी रही है ।

अगस्त, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल का गंभीर प्रभाव कोयले की ढुलाई पर पड़ा ।

फरवरी, 1974 के आरम्भ में कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ के आन्दोलन और साथ ही दक्षिण-पूर्व रेलवे में कर्मचारियों के भारी संख्या में काम पर न आने के कारण इस्पात संयंत्रों को कोयला पहुंचाने में बाधा आई ।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि कोयले के अभाव में गाड़ियां बंद की गईं और उन्होंने तर्क दिया कि जब रेलवे को स्वयं के लिये कोयला नहीं मिलता है तो वह दूसरों को कोयला कैसे दे सकती है । यह ठीक है कि कोयले के अभाव में गांड़ियां बंद करनी पड़ीं परन्तु बिजलीघरों, खाद्यान्नों की ढुलाई और कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना था । बहुत ही कम माल गाड़ियां बन्द की गई थी । केवल यात्री गाड़ियां बन्द की गई थी । जब तक श्रम स्थिति नहीं सुधरेगी, यह स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी ।

इसके पश्चात् माल-डिब्बों के आबंटन का प्रश्न है । कोयले के लिये माल-डिब्बों के आबंटन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । विभिन्न उपभोक्ताओं को कोलये का वितरण विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है । इस कार्यक्रमों के अनुसार रेलवे माल-डिब्बे आवंटित करती है ।

खान, रेल, सिंचाई और विद्युत तथा औद्योगिक विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की सहवर्ती समिति कोयले की ढुलाई के कार्यक्रम तैयार करती है। इन कार्यक्रमों के अनुसार जोनल रेलवे वैगन सप्लाई करती है ।

कलकत्ता के वैगन आवंटन अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की जायेगी। इस बीच मैंने कलकत्ता में एक अतिरिक्त वरिष्ठ, अधिकारी को इस कार्य के लिये नियुक्त करने का निर्णय किया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्या के बारे में कहा गया है। यह सही है कि पिछड़े क्षेत्रों से कम राजस्व प्राप्त होगा। मैं मानता हूं कि प्रारम्भ में राजस्व कम मिलेगा ? परन्तु क्या हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं करें ? हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइन बनाना चाहते हैं। यदि हम वित्तीय आय के आधार पर रेल लाइन बनायें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइन कभी भी नहीं बन सकेगी। समय के साथ-साथ ऐसे क्षेत्र विकसित हो जायेंगे और रेल लाइनें लाभ-प्रद हो जायेंगी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनें बिछाने के लिये केवल 100 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया गया है। इसमें से अधिकांश राशि पहले से बन रही परियोजनाओं को पूरा करने पर खर्च की जायगी ।

बर्ष 1974–75 के दौरान नई लाइनों और लाइनों को पुनः बिछाने के लिय 12 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं इसमें से 2 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों में यह काम करने के लिये रखे गये हैं ।

अब आप समझ गये होंगे कि हम इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और नई लाइनों के लिये थोड़ी से पूंजी -निवेश से अर्थ-व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति में बाधा नहीं पड़ेगी।

मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि धन उपलब्ध होते ही दूसरे विश्व-युद्ध में उखाड़ी गई या बाढ़ों के कारण नष्ट हुई। लाइनों को पुनः बनाने का विचार है। इन लाइनों को पुनः बनाना अलाभकर होते हुए भी उचित है ।

एक बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नई लाइनें बनाने और पुरानी लाइनें पुनः बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार के पक्ष में पक्षपात किया गया है। यह कहना अनुचित है कि तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में राज्य-वार आंकड़े दे सकता हूं ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नई लाइनों की बहुत मांग थी। इस मामले के बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई और मेरी यह राय है कि जब तक इस प्रयोजन के लिये परिवहन और संचार प्राधिकरण गठित नहीं किया जायेगा तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस निकाय के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों, रेल, परिवहन तथा संचार मंत्रालयों को सम्बद्ध किया जा सकता है। इस निकाय के पास विशेष फंड होना चाहिये ।

कल माननीय सदस्यों ने मुजफ्फरपुर और रांची में खोले गए सेवा आयोग का उल्लेख किया। यह हमारी नीति रही है कि प्रत्येक जोनल रेलवे का अपना सेवा आयोग हो। सिकन्दराबाद में एक नया सेवा आयोग खोला जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि कलकत्ता आयोग का एक

उप-कार्यालय केम्दा में और बम्बई आयोग के दो उप-कार्यालय–एक अहमदाबाद और दूसरा जबलपुर में खोले जायें। ये कार्यालय रांची में खोले गये कार्यालय की भांति होंगे।

रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की काफी आलोचना की गई है। मैंने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पूर्व रेलवे बोर्ड के बारे में विचित्र विचार बना रखे थे परन्तु अभी तक रेलवे बोर्ड के बारे में कोई असाधारण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है। वह बहुत परिश्रम से समस्याएं सुलझाता है। यदि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये तो स्थिति का, विशेषकर वर्तमान स्थिति का सामना करना कठिन हो जायेगा। रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय का भाग समझा जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा कुंजरु समिति ने रेलवे बोर्ड को बनाये रखने का समर्थन किया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि रेलवे बोर्ड एक खर्चीली व्यवस्था है। इस मामले में उचित रवैया अपनाया जाना चाहिए।

खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वालों के ठेके समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि खाने-पीने की वस्तुओं के विक्रेता अच्छे खाद्य-पदार्थ सप्लाई नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निहित स्वार्थ पनप गये हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे प्रमाणित सूचना मिली है कि बेनामी ठेकेदार इस क्षेत्र में आ गये हैं और एक ही व्यक्ति 30-40 स्टेशनों के लिये ठेका ले लेता है। अतः मैं इन सभी ठेकों का पुनर्विलोकन करने जा रहा हूं। यदि उनका कार्यकरण ठीक नहीं रहा हो तो उन्हें हटना पड़ेगा।

अब मैं रेलवे सुरक्षा दल के बारे में कहूंगा जिसके बारे में अनेक शिकायतें की गयी हैं। किसी भी दल में कुछ त्रुटि या कमज़ोरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह संगठन पुराना संगठन नहीं है। और इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। किन्तु इस संगठन को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि वर्तमान स्थिति में रेलों को चलाना है, तो हमें इस दल पर निर्भर करना ही होगा। मेरा विचार इस दल की 60,000 की वर्तमान संख्या को बढ़ा कर एक लाख करने तथा इस दल के सदस्यों को और अधिक सुविधा, देने का है। सुविधाओं, सहूलियतों, वर्दियों, वेतन आदि के मामले में इस दल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के स्तर के समान लाने का निर्णय किया गया है।

उठाईगिरी के प्रश्न को उठाया गया है। मैं उन आंकड़ों को आप के सामने रखूंगा जिनसे यह पता चलता है कि उठाईगिरी की घटनायें बढ़ी नहीं हैं। रेलवे सुरक्षा दल सराहनीय ढ़ंग से काम कर रहा और वह इस सदन के समर्थन का पात्र है।

जहां तक क्षेत्रीय रेलों के कार्यसम्पादन का सम्बन्ध है, अनुमान लगाया गया था कि 1972-73 की तुलना में मूल राजस्व अर्जित करने वाला यातायात 1973-74 में 100 लाख टन अधिक हो जायेगा। यह अनुमान सही नहीं निकला है। वास्तव में वास्तविक कार्य सम्पादन 1963-64 से लेकर अत्यन्त कम रहा है। बजट अनुमानों की तुलना में जनवरी, 1974 के अन्त तक कुल आय में 90.87 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

समय पर भारतीय गाड़ियों के आने जाने के सम्बन्ध में, चालू वर्ष में दिसम्बर, 1973 तक भारतीय रेलों की बड़ी लाइन पर चलने वाली मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों का समय पर आना जाना 71.3 प्रतिशत और मीटर गेज लाइन पर चलने वाली मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों का 72.8 प्रतिशत रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये आंकड़े सब से कम हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पश्चिम- रेलवे में ये आंकड़े क्रमशः 57.4 और 61.9 प्रतिशत हैं। उत्तरी रेलवे में, जिस श्रमिक

अशांति का बुरी तरह प्रभाव पड़ा था, यह 74.2 प्रतिशत था। पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कार्यसम्पादन भी संतोषजनक नहीं है।

श्री शंकर दयाल सिंह ने गार्डों के बारे में प्रश्न उठाया है। भारतीय रेलों में 18,000 में से लगभग 1000 गार्डों ने 10 मार्च, 1974 से 'नियम के अनुसार कार्य करो' आन्दोलन किया है। उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत कुछ समायोजन तो किया जा सकता है किन्तु वेतन मानों में भारी परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन है। उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि रेलवे में वर्गगत संघों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती और कि रेलवे एक उद्योग में केवल एक संघ बनाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है।

अन्त में मैं रेल कर्मचारियों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे ही वास्तविक लोग हैं जो गांड़ियों को चलाते रहते हैं, हम गत कुछ सप्ताहों से पुनः 10 अप्रैल के पश्चात् किसी भी दिन से रेलों में हड़ताल करने की धमकी के बारे में सुन रहे हैं।

कुछ कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों द्वारा मद्रास में हुये एक सम्मेलन के पश्चात् अप्रैल, 1974 में हड़ताल के कार्यक्रम का आह्वान किया गया था ... (**व्यवधान**)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बाहरी व्यक्ति कौन हैं ?

रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र : बहारी व्यक्ति वे लोग हैं जो रेलवे कर्मचारी नहीं हैं। आप भी बाहरी व्यवि हैं, आप रेलवे कर्मचारी नहीं हैं।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं रेलवे में "एक उद्योग एक संघ" के सिद्धांत को लागू करने के पक्ष में हूं। मैं बजट भाषण में बता चुका हूं कि इस सम्भावना पर चर्चा करने के उद्देश्य से श्रमिक संघ के नेताओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में इस बात के पक्ष में अधिकतर सहमति थी। वर्तमान संघों के प्रतिनिधि स्वरूप की जांच करने के लिये गुप्त मतदान भी कराया जा सकता है। इन सभी समस्यायों को रचनात्मक ढ़ंग तथा शीघ्रता से निपटाया जा सकता है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : कल मैंने 10 घंटे की ड्यूटी को लागू करने के सम्बन्ध में एन० एफ० रेलवे में संघर्ष के प्रश्न को उठाया था। सैकड़ों यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 600 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री महोदय इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इस बारे में मौन नहीं हूं। मैं इस बारे में विचार करूंगा।

मैंने यह भी निर्णय किया है कि गत वर्ष की तरह पहाड़ी रियायती टिकट इस वर्ष भी चालू किये जायेंगे। ये वापसी यात्रा टिकट प्रथम और तृतीय श्रेणी $1\frac{1}{2}$ एक तरफा यात्रा भुगतान करने के आधार पर दिये जाते हैं और स्टेशन से 800 किलोमीटर से अधिक दूर विशिष्ट पहाड़ी स्थानों की यात्रा करने के लिये दिये जाते हैं। ये टिकट 1 मई, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक उपलब्ध होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर चर्चा करेंगे।

श्री नुरुल हुडा (कछार) : आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हम रेल मंत्री से यह उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह नयी बात नहीं है । यह तो परम्परा ही बन चुकी है । मंत्री महोदय को कम से कम सदस्यों द्वारा उठायी गयी महत्वपूर्ण बातों का उत्तर तो देना ही चाहिये ....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मंत्री महोदय द्वारा भाषण समाप्त किये जाने के पश्चात् मैं कुछ देर चुप रहा । यदि वे वास्तव में ही कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, तो मैं उन्हें अनुमति दे सकता था । इसी कारण ही मैं कुछ देर चुप रहा था । किन्तु यदि, यह मात्र वाक्-चातुर्य का प्रदर्शन करना ही हो तो भिन्न बात है । (**व्यवधान**) श्री समर मुखर्जी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं अनुमति दे दूंगा । यदि कोई भी सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है, तो मैं उसे अनुमति दे दूंगा ।

श्री समर मुखर्जी : अगस्त 1973 में इस बात पर सहमति हुई थी कि लोको कर्मचारियों के लिये इस दस घंटे की ड्यूटी को छः सप्ताह के भीतर लागू कर दिया जायेगा । यद्यपि इसके भिन्न अर्थ समझे गये और लोको कर्मचारियों ने दिसम्बर में पुनः संघर्ष का सहारा लिया । इस सभा में चर्चा हुयी थी और 20 जनवरी को उसके बाद एक समझौता हुआ जिस पर उपमंत्री सहित रेल प्रशासन के हस्ताक्षर हुये । उस समझौते में इस बात पर सहमति हुई कि 15 फरवरी से 10 घंटे की डेंयूटी को लागू कर दिया जायेगा, किन्तु इसे लागू नहीं किया गया है । अतः, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में लोको कर्मचारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह है आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत सैंकड़ों लोको कर्मचारियों को गिरफ्तार तथा छः सौ को निलंबित किया गया है । रेलवे नेता अभी तक जेल में हैं और रेलवे के नेताओं को दंड के रूप में स्थानान्तरण आदेश दिये जा रहे हैं । इस समझौते के बावजूद सरकार दस घंटे की ड्यूटी को लागू नहीं कर रही है और अशांति पैदा कर रही है । पिछली रात को मुझे आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ से तार मिला है कि वहां के संघ के कार्यवाहक सचिव को बम्बई के लिये तुरन्त स्थानान्तरण का आदेश दिया गया है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री समर मुखर्जी : मैं उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं ।

Shri Rama vatar Shastri (Patna) : Whether it is a fact that the workers belonging to All India Railway Loco Mechanical Staff Association had observed Work-to-rule from 24th and 25th November to 24th January and these workers had ended this work-to-rule agitation on 24th January, because an assurance was given by the Railway Minister that a Committee would be constituted to look into their demands and there will be no victimization. Whether it is also fact that just after that hundred of persons belonging to Loco Mechanical Staff have been transferred or put in jails or have been suspended? If it is so, what happend to the assurance which was given by Honourable Minister and how would he take the railway workers into confidence.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : There has been ambiguity in the Pay Commissions report and no justice has been made to different categories of employees therein and the anomalies created by the report has been creating discontentment among railway employees. Whether Hon'ble Minister would give assurance to the House that if any representation is made to him, he would consider it sympathetically and remove this ambiguity.

May I also know whether the Government is ready to reassure the House that Barauni-Barabanki line would be constructed alongwith the Muzaffarpur line and this would be completed in 1974?

Shri Ramshekher Prasad Singh (Chapra) : May I know that whether the Hon'ble Minister would issue a circular to give preference to Harizans and unemployed Graduates for giving catering contracts?

May I also know that whether the Minister would consider to establish fifth division in N.E. Railway in addition to present four divisions therein?

श्री धीनेत भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं रेल मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या लाईट रेलवे को बिना राज्य सरकार के अंशदान पर निर्भर किये ब्राड गेज लाइन अथवा मीटर गेज लाइन में पुनः चालू किया जायेगा ?

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्री महोदय एन० एफ० रेलवे में न्यू० मैंतागुरी से सिताई तक, जो लगभग पिछड़ा क्षेत्र ही है, एक नयी लाइन के निर्माण के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ? मैं इस संबंध में रेल मंत्री महोदय से आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मंत्री महोदय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे हड़ताल न करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का बोनस के प्रश्न पर क्या विचार है और वह कर्मचारियों से बातचीत के सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री शंकर राव सांक्त (कोलाबा) : जहां तक आप्टा डासगांव रेलवे लाइन के निर्माण का सम्बन्ध है, उसका प्रारम्भिक कार्य तो पूरा कर लिया गया है, परन्तु मंत्री महोदय ने बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की । मैं मंत्री महोदय से इन परिस्थितियों में यह आश्वासन चाहता हूं कि इस लाइन को पूरा किया जाएगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकांश लोग तृतीय श्रेणी में यात्रा करते हैं, पर उन यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा । दूसरे, रेलवे के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन की न्यूनतम सीमा 40 रुपये रखने की मांग की है । सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री अण्णा साहिब गोटखिड़े (सांगली) : मैंने मंत्री महोदय का ध्यान पिछले वर्ष तथा इस वर्ष दिए गए भाषणों में विरोधाभास की ओर आकर्षित किया है । मैं मंत्री महोदय से मिराज-लातूर रेलवे के संबंध में आश्वासन चाहता हूं ।

श्री ए० पी० शर्मा : (वक्सर) : मैं मंत्री महोदय से बोनस के संबंध में आश्वासन चाहता हूं । बोनस पुनर्विलोकन समिति इस पर विचार कर रही है । यदि वह समिति बोनस के बारे में ऐसी सिफारिश करती है तो क्या रेलवे मंत्री उसे लागू करने का आश्वासन दे सकते हैं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महारांजगंज) : गोरखपुर से महाराजगंज तक लाइन बनाने के बारे में क्या कार्यवयही की गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने माननीय सदस्यों के सुझाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है । एक दिसम्बर को श्री कुरैशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपने कार्य में काफी प्रगति की है ।

यह भी कहा गया है कि कुछ लोग फ्रंटियर रेलवे साईड पर गिरफ्तार किए गए हैं । कुछ लोगों ने अपनी इच्छानुसार 10 घंटे कार्य करना चाहा । ज्योंही दस घंटे पूरे हुए, वे गाड़ी छोड़ जाते हैं ।

उन्होंने इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी और न ही स्टेशन मास्टरों को बताया। इस प्रकार की कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती । हमने यह बात मान ली है कि इस सिफारिश को आठ की बजाय तीन वर्षों में कार्य रूप दे दिया जायगा। इसे एकदम तो लागू नहीं किया जा सकता । यह आश्वासन तो पहले ही दिया जा चुका है कि कर्मचारियों का किसी प्रकार दमन नहीं किया जाएगा। खानपान की व्यवस्था के संबध में यदि पांच या उससे अधिक मैट्रिक पास व्यक्ति सरकारी समिति बना लें तो उन्हें कैन्टीन चलाने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी । हरिजनों और अल्पसंख्यकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। यह केवल खौमचे के ठेकों के लिए ही नहीं है अपितु पुस्तकों के स्टाल खोलने के लिए भी है। मैं यह प्राथमिकता दिल्ली स्टेशन पर भी देने को तैयार हूं। यदि बेरोजगार स्नातक युवक खौंमचों और पुस्तक स्टालों के लिए सहकारी समितियां बनाएं तो उनसे एक वर्ष तक किराया नहीं लिया जाएगा ।

जहां तक बाराबंकी समस्तीपुर रेलवे लाइन का संबंध है, इस पर कार्य योजनानुसार चल रहा है। यदि यह समय से पीछे रह गया है तो इसको समयानुसार पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हावड़ा–आम्टा लाईन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा ताकि नैरो गेज लाइन में हमें भूमि प्राप्त करने में कठिनाइयां हुईं, पर हमें पश्चिम बंगाल से पूरा सहयोग मिला है और हम निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ कर देंगे।

जहां तक बोनस पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का संबंध है, इस बारे में किसी प्रकार का वचन नहीं दिया जा सकता।

मध्य रेलवे में बीरपूर के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : RAILWAY ACCIDENT NEAR BIRPUR ON CENTRAL RAILWAY

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे मंत्री के भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व श्री वाजपेयी ने ग्वालियर–शिवपुर कलां नैरोगेज सैक्शन में 662 अप गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने के बारे में प्रश्न उठाया था। इससे पहले कि हम अगले विषय पर चर्चा करें, रेलवे उप मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मुझे सदन को यह दुखद सूचना देनी है कि मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में नैरोगेज सैक्शन में ग्वालियर–शिवपुर कलां में गम्भीर रेल दुर्घटना हुई है। 9 मार्च, 1974 के लगभग 10–20 बजे जब एक मिली-जुली गाड़ी नम्बर 662 अप बीरपुर और शिलीपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी तो गाड़ी के अन्त की दो बोगियां–एक तीसरे दर्जे की और दूसरी तीसरा दर्जा और सामान एवं ब्रेक वैन बोगी–पटरी से उत्तर गई और उलट गईं। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मारे गए और आठ व्यक्ति घायल हुए जिनमें से चार बुरी तरह घायल हुए। सूचना मिलते ही रेलवे डाक्टर ग्वालियर से चल पड़े। बीरपुर के निकट के अस्पताल के डाक्टर भी सहायता हेतु वहां पहुंचे। दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवार वालों को 500 रुपये और गंभीर रूप से जख्मी हुए चार व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति व्यक्ति अनुग्रहात्मक भुगतान किया गया है।

बम्बई स्थित रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे

सामान्य बजट–1974-75–सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET-1974-75—GENERAL DISCUSSION

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वर्तमान बजट और पिछले बजटों में कोई अन्तर नहीं है। वस्तुतः यह अधिकांशतया एकाधिकार-समर्थक और जन-विरोधी हैं। इस बजट में यह दावा किया गया है कि इससे मुद्रा-स्फीति कम होगी, किन्तु बड़े व्यापार गृह इससे प्रसन्न हैं क्योंकि इससे मुद्रा-स्फीति अधिक होगी। घाटे की अर्थ-व्यवस्था से भी मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी। इस बजट के द्वारा आर्थिक संकट का सारा बोझ आम जनता पर पड़ेगा।

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित भारतीय उपभोक्ता परिषद् की एक समिति ने सर्वेक्षण किया है। इस समिति ने रिपोर्ट दी है कि बजट पेश होने के एक सप्ताह के भीतर ही अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 20 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। बाजार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि गरीबी से जूझने के लिए यह बजट आर्थिक उपकरण के रूप में कितना सहायक है।

इस बजट से एकाधिकारवादियों, बड़े व्यापारियों और भूस्वामियों और जमाखोरों के लिए स्वर्ग हो गया है किन्तु आम व्यक्ति के लिए नर्क हो गया है। जमाखोरों, भूस्वामियों और पूंजीपतियों के हित को देखते हुए यह बजट वर्गगत बजट है। इस बजट में केवल छूट ही नहीं दी गई है किन्तु पहली बार एक ओर तो जनसाधारण पर अप्रत्यक्ष करों का अत्यधिक भार डाला गया है और दूसरे ओर बड़े व्यापारियों को करों के भार से राहत दी गई है और उन्हें अनेक तरीकों से छूट दी गई है।

सरकार देश की दलित जनता को खाद्यान्न सप्लाई करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा नहीं रही। सरकार ने जनता के साथ किये वायदे पूरे नहीं किए हैं। परिणामस्वरूप, मूल्यों में वृद्धि हुई है।

इस बजट के पेश होने से पहले, रेल बजट में रेल किराए और भाड़े में वृद्धि की गई है। अन्ततः इसका सारा भार आम जनता पर पड़ेगा। पोस्टकार्ड, लिफाफे, टेलीफोन और तार की दरों में वृद्धि से आम जनता पर अधिक भार पड़ेगा।

सबसे गम्भीर बात मूल्यों में वृद्धि है। हमेशा इस मूल्य वृद्धि के लिए सरकार कोई न कोई बहाने बनाती है। अब वे वर्तमान मूल्य वृद्धि को विश्व की परिस्थितियों से सम्बद्ध कर रहे हैं। जब तक सरकार समाज के दलित वर्गों को खाद्यान्न की सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगी, तब तक मूल्यों पर नियंत्रण कैसे हो पाएगा। यह तभी संभव है जबकि सरकार जनसाधारण को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न की सप्लाई करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। चूंकि सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, इसलिए समूची अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि वह जनता को काले बाजार में से खाद्यान्न खरीदने को बाध्य कर रही है।

सरकार समाजवाद का नारा लगा रही है वस्तुतः वह जो कुछ कर रही है वह समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है। सरकार देश में पूंजीवाद का निर्माण कर रही है। किसी भी समाजवादी देश में मूल्य-वृद्धि नहीं हुई है। चीन में राज्य ने चने, कपास, चाय, चीनी

और कुछ अन्य उत्पादों की क्रयशक्ति बढ़ाई है और रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, डीजल तथा अन्य कृषि उत्पादों का विक्रय मूल्य कम किया है। वहां के कृषक कृषि उत्पादों के बदले में निर्मित वस्तुएं ले सकते हैं। यद्यपि लोगों का अन्न को क्रय करने का सामर्थ्य बढ़ गया है फिर भी इसके परचून मूल्यों में कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के दाम भी धीरे-धीरे घटते गए। औषधियों की कीमतें 1950 की अपेक्षा 80 प्रतिशत कम हो गयी हैं। समाजवादी समाज को अन्न-आहार प्रदान करने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है और इसी कारण वहां मूल्यों में वृद्धि नहीं होती। चीन में मुद्रा-स्फीति वाली कोई भी बात नहीं है। वहां की सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि गांवों की बढ़ती क्रयशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन किया जाये।

यहां बात तो समाजवाद की की जाती है, लेकिन काम एकाधिकारवादी होते हैं। उत्तरी कोरिया के संविधान में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। वहां का राज्य अपने लोगों को न केवल कपड़ा, शिक्षा और रोजगार ही देता है बल्कि रहने के लिए मकान की व्यवस्था भी करता है।

क्यूबा केवल 15 वर्ष पहले आजाद हुआ था। वहां अब पूंजीवादी समाज की कोई बुराई शेष नहीं है। निरक्षरता वहां समाप्त है और सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है।

उत्तर वियतनाम में हर व्यक्ति को राशन में चावल, कपड़ा तथा चीनी मिलती है। वहां जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों का नाम तक नहीं है। वहां हर व्यक्ति को 20 किलो चावल मिलता है और 10 किलो चावल के दाम केवल 8 रुपये होते हैं। वहां लोगों को अन्न-आहार उपलब्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यहां स्थिति एकदम उलटी है।

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट चार-पांच दिन पहले प्रकाशित हुई थी। इसमें कहा गया है कि यदि फालतू अनाज पैदा करने वाले राज्य अधिकाधिक अनाज केन्द्रीय पूल को न दें तो जन वितरण व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मांग की कि वसूली मूल्य 115-125 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। सरकार इनके सामने झुक रही है।

भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने की बात तो सरकार बिल्कुल भूल ही गयी है। गांवों में शोषण हो रहा है। इस प्रकार के बजट तथा पंचवर्षीय योजनायें केवल आर्थिक केन्द्रण लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इनसे विषमता कम नहीं हुई है बल्कि और अधिक बढ़ी है। इन 25 वर्षों में केवल एकाधिकारी लाभान्वित हुए हैं। बड़े बड़े व्यापार गृहों के लाभ प्रति वर्ष इस कारण बढ़ रहे हैं कि वे कांग्रेस को अधिक धन देते हैं।

अतः यह बजट मुद्रा-स्फीति विरोधी नहीं है। इस वर्ष 125 करोड़ रुपये घाटे का बजट है तो बढ़ते मूल्यों को देखते हुए दस गुणा बढ़ जायेगा।

अन्न के थोक व्यापार को छोड़ने तथा बुनियादी भूमि सुधारों को लागू न करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें सर्वसाधारण को अन्न देने के लिए नहीं होगा। अतः अधिक आन्दोलनों का होना स्वाभाविक है।

पश्चिमी बंगाल में राशन की दुकानों पर अन्न नहीं मिलता। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थिति भी ऐसी ही है। लोगों को अन्न-आहार प्रदान न करने तथा उनकी दैनिक आवश्यकताएं को पूरा न करने में सरकार जिम्मेवारी से काम नहीं ले रही है।

हम आज एक भयंकर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कोयला, उर्वरक, अन्न आदि सब अनिवार्य वस्तुएं बाजार से गायब हैं। साबुन तक नहीं मिलता। यदि सरकार ने अपनी मूलभूत नीतियां न बदली तो हमारे देश को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को जमीन दिलायी जानी चाहिए। सरकार बड़े बड़े जमींदारों के सामने झुक गयी है।

बजट में बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है, जो एक भयंकर समस्या है। 1972 में 40 लाख लोग बेरोजगार थे और अक्तूबर, 1973 में 80 लाख बेरोजगार थे। क्या यह सामाजिक न्याय है और क्या हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं?

मंत्री महोदय ने कहा है कि लोगों को उनकी नीतियों से विश्वास नहीं खोना चाहिए। जिन लोगों को इनसे लाभ पहुंच रहा है, उनका इन पर विश्वास बना रहेगा। बड़े बड़े व्यापारी, जमाखोर आदि आदि का इन पर विश्वास बना ही रहेगा। इसीलिए तो इन्होंने इस वर्ग को आयकर में 70 से 75 प्रतिशत की छूट दी है।

इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि ये किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार की आर्थिक नीति पूंजीवाद को बढ़ावा देने का एक प्रबल शस्त्र है। लोग अब निष्क्रय नहीं रहे और यह लक्षण शुभ हैं कि लोग मरने से भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। किसी जमाखोर को गोली से मरने के बजाये आज अन्न मांगने वाले लोगों को गोली से मारा जा रहा है।

आज हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को विदेशी सहायता पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार की आत्म-निर्भरता की बात एकदम बेतुकी है। वह एकाधिकार प्राप्त व्यापार गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के साथ न्याय और उन पर कृपा करती है लेकिन अपने लोगों पर नहीं उनके लिये केवल फौज, पुलिस तथा सी० आर० पी० है।

हम सरकार से किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन की आशा नहीं रखते लेकिन परिवर्तन नीचे के स्तर से आयेगा। सरकार को अपनी जन-विरोधी नीतियों को त्यागना चाहिए।

मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैंने इस बारे में अनेक समाचार पत्रों के आलोचनात्मक विचार पढ़े हैं तथा साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के माननीय सदस्य के विचार भी सुने हैं। मैं यह समझा हूं कि आलोचक होना आसान होता है लेकिन युक्तिसंगत होना कठिन होता है।

(SHRI VASANT SATHE *in the chair*) (श्री बसंत साठे पीठासीन हुए)

वह राजनैतिक प्रणाली के बारे में बहुत बोले लेकिन बजट के बारे में बहुत कम। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें प्रजातंत्र पर आस्था नहीं है।

माननीय सदस्य ने चीन, क्यूबा आदि देशों का उल्लेख किया है। क्या हम अपने देश की वर्तमान विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत बजट प्रस्तावों के गुण-दोषों का अवलोकन करेंगे अथवा अन्य देशों की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर ऐसा करेंगे?

निस्सन्देह इस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, परन्तु निराश होने से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता।

बजट के सम्बन्ध में 650 करोड़ रुपए की घाटे की अर्थ-व्यवस्था, अत्यधिक मुद्रा-स्फीति तथा खाद्य वस्तुओं की कमी को लेकर आलोचना की गई है। जहां तक मुद्रा-स्फीति का प्रश्न है, यदि मुद्रा-स्फीति के साथ-साथ सेवाओं और वस्तुओं के भण्डार में वृद्धि नहीं होती तो ऐसी मुद्रा-स्फीति अपरिहार्य है। इस परिस्थिति में सरकार के भारी अनुत्पादक व्यय पर ध्यान देना पड़ता है।

हमें यह बात समझनी चाहिए कि वित्त मंत्री को अनुत्पादक परियोजनाओं पर व्यय किन कारणों से करना पड़ा। एक तो वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण 236 करोड़ रुपए अधिक व्यय करने पड़े हैं। प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करने के लिए 220 करोड़ रुपये का व्यय है। खाद्य पदार्थों के लिए 121 करोड़ रुपये की राज-सहायता की व्यवस्था है। उत्पादन-शुल्क में 107 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

वित्त मंत्री के पास केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं; या तो वह तमाम विषमताओं के बावजूद घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर करें अथवा कमजोर वर्ग को भाग्य के सहारे छोड़ दें। उन्होंने पहला मार्ग अपनाया है।

यदि औद्योगिक क्षेत्र में हमारे कार्य-निष्पादन का लेखा-जोखा आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाए तो पता चलेगा कि वह अत्यन्त निराशाजनक है ? यदि हमारी औद्योगिक उन्नति 3.5 प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत भी होती तो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में 350 करोड़ से 450 करोड़ रुपये अधिक मिलते।

यदि 100 प्रतिशत आय पर 110 प्रतिशत आयकर लगाया जाये तो इससे विषमता दूर नहीं होगी। यदि कम कर लगाया जाय और लोग उसे ईमानदारी से अदा कर दें तो विषमता दूर हो सकती है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस असन्तोषजनक प्रगति के कारण भी "आर्थिक सर्वेक्षण" में बताए गए हैं, अर्थात् कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां, श्रमिक असन्तोष, इत्यादि। इन सभी कारणों के लिए केवल सरकार को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। स्थिति के तथ्यात्मक मूल्यांकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि समस्या का एकमात्र समाधान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है।

बजट की आलोचना अनिगमित क्षेत्र में आयकर कम करने के लिए भी की गई है। कहा गया है कि इसका अर्थ समृद्ध वर्ग को संरक्षण प्रदान करना है तथा निर्धनों को कोई राहत नहीं दी गई है। परन्तु ऐसा कर-अपवंचन को रोकने के लिए किया गया है। निम्न आय वर्ग को राहत देने के लिए कीमतें घटाने की बात अलग है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इससे आर्थिक असमानता समाप्त होगी।

मैं समझता हूं कि 10,000 रुपये तक की आय वालों को अधिक छूट दी जानी चाहिए। परन्तु कर अपवंचन का मामला कर से छूट से पृथक है।

इस बारे में नया दृष्टिकोण वांचू समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयोग के तौर पर अपनाया गया है, ताकि कर अपवंचन रोका जा सके।

हालांकि आयकर में कुछ राहत दी गई है, परन्तु फिर भी राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि ईमानदार व्यक्ति आयकर देते रहेंगे और वही पहले भी देते रहे हैं, परन्तु जो कमी होगी वह कर अपवंचकों से पूरी हो जायेगी। मैं नहीं समझता इस उपाय से कर अपवंचन पूरी तरह रुक जायेगा परन्तु यह केवल मात्र एक प्रयोग है जो कि अवांछनीय नहीं कहा जा सकता। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो इससे विषमताओं को समाप्त करने में कुछ सहायता मिलेगी।

वर्तमान उपबन्धों के अनुसार एक लाख की आय से कर देने के पश्चात् व्यक्ति के पास 40,000 रुपये शेष रहते हैं, उसे आगे दस लाख की आय पर केवल 66,000 रुपये शेष रहते हैं अर्थात् एक लाख की आय के अतिरिक्त शेष 9 लाख आय में से 8.74 लाख रुपये कर के रूप में अदा करके केवल 26,000 अपने पास रखे जा सकते हैं। इस अत्यधिक कर को देखते हुए, वांचू समिति ने कराधान की दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। वास्तव में इतना अधिक कराधान ही वाले धन, कर अपवंचन आदि का कारण बन रहा है। इसी को देखते हुए यह प्रस्तावित प्रयोग किया जा रहा है।

कर अपवंचन को रोकने के लिए अब कुछ नये तरीकों का भी सुझाव दिया गया है। कर अपवंचन की समस्या अति जटिल समस्या है। प्रवर समिति द्वारा लगभग 1 वर्ष से "काला धन विधेयक" पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हम इस समस्या को हल कर पायेंगे। पर इतना अवश्य स्पष्ट हुआ है कि केवल मात्र कठोर नियमों द्वारा ही इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां तक कराधान की दरों का सम्बन्ध है, 6,000 से 10,000 रुपये की आय की दरों को तत्काल घटाया जाये। बजट में जो राहत दी गई है, वह अयुक्तियुक्त एवं अपर्याप्त है। 6,000 रुपये की आय पर 110 रुपये की राहत है और 7,500 पर 77 रुपये की, जो केवल 1.02 प्रतिशत है। इसी प्रकार 10,000 रुपये पर जो राहत मिलेगी वह केवल 0.22 प्रतिशत है। 12,500 रुपये पर राहत 0.61 प्रतिशत है। इस प्रकार यह राहत अयुक्तियुक्त है। अतः इस बारे में मेरा सुझाव है कि 6,001 से 10,000 रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर लगाया जाये और उस पर उपकर नहीं लगाया जाये अर्थात 10,000 से कम आय पर उपकर नहीं लगाया जाये।

वेतनभोगी कर्मचारियों के व्यय की अधिकतम सीमा के संबंध में जो धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित है वह उचित नहीं है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाये।

विकास छूट के संबंध में भी मेरा एक सुझाव है कि जो मशीनरी खरीदी जा चुकी है अथवा जिसके संबंध में 1 दिसम्बर 1973 तक संविदा हो चुका है उस पर जून तक विकास छूट दी जायेगी। परन्तु इससे उन निर्माताओं को लाभ नहीं मिलेगा जो स्वयं अपने लिए मशीनरी की रचना करते हैं क्योंकि बिजली की कमी और औद्योगिक क्षेत्र के असन्तोष-

जनक कार्यकरण के कारण वे तब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पायेंगे। अत: इस पर विचार किया जाये।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों की बात है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सोडावाटर पर जो अप्रत्यक्ष कर है, उसका छोटे निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में कोका कोला, गोल्ड स्पाट आदि जैसों को इससे लाभ ही होगा। अत: तीन लाख रुपये तक वाले छोटे निर्माताओं को इससे छूट दी जानी चाहिए।

बजट में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में एक नई नीति अपनाई गई है। हम इस बात को नहीं मानते कि लोकतन्त्रात्मक समाजवाद और आर्थिक विकास की परिकल्पना में कोई संघर्ष है। आर्थिक विकास की रुकावट केवल संकीर्ण सिद्धान्त बनाते हैं। अत: हमें सम्पूर्ण वित्तीय नीति का पुनर्निर्माण करना चाहिये और उसे उत्पादन-आधारित बनाना चाहिए, जिससे कि मुद्रा-स्फीति को रोका जा सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उदारतापूर्वक ऋण दिये जायें और लघु सिचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाये।

इसके साथ ही, गेहूं की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सफल बनाया जाये। वास्तव में खाद्यान्न का सम्पूर्ण वितरण सार्वजनिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही होना चाहिए। वास्तव में वसूली नीति की अव्यवहारिकता खाद्य तथा भारतीय निगम की अकुशलता के कारण आज यह व्यवस्था पूर्णतया असफल हो रही है। वसूली मूल्य बहुत कम रखा गया है जिससे वसूली नहीं हो पा रही। यह मूल्य तो किसान को सजा देने की बात है क्योंकि हर वस्तु के भाव बढ़ रहे हैं तो गेहूं के मूल्य बढ़ना भी स्वाभाविक है। वास्तव में वसूली मूल्य कम रखने से नहीं, वसूली की सफलता से ही मूल्यों पर रोक रखी जा सकेगी।

मेरा यह भी सुझाव है कि 800 रुपये और उससे अधिक मासिक वेतन पाने वालों को खाद्यान्न की सप्लाई वसूली मूल्य पर की जाये और उससे कम वेतन वालों को राज सहायता प्राप्त मूल्य पर सप्लाई की जाये।

कृषि आयकर भी सभी राज्यों द्वारा समान दरों पर लगाया जाये और राज्यों को बड़े किसानों के लाभों को जुटा कर अपने संसाधनों में वृद्धि करने को कहा जाये।

आज औद्योगिक विकास के रास्ते में एक भयानक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये। बिना विदेशी मुद्रा व्यय के दो करोड़ रुपये की पूंजी वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। वर्तमान उद्योगों को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने और अपनी क्षमता में 100 प्रतिशत तक बिना लाइसेंस के विस्तार करने की अनुमति होनी चाहिए। प्रत्येक नए उद्योग को आय कर के लिए पूंजीगत लागत से 20 प्रतिशत घटाने की अनुमति होनी चाहिए।

हम आज बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए आर्थिक नीतियों में सुधार करना चाहिए। समवाय अधिनियम में संशोधन करके यह उपबन्ध रखना चाहिए कि हर कम्पनी कम से कम 30-40 प्रतिशत निदेशक अपने कर्मचारियों में से चुने और प्रबंधक की कमियों के लिए कार्यवाही की जाये। साथ ही अनुत्तरदायी श्रमिक यूनियन कार्यवाहियों को हतोत्साहित किया जाये। मुझे विश्वास है कि इस सबसे

हम आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना में सफल हो सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रत्येक वर्ष गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट में अनेक उपाय सुझाए जाते हैं परन्तु वे सब कोरी बातें ही रह जाती हैं। मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि हमें आशा करनी चाहिये कि सब प्रयासों में सफलता मिलेगी। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस वर्ष भी ये सब बातें पहले के वर्षों की तरह कोरी बातें ही रहेंगी।

इस वर्ष के बजट में सरकार ने तीन मुख्य बातों में आत्मसमर्पण किया है। सबसे पहले सरकार ने कर अपवंचकों के समक्ष आत्म-समर्पण किया है। सरकार ने उनके मामले में अधिकतम आयकर सीमा को 97.75 प्रतिशत से घटाकर 77 प्रतिशत कर दिया है। इसके अनुसार 10 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,87,197 रुपये की राहत मिलेगी।

दूसरा आत्म समर्पण सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अमीरों और निहित स्वार्थों के प्रति किया है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के अमीरों की आय पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है और यह सारी बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की गई है कि राज्य सरकारों ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने राज समिति की स्थापना की, परन्तु अब उस की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा।

तीसरा आत्म समर्पण एकाधिकारपतियों और बड़े व्यापारियों के प्रति किया गया है। निगमित क्षेत्र पर कोई कर नहीं लगाया गया है। प्रत्यक्ष कराधान का स्रोत केवल यही क्षेत्र होता है। इस वर्ष इस क्षेत्र पर लगाये गये करों से 9.5 करोड़ रुपये की आय की संभावना है जबकि दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों से 186 करोड़ रुपये की आय की संभावना है।

सरकार ने वांचू समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के नाम पर उच्च स्तर पर आयकर की दरें घटायी हैं। परन्तु अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। यह सब इस सिद्धान्त के अनुसार किया गया है कि यदि उच्च स्तर पर आयकर में छूट दी जाये तो अधिक कर की वसूली होगी और आय को स्वैच्छिक रूप से प्रगट करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। परन्तु पिछले वर्षों के अनुभव को देखें तो यह सब आशाएं निराधार प्रतीत होती हैं। पहले भी एक बार कर अपवंचकों को अपने काले धन को सफेद बनाने का अवसर दिया गया था। परन्तु वह योजना पूर्णतया असफल रही। इन पैसे वालों के मन का इस सब से वरिवर्तन नहीं होने वाला। यह प्रयास आवश्यक रूप से असफल होने वाला है।

यदि इस सिद्धान्त को माना जाये तो फिर सभी नियन्त्रण भी हटा लेने चाहियें। इस सिद्धान्त के मानने वालों के अनुसार यह भ्रष्टाचार और कालाधन नियन्त्रणों के कारण ही पनप रहा है। अतः इन नियन्त्रणों को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने उनके हक में एक कदम तो उठा लिया है और अब यदि सरकार ने अपना रास्ता नहीं बदला तो शीघ्र ही सरकार दूसस कदम उठाकर सभी नियन्त्रण भी समाप्त कर देगी। मोटे अनाजों के लाने-लेजाने पर लगी रोक हटाना भी इसी दिशा की ओर इंगित करता है।

परन्तु मेरा मत यह है कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं कि कमी वाली वस्तुओं के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थापना ही समाजवाद है। न की नियन्त्रण के उपाय, जिन्हें आज कार्यान्वित भी नहीं किया जा रहा, समाजवाद है।

मेरा यह आरोप है कि 1974-75 के बजट में मुद्रा-स्फीति को रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। वास्तव में इससे मूल्यों की बढ़ने की प्रवृत्ति को बल मिला है। पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य भार जनता, श्रमिक वर्ग और उपभोक्ता पर डाला जाता है। वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से लाभ अधिक मिलते हैं जिसका फायदा एकाधिकारपतियों, सट्टेबाजों और जमाखोरों को होता है। यह एक मौलिक बात है। अधिक लाभ की आशा के साथ कृत्रिम कमियां पैदा की जाती हैं और उससे फिर कीमतों में और वृद्धि होती है। इस सब प्रक्रिया के परिणामस्वरूप गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी होती जाती है। धन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में जमा होने लगता है। इस सम्बन्ध में बजट में कुछ भी नहीं किया गया है।

उदाहरण के रूप में, हम देखें कि आयकर में राहत से ऊपर के वर्ग के लोगों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा। दूसरी ओर 5 लाख से अधिक सम्पत्ति पर कर बढ़ाने से लोगों में सम्पत्ति के ग्रहण की प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी। पैसा उनके पास है जिसे वह जमा करना नहीं चाहेंगे तो उसका उपयोग केवल मात्र उत्पादन में नहीं होगा जैसी कि कामना की गई है। उसका उपयोग आराम के लिए किया जायेगा। धनवान लोग योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पक्ष में नहीं हैं। सरकार ने भी उनकी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इससे मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।

आज यह बात कही जा रही है कि अप्रत्यक्ष करों का भार केवल ऐश्वर्य की वस्तुओं पर पड़ेगा और आम जनता द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाता। अतः आम जनता बजट के अप्रत्यक्ष करों से अछूती रहेगी। परन्तु यह एक गुमराह करने वाली बात है। वास्तव में उत्पादन मूल्य में जो भी वृद्धि होगी उसे उपभोक्ता पर ही अन्ततः लादा जायेगा। उदाहरण के रूप में, वातानुकूलन उपकरणों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है। परन्तु इसके साथ ही अन्य वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उस सब को देखते हुए कम्पनियों द्वारा यह दलील दी जायेगी कि कार्यालय व्यय बढ़ गए हैं और सारे व्यय को उपभोक्ता पर लादा जायेगा।

सरकार के पास किसी उपाय को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संगठन नहीं: मन्त्रालय के विशेषज्ञ केवल यह कह कर अपना दायित्व समाप्त समझ लेते हैं कि केवल 0.01 प्रतिशत वृद्धि होगी।

कागज के मूल्य में वृद्धि हुई है। एक ओर तो हम अज्ञानता मिटाने की बात करते हैं, परन्तु दूसरा कागज का मूल्य बढ़ाया गया है। इसका प्रभाव पुस्तकों आदि के मूल्य पर पड़ेगा। इसका प्रभाव शिक्षा के प्रसार पर पड़ेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि मोटे कपड़े का उत्पादन कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि इसके उत्पादन पर मिलों को अधिक लाभ नहीं होता। मिलों को इस कपड़े के उत्पादन पर हानि होती है। अतः इस कपड़े के मूल्य बढ़ाये जायें। सीमित आय वाले लोगों को बाध्य होकर अधिक कीमत वाले कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि डाक-तार विभाग का लाभ 1971-72 में 37 करोड़ रुपया था जो कि 1972-73 में 40 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान हो गया और 1973-74 के बजट के अनुमानों के अनुसार डाक-तार विभाग को 51 करोड़ रुपये के लाभ की संभावना है। यदि यह स्थिति है तो पोस्टकार्ड पर कर क्यों लगाया जाता है? कहा यह जाता है कि पोस्ट कार्ड पर डाक विभाग को हानि होती है, परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता।

ऐसा प्रतीत होता है कि कर लगाने के लिए व्यक्तिगत सनक के आधार पर किन्हीं वस्तुओं को चुन लिया जाता है: इनमें कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिस प्रकार टूथ-पेस्ट है, जिन पर कर लगाने में कोई तुक नहीं रहती। इन सब बातों का सुझाव देने वाले वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने पेट्रोल तक का व्यय स्वयं नहीं वहन करना पड़ता।

गत वर्ष मोटर स्पिरिट पर उत्पादन शुल्क बढ़ाते समय सदन में आश्वासन दिया गया था कि इससे होने वाली वसूली की लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग प्रमुख नगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रबन्ध में सुधारने पर किया जायेगा। परन्तु केवल कुछ राशि का ही उपयोग किया गया जिससे कोई सुधार नहीं हुआ है। दैनिक बस यात्रियों की कठिनाइयां निरन्तर बढ़ रही हैं और इस धन का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है।

वनस्पति घी का मूल्य 1973 में तीन बार बढ़ाया गया और उसका कारण बताया गया वनस्पति तेलों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि। सरकार ने इसके लिए समिति बना रखी है जो मूल्य वृद्धि की सिफारिश करती है। उसने यह भी सिफारिश की कि मिलों को चाहिए कि वे अपना सादा स्टाक सरकार को दें जिससे कि उस का वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से किया जा सके। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। परन्तु मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं। यही स्थिति कपड़े की है।

वास्तविकता तो यह है कि निजी क्षेत्र को पूरी छूट दे दी गई है कि मूल्य बढ़ायें, जमाखोरी करें, कृत्रिम कमियां पैदा की जायें। आज जो कुछ हो रहा है वह मिश्र अर्थव्यवस्था भी नहीं है जिस के बारे में हम अनेक पिछले वर्षों से सुनते आ रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आर्थिक सर्वेक्षण, पांचवीं योजना का प्रारूप और यह बजट क्या एक दूसरे के सम्पूरक हैं अथवा एक दूसरे के परस्पर विरोधी। कोई भी देश जो योजनाओं के आधार पर चलना चाहता है उसके बजट और योजनाओं में तालमेल होना चाहिए। बजत योजना के कार्यान्वयन का शस्त्र होना चाहिए। परन्तु यहां पर दोनों में भिन्नता है।

एक तो प्रभावी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है और दूसरा ऋण नियन्त्रण है। ऋण नियन्त्रण उत्पादन के लिए नहीं, अपितु सट्टेबाजी के लिए। हम जानते हैं कि इतनी अधिक मात्रा में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण ये दोनों उपाय निष्प्रभावी हो जायेंगे। इसके परिणामस्वरूप जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा सट्टेबाजी में पूंजी लगाने वालों तथा जमाखोरों को 12 से 15 प्रतिशत ब्याज पर अधिक धन बैंकों से मिलने लगेगा जबकि 25 से 27 प्रतिशत मूल्य एक वर्ष में ही बढ़ गये हैं। यह बात आर्थिक समीक्षा में स्वीकार की गई है। मेरा कहना यह है कि ये वायदे के सौदों पर नियन्त्रण करने वाला नहीं, अपितु

हमें बढ़ाने वाला उपाय है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके राजनीतिक परिणामों पर ध्यान दें। यदि सरकार बढ़ते हुए मूल्यों के प्रभावों से सबक नहीं लेती है, तो वह देश को अराजकता की ओर ले जा रही है।

संक्षेप में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि शेयर सार्टिफिकेट जमा कराये बिना शेयरों की खरीद तथा बिक्री को दांडिक अपराध मान लिया जाना चाहिए और इसे इसी रूप में लागू किया जाना चाहिए चूंकि काले धन का यही एक बड़ा साधन है।

दूसरे, सरकार को समस्त नगरीय भूमि को मालिक द्वारा दी गई कीमत पर अर्जित कर लेना चाहिये। इस प्रकार काले धन को बढ़ने से बचाया जा सकता है।

तीसरे, बड़े करदाताओं की ओर बकाया करके सम्बन्ध में क्या हम यह समझ लें कि इसे छोड़ दिया गया है। उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। हम इन वसूल न की गयी कर की बाकाया राशियों, विशेषकर बड़े करदाताओं की ओर कर की बकाया राशियों की मात्रा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम इन्हें वसूल करने हेतु अभियान क्यों नहीं चला रहे हैं ?

चौथे, मैं बड़े किसानों की कृषि सम्पति—कृषि आय पर कर लगाने के बारे में कहना चाहता हूं, जिन्हें आर्थिक सहायता जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। इन पर कर अवश्य ही लगाया जाना चाहिए।

मेरा पांचवां सुझाव यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की ही नहीं, अपितु सरकारी क्षेत्र में भी प्रबन्धकों, प्रशासकों तथा अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त बहुत मात्रा में परिलब्धियां दी जा रही हैं। इन्हें कम किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सरकार को कपड़ा, चीनी, वनस्पति, खाद्य तेलों आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। जब तक सरकार उन्हें अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक उनके भंडार सरकार के नियंत्रण में नहीं आ सकते और किसी प्रकार के नियंत्रण तथा मूल्य निर्धारण इस संबंध में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते।

मैं प्रतिवर्ष इस बात को दोहराता हूं कि विदेशी ऋणों की अदायगी को स्थगित कर दिया जाये। क्या यह कहना अपराध है कि हम आपको ऋण बाद में वापस करेंगे और हम पांच वर्षों में इसका भुगतान नहीं कर सकते ?

प्रतिवर्ष हम यह आशा करते रहे हैं कि 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया जायेगा। यदि आप दस रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण अवश्य कर दिया जाना चाहिये।

विदेश व्यापार में भ्रष्टाचार के कारण हमें करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। सरकार को चाहिये कि वह कम से कम पटसन, चाय आदि के निर्यात को अपने हाथ में ले ले। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि हम अधिक रक्षा बजट के लिये धन की बचत नहीं कर सकते। यदि सोच समझ कर व्यय किया जाये, तो 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक की बचत की जा सकती है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने आर्थिक समीक्षा में कहा है कि उचित तथा बेहतर औद्योगिक संबंधों के बिना सरकारी क्षेत्र के एककों के उत्पादन को तथा लाभ को नहीं बढ़ाया जा सकता । औद्योगिक संबंधों को लोकतांत्रिक आधार पर स्वस्थ बनाने हेतु विधान क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि सरकार अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करना चाहती है तो वह तत्संबंधी विधेयक को शीघ्र पास क्यों नहीं करती है ?

इन सुझावों के साथ मैं वर्तमान रूप से पेश किये गये इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । पिछले बजटों की तुलना में यह बजट अच्छी प्रकार सोच विचार कर लाया गया है ।

हमें अपनी तुलना चीन की राजनीतिक प्रणाली से नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, चीन में समग्रवादी शासन व्यवस्था है ।

आजकल देश में सब से बड़ा एकाधिकारी स्वयं सरकारी क्षेत्र है जिसने 16,000 करोड़ रुपये अथवा लगभग 20 बिलियन डालर पूंजी निवेश किया हुआ है । इसकी तुलना में बड़े से बड़ा एकाधिकारी भी कुछ नहीं है । वर्तमान गैर-सरकारी क्षेत्र के संबंध में सब से बड़ी कमी उन्हें औद्योगिक रियायतें देना है ।

मेरा सुझाव है कि बजट मुद्रास्फीती को नियंत्रित करने और देश की अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी बनाने में कुछ सीमा तक तो सहायता कर सकता है, परन्तु केवल बजट के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती । कम से कम हरी क्रांति और हम बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का लाभ उठाने वालों से सिंचाई उपकर की वसूली अवश्य की जानी चाहिये ।

फिर हमें उपभोक्ता अधिशेष का मूल्य अवश्य लेना है, विशेषकर कि सरकारी क्षेत्र से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का, चाहे वह बिजली, पोस्ट कार्ड अथवा दिल्ली दुग्ध केंद्र का घी ही क्यों न हो ।

बजट के संसाधनों में वृद्धि करने का दूसरा तरीका विभिन्न उत्पादों के मूल्य फिर से निर्धारित करना है । बहुत से सरकारी उपक्रम उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं जिसके लिये पहले ही अनेक सुझाव दिये जा चुके हैं । मैं समझता हूं कि देश की विदेश नीति सदा उसकी आंतरिक नीति के अनुकूल होनी चाहिये । मैंने पिछले वर्ष एशियाई सामूहिक सुरक्षा के बारे में पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था ।

मैं अब आंतरिक नीति के बारे में कहूंगा जिसका हमारे वित्त तथा अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव है । गुजरात का संघर्ष गरीबों का संघर्ष नहीं था । इस संघर्ष को चलाने वाले धनवान लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ जैसी फासिस्ट शक्तियां थीं जो गुमराह हुये लोग हैं । ये लोग उस दल के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया है । ये लोग इसे जाति संघर्ष का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं (**व्यवधान**) मैं यह इस लिये कह रहा हूं कि यदि हम इस देश के आवश्यक ढांचे को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करते हैं, यदि हम इसमें गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं (**व्यवधान**) प्रो० मावलंकर जी, आपकी भी बोलने की बारी आयेगी, तब आप इसका खंडन कर सकते हैं ।

मैं महसूस करता हूं कि हमें अपनी गुट निरपेक्षता की नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिये, ताकि इसे इस वर्ष में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, अधिक लचीला बनाने के लिये अधिक अर्थ पूर्ण बनाया जा सके और अनावश्यक रूप से हमें कट्टरता के सिद्धांतों का ही अनुसरण नहीं करते रहना चाहिये ।

मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा पेश किये बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : एक बात स्पष्ट है कि सभी समाचार पत्रों द्वारा इस बजट की प्रशंसा तथा स्वागत किया गया है । यहां की गयी आलोचना संगत नहीं है । बजट प्रस्तावों के द्वारा जन साधारण तथा मध्यम वर्ग के लोगों को राहत दी गयी है, जिन पर मूल्य वृद्धि का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा है । अप्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क उन मदों पर लगाये गये हैं जिनका उपयोग जन साधारण द्वारा नहीं किया जाता । छूट सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया गया है और इससे भी मध्य वर्गों को कुछ राहत मिली है, यद्यपि यह काफी नहीं है । अतः, मेरे विचार में ये कराधान प्रस्ताव उत्पादनोमुक्त तथा बचतोन्मुख हैं और मैं इनके लिये वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं ।

गत कुछ वर्षों से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर दबाव पड़ता चला आ रहा है । गत वर्ष मूल्यों में 14 प्रतिशत की तथा इस वर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मेरे विचार में मूल्यों के बढ़ने का एक मुख्य कारण विमुद्रीकरण की अफवाह है । ऐसा सरकार के लिये कठिनाई पैदा करने के लिये किया गया है । छोटे किसानों ने सोचा कि यदि वे अपने उत्पादों को बेच कर रुपया रखते हैं, तो विमुद्रीकरण हो जाने पर उन्हें हानि होगी । जब वित्त मंत्री को इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात का खंडन किया । परन्तु, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । कुछ समय के पश्चात्, यह अफवाह पुनः फैली । हमारी अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिये यह षडयंत्र रचा गया । यदि संभव हो, तो सरकार को ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये । उसे चाहिये कि वह इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराये ।

लोग यह पूछ रहे हैं कि अधिक आय वालों के लिये कर की दर 97.75 प्रतिशत से घटाकर 77 प्रतिशत करके राहत क्यों दी गयी है । वित्त मंत्री महोदय ने कुछ आय-वर्गों को कर की दर में कमी करके कुछ राहत दी है । ऐसा उन्होंने इस आशा से किया है कि इससे करापवंचन कम होगा और लोग ईमानदारी के साथ आयकर का भुगतान करेंगे । इसके साथ ही, वित्त मंत्री महोदय ने ऊंची आय वालों को जो कुछ राहत एक हाथ से दी है, उसे दूसरे हाथ से ले लिया है । उन्होंने धन कर को 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है । इसका अर्थ यह हुआ कि उनसे सरकार को 10 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी ।

वांचू समिति ने छूट की सीमा को 7,500 रुपये रखने का सुझाव दिया था । गत वर्ष अधिकांश माननीय सदस्यों ने इसे मान लेने के लिये वित्त मंत्री महोदय से कहा था और उनसे अनुरोध भी किया था कि बढ़ते मूल्यों को देखते हुये इस छूट सीमा को 7,500 रुपये कर दिया जाय । माननीय वित्त मंत्री इस पर पुनः विचार करें और छूट सीमा को 7,500 रुपये तक बढ़ा दें । इससे आयकर देने वालों की संख्या बहुत ही कम हो जायेगी और तब

आयकर अधिकारी बकाया राशियों की वसूली आदि की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है ।

वित्त मंत्री ने बायलर के संबंध में कुछ छूट दी है जो भट्टी तेल की बचत करने के लिये कोयले का उपयोग कर रहे हैं । कोयले के बायलरों को दिया गया समय अपर्याप्त है । बायलरों का उत्पादन सीमित रूप से होता है । अतः, समय सीमा को बढ़ा दिया जाना चाहिये, ताकि तेल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके ।

विकास छूट देने के परिणामस्वरूप ही देश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है । यह एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और यह बहुत लाभकारी भी है । मैं वित्त मंत्री महोदय से विकास छूट के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये प्रार्थना करता हूं ।

सरकारी प्रतिभूतियों, बैंक जमा राशियों अथवा अच्छी कम्पनियों के शेयरों में रुपया लगाने वाले व्यक्ति को ब्याज अथवा लाभांश पर 3,000 रुपये तक की छूट दी जाती है । इस सीमा को बढ़ा कर 5,000 रुपये कर दिया जाना चाहिये, ताकि हमें अधिक धन मिल सके और हम सभी क्षेत्रों अर्थात् सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पांचवीं योजना के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकें ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि गैर-योजना व्यय में कोई बचत नहीं की गयी है। कार्य कुशलता और अनुशासन कम होता जा रहा है । इसे रोका जाना चाहिये। सरकारी उपक्रमों में कठोर अनुशासन लागू किया जाना चाहिये । हमें पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र से 6,000 करोड़ रुपये के मिलने की आशा है । जब तक प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है ? अतः, मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र में कठोर अनुशासन लागू किया जाना चाहिये और वहां अधिक योग्य व्यक्तियों को प्रभारी बनाया जाना चाहिये ताकि प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके ।

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : मैं 1974–75 के सामान्य बजट के संबंध में इस सभा के सामने द्राविड़ मुन्नेत्र कज़गम की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन में अनिवार्य रूप से अत्यधिक वृद्धि की जानी चाहिये, ताकि बढ़ते मूल्यों और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। उत्पादन बढ़ने से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी आयेगी तथा मुद्रास्फीती पर भी नियंत्रण हो जायेगा । मुझे इस बात में संदेह है कि देश में करापवंचन की प्रवृत्ति ने इस देश में अपने जड़ें काफी गहरी कर ली हैं अथवा सरकार की कर लगाने की शक्ति बढ़ गयी है ।

मुझे खेद है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय सकार केवल गरीब लोगों से ही कर वसूल करना चाहती है । यदि यही स्थिति और सरकार की यही कराधान नीति बनी रही, तो कुछ समय के पश्चात् गरीबी दूर होने की बजाय गरीब लोगों का लोप हो सकता है । जहां देश के गरीब लोगों को वर्णातीत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, वहां ऐसा लगता है कि हमारे देश में चोर बाजारी करने वाले, करापवंचक और तस्कर लोग केंद्रीय सरकार के समर्थन से फल फूल रहे हैं ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का शक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

डाक, तार, टेलीफोन संबंधी शुल्कों को बढ़ा कर तथा बीड़ी, सिगरेट, टूथ पेस्ट, बच्चों की मिठाई, काफी आदि पर कर को बढ़ा कर सरकार को 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । इतना अधिक कराधान करने के बावजूद, 125 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा । इस कमी को दूर करने के लिये सरकार दो सर्वविदित तरीकों को अपनाती रही है । इनमें से एक तरीका है लोगों से ऋण लेना तथा दूसरा हैं मुद्रा नोटों का छापना ।

यह घाटा 125 करोड़ रुपये की राशि तक तो सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि, यदि गतवर्ष का उदाहरण ही देखें तो गत वर्ष अनुमानित घाटा 300 करोड़ का था परन्तु यह बढ़कर 1,000 करोड़ तक पहुंच गया ।

मुद्रास्फीती रोकने के लिये प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी, 1974 को प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में व्यय कम करने की बात कही है । केंद्रीय सरकार बचत किस प्रकार कर रही है ? राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में कटौती की जाती है, रोजगार योजनाओं के व्यय को कम किया जा रहा है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक कार्य आरम्भ न करके बचत की जा रही है । खेद की बात है कि यह नहीं बताया गया कि अथक प्रयत्न करके आयकर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई । सार्वजनिक उपक्रमों के लाभात्मक ढंग से कार्य करने के लिये कदम उठाने की बात भी नहीं कही गई है । सरकार नोट छाप कर मुद्रा-स्फीती समाप्त करना चाहती है ?

मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीती की ही देन है । मुद्रा प्रसार बढ़ाने से मुद्रास्फीती बढ़ती है । केवल 1973 में ही मुद्रा प्रसार में 15.8 प्रतिशत वृद्धि हुई । मुद्रास्फीती और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये उत्पादन बढ़ाना चाहिये । हमारे देश में विपरीत बातें होती हैं, उत्पादन बढ़ने पर भी मूल्य कम नहीं होते । 1969–70 तथा 1970–71 में अनाज का उत्पादन बढ़ा परन्तु मूल्यों में भी प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि हुई । खरीफ की फसल अच्छी होने पर भी दिसम्बर 1973 में मूल्यों में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई । यदि दुर्भाग्य से आगामी खरीफ की फसल अच्छी न हुई तो देश में आर्थिक संकट आ जायेगा ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक के क्या विचार हैं ? विश्व बैंक का विचार है कि इन्दिरा गांधी का प्रशासन लोगों को अपने देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति न बता कर गलती कर रहा है । आगामी पांच वर्षों में 2 करोड़ मीटरी टन अनाज का प्रतिवर्ष आयात करना पड़ेगा । कृषि उत्पादन बनाये रखने के लिये सरकार को उर्वरकों का आयात बहुत अधिक मूल्य देकर करना पड़ेगा । अन्यथा अनाज के उत्पादन में कमी आ जायेगी । वर्तमान मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिये भी सरकार को अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी । योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिये 500 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । विश्व बैंक के विचार से यह आवश्यकता 1,200 करोड़ डालर से भी अधिक होगी । सरकार इतनी विदेशी मुद्रा किस प्रकार जुटा पायेगी ?

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों तथा वांचू आयोग ने देश में 600 करोड़ रूपये की राशि का कर अपवंचन बताया है । वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि करों की बकाया राशि 738 करोड़ है, यदि सरकार इस बकाया राशि का कुछ भाग वसूल करने का भी प्रयत्न करती तो उसे 1974–75 में गरीबों पर कर न लगाने पड़ते । वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक

परामर्शदाता ने बताया है कि प्रस्तावित कराधान से श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में 0.5 प्रतिशत वृद्धि होगी । गत वर्ष क्या हुआ ? गत वर्ष उन्होंने 0.4 प्रतिशत वृद्धि की बात कही थी परन्तु सूचकांक में 19 से 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । वित्त मंत्रालय को ऐसे उच्चाधिकारियों ऐसे गलत विचार व्यक्त नहीं करने चाहियें । वित्त मंत्री ने सिगरेट, बीड़ी, हुक्का तम्बाकू तथा धोती आदि के मूल्य बढ़ने से जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि की बात तो कही है परन्तु मिट्टी के तेल, तीसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि, भाड़ में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप कोयले के मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि होगी और कोयले की खपत करने वाले उद्योगों के उत्पादनों के मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि होगी आदि बातों को भुला दिया गया है । क्या इससे औद्योगिक श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि नहीं होगी ?

द्रुमुक सरकार ने अपने 1974–75 के बजट में निर्धनों, मजदूरों तथा मध्यवर्ग के लिये क्या किया है । सरकार ने यहां बिक्री कर से छूट की सीमा में वृद्धि की है । इससे छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों को लाभ होगा । ईंधन, चारा आदि को कराधान से पूर्णतया छोड़ दिया गया है ।

केंद्रीय बजट धनी वर्ग का पोषक बजट है । समाजवादी बजट की मूल बात यह है कि कर उन लोगों पर लगाया जाये जो इसका भार वहन कर सकें । साधारण लोगों पर कराधान का भार नहीं लादा जाना चाहिये । 1974–75 के बजट में बड़े लोगों पर आयकर के स्तर को 97.5 प्रतिशत से कम करके 77 प्रतिशत किया गया है । मंत्री महोदय कह सकते हैं कि आयकर छूट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 6,000/- कर दी गई है । परन्तु इस से उस व्यक्ति को जिसे 5 लाख की आय है 83,447 रुपये का लाभ होगा जबकि 12,500 रुपये की आय वाले व्यक्ति को 77 रुपये का । रुपये के मूल्य में 75 प्रतिशत ह्रास हुआ है परन्तु प्रत्यक्ष कर का भार 60 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष कर 75 प्रतिशत बढ़ा है । क्या इस प्रणाली से केंद्रीय सरकार गरीबी दूर कर सकेगी ? लोगों की क्रम शक्ति क्षीण होती जा रही है और करों का भार बढ़ता जा रहा है ।

आयकर छूट की सीमा 10,000 रुपये की जानी चाहिये । जिन फर्मों पर 1 लाख रुपये की कर की राशि बकाया है उनकी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की जानी चाहिये । तभी सरकार आयकर की बकाया राशि को वसूल करने में समर्थ हो सकेगी ।

प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आये दिन यह बात कहते हैं कि देश से काला धन समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे । परन्तु अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है । केंद्रीय सरकार न तो स्वयं ऐसा कार्य करेगी और न राज्य सरकारों को ऐसा करने के निर्देश देगी ।

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों से बड़ी निराशा हुई है । जिन राज्यों ने समाज सेवा कार्यों पर कम व्यय किया है उन्हें पिछड़े राज्य घोषित किया गया है और उन्हें अधिक सहायता दी जाती है । तमिलनाडु को सहायता राशि से वंचित रखा जाता है और इसके लिये यह कारण बताया जाता है कि तमिलनाडु ने सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति की है । ऐसा करना उचित नहीं है ।

ऐसा ही तर्क देते हुए योजना आयोग ने तमिलनाडु के लिये कोई विकास योजना नहीं बनाई है । तनिलनाडु सरकार का अपना योजना आयोग है । तमिलनाडु ने अपनी पांचवीं योजना के लिये 1,532 करोड़ रुपये की राशि पूंजी निवेश के लिये निर्धारित की है। तमिलनाडु की योजना में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिये और राज्य को उदारतापूर्वक केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिये ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ है, को तुरन्त बदल दिया जाना चाहिये । कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 15 दिसम्बर, 1973 को ऐसी ही मांग की थी । इसके साथ ही सोने की तस्करी रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

यह एक बड़ी गलत धारणा है कि राज्य स्वायत्तता का अर्थ पृथकत्व है । कमजोर राज्यों से केंद्र कमजोर पड़ता है अतः राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें । आय के सभी साधन केंद्र के हाथों में हैं। एक ओर कहा जाता है कि लोगों के कल्याण का दायित्वों राज्यों पर है दूसरी ओर उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते । इसीलिये तमिलनाडु सरकार अधिक शक्तियों की मांग कर रही है ।

राज्य सरकार ने संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर नया जीवन प्रदान किया है । 10,000 कर्मचारियों को रोजगार मिला है । बताया जाता है केंद्रीय सरकार इन मिलों का राष्ट्रीकरण करना चाहती है । यदि ऐसा किया जाये तो मिलों पर नियंत्रण तथा इनका स्वामित्व राज्य का रहना चाहिये । राज्य सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सरकार की अनुमति मांगी है । ये परियोजनायें राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होंगी । केंद्रीय सरकार को इन परियोजनाओं की तुरन्त मंजूरी दे देनी चाहिये ।

हमारे प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें 1,60,000 भारतीयों को 1979 तक भारत लौटने का निर्णय किया गया है । यह मामला तमिलनाडु की अर्थ-व्यवस्था से संबद्ध है । इतने बड़े मामले में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से भी परामर्श किया जाना चाहिये था । इन लोगों के पुनर्वास के लिये उदार सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि यह मामला केवल तामिलनंाडु का तो नहीं है ।

पोस्टकार्डों के मूल्य नहीं बढ़ाये जाने चाहियें । वे सभी कर वापस लिये जाने चाहियें जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि होगी । हमें आशा थी कि ऐसे समय जब देश पर आर्थिक संकट है वित्त मंत्री एक क्रांतिकारी बजट पेश करेंगे जिसस देश के आर्थिक ढांचें का पुनर्गठन होगा। परन्तु इस बजट से साधारण व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिलीं है । इस बजट में अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब होगा । हमारे महान नेता श्री अन्ना ने कहा था कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और कांग्रेस के समाजवाद से मुंह में मिठास नहीं आ सकती । मैं इस बजट के उपबन्धों का विरोध करता हूं ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : समाप्त होने जा रहा यह वर्ष संभवतया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सबसे बुरा वर्ष रहा है । इस वर्ष में औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई यद्यपि खरीफ की फसल अच्छी हुई थी । विदेश व्यापार में भी अशोधित तेल के मूल्यों में 300 प्रतिशत वृद्धि हो जाने से बड़े गम्भीर परिवर्तन आये

हैं । ऐसी गंभीर परिस्थिति में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह सभी समस्याओं का सामना करता है । वित्त मंत्री ने जो समाधान निकाले हैं उनसे देश आर्थिक संकट से मुक्त हो सकेगा ।

नया वित्तीय वर्ष पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। अतः मंत्री महोदय ने उचित ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों तथा कृषि में पूंजी निवेश पर बल दिया है जिससे देश का औद्योगिक विकास होगा और कृषि अर्थव्यवस्था सुधरेगी ।

बजट में विद्युत उत्पादन के लिये 121 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । विद्युत उत्पादन देश के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । अतः इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश की व्यवस्था करके बहुत अच्छा किया गया है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिये बहुत आवश्यक है । इसके लिये 40 करोड़ की राशि का नियतन करके ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दिया गया है । कोयला संसाधनों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है । इस कार्य के लिए 97 करोड़ रुपये की राशी की व्यवस्था की गई है । तेल के संकट के वर्तमान समय में ऐसा करना अत्यावश्यक था ।

देश के आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए इस्पात उत्पादन के लिये 162 करोड़ अलौह धातुओं के उत्पादन के लिये 56 करोड़, रेलवे के विकास के लिये 342 करोड़, उर्वरकों के उत्पादन के लिये 163 करोड़ तथा कृषि कार्यक्रमों के लिये 246 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । थोड़े से समय में उत्पादन वृद्धि उपलब्ध करने के उद्देश्य से बजट बनाया गया है ।

देश में निरन्तर दो वर्ष से सूखा की स्थिति, विश्व पर्यन्त मूल्य वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में ह्रास, घाटे की अर्थव्यवस्था आदि से मूल्यों में वृद्धि हुई है । सरकार को अपनी आर्थिक नीति में मूल्य स्थिरता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं । गत छः महीनों में सार्वजनिक व्यय में 360 करोड़ रुपये की बचत की है । बैंकों के ऋण विस्तार पर रोक लगायी है । तीसरे, घाटे की अर्थव्यवस्था में कमी की है ।

अनुत्पादक कार्यों पर व्यय में और कमी की जानी चाहिये । सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक उपक्रमों में समयोपरि मत्ते की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है । इंडियन एयरलाइन्स का मामला हमारे समाने है । घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाना चाहिये और यदि संभव हो जैसा कि योजना आयोग ने सुझाव दिया है तो इसे पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये । सरकार को बाजार से रुपया उधार लेना चाहिये, यदि आवश्यक हो, तो इस पर ब्याज की दर भी बढ़ाई जा सकती है । इन उपायों के साथ बड़े नोटों के विमुद्रीकरण की बात पर पुनर्विचार करना चाहिये इससे मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता मिलेगी ।

करों की दरें युक्तिसंगत बनायी जानी चाहिये । यदि इससे करअपवंचन, काला धन कम हो और सरकार की आय बढ़ सके तो यह कार्यवाही सफल सिद्ध होगी । अप्रत्यक्ष करों के संबंध में धनी वर्ग पर ही इनका भार अधिक पड़ेगा । वित्त मंत्री को पोस्टकार्ड का मूल्य बढ़ाने की बात पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The Finance Minister of a country has to undertake a difficult task of handling the economy of the nation. Opposition parties have criticised the budget provisions but no opposition party has made any concrete suggestion regarding strengthening the economy of the country. It is not the duty of the Government alone to make the nation's economy strong. Country's economic conditions can be improved only with the co-operation of all. Despite making efforts to strengthen the economy, opposition parties are preoccupied in instigating strikes in public and private undertakings and thereby hampering production. Unless our production increase, prices can not be lowered down. The Capitalists and Certain Political parties have joined hands to put the country's economy out of gear.

The people should get essential commodities like Vanaspati, Cement, Sugar and Controlled cloth. The Government should ensure proper distribution of these commodities. The Government should take steps to see that there is no black marketing by the wholesaler.

Opposition parties are responsible for the food shortage and improper supply of foodgrains. On one hand these parties instigated the farmers not to sell their produce at the procurement rate fixed by the Government and on the other hand they arranged strikes and demanded the supply of foodgrains at cheaper rates to the people. I have already said that it is not the Government alone who may strengthen the economy of the nation. This requires co-operation from all parties and the people.

The Finance Minister has said that the backward areas will be developed to remove regional imbalances. Those who are given licences do not set up industries in rural areas. It should be made incumbent on those who are given licences to set up industries in rural areas.

The Government, after nationalization of banks, had declared that the nationalized banks will extend assistance to small farmers. But small farmers are not being given any help. The Hon. Minister should issue instructions to the banks to extend help to the small farmers and small intrepreneurs who want to establish their industries in rural areas.

Due to shortage of power there is great set back in our production. It is stated that due to failure of rains our dams could not get sufficient water for generation of electricity. Thermal power stations may be set-up in the areas where coal is found in abundance. It would give relief to transport problem and enable our economic position to improve.

In Uttar Pradesh sugar is distributed in the cities at the rate of one kilo per head per month while in the villages the equantum is just the half. It should be issued at uniform rates of one kilo per head per month. The distribution of sugar shoud not be done through individuals but through village panchayats or co-operatives.

The machinery for the collection of taxes is defective. It should be made effective to check up tax evasions and to recover the arrears of taxes. More incentives be given to those who save money.

*राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी

*Re, Shortage of Kerosene oils in States

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : देश में मिट्टी के तेल की कमी है या नहीं यह तो मुझे ज्ञात नहीं परन्तु यह उचित मूल्य पर मिलता नहीं है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को विशेषकर तथा तेल पर आधारित उद्योगों को हानि हो रही है ।

*आध घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

मिट्टी के तेल के मूल्य बढ़ाने का एक कारण यह दिया गया था कि इससे डीजल के उत्पादन में वृद्धि होगी परन्तु आकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है ।

जनवरी, 1974 में 15 प्रतिशत की, फरवरी 1974 में 20 प्रतिशत की कटौती की गयी। 1973 में भी तीन बार 10, 25 तथा 10 प्रतिशत की कटौतियां की गई थी।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का आवंटन मई 1973 में 20,448 टन था जो निर्वाचनों तक 58000 मि० टन हो गया । कटौतियों के बाद भी देय कोटे नहीं दिये गये ।

श्री एस० एम० बनर्जी के आतारांकित प्रश्न के उत्तर में 13 नवम्बर 1973 को बताया गया था कि देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता उसकी खपत को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो तेल 4 रुपये प्रति लिटर बिक रहा है ।

25 फरवरी, 1974 को तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि तेल के वास्तविक भंडार तथा उसकी खपत के आंकड़े देना जनहित में नहीं है ।

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन आंकड़ों को गुप्त रखने में क्या लाभ है ?

हमारे देश में मिट्टी के तेल का मूल्य सब देशों से अधिक है । पिछले वर्ष दो बार 15, और 18 पैसे की वृद्धि की गई ।

यदि आप गरीब लोगों की कठिनाइयों को दूर नहीं करते तो बहतर यह होगा कि आप त्याग पत्र दे दें ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सरकार ने सभी राज्यों को तेल के समान वितरण के लिये कहा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो राज्य ऐसा नहीं करते। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : जनवरी में मिट्टी के तेल के आवंटन में 15 प्रतिशत फरवरी, में 20 प्रतिशत तथा मार्च में कथित 15 प्रतिशत कटौती की गई ।

मार्च 1974 से तेल के मूल्य में 15 पैसे प्रति लिटर और वृद्धि कर दी गई है ।

राज्यों को माल डिब्बों की कमी के कारण आवंटित तेल का केवल 25 प्रतिशत ही मिल पाता है । रेल मंत्री इस ओर ध्यान दें ।

रेल बजट में भाड़ा वृद्धि से भी मिट्टी के तेल के मूल्य बढ़ेंगे । क्या रेल मंत्री तेल की इस भाड़ा वृद्धि से मुक्त करेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The poor people of Bihar and those of Delhi have to take their meals in the dark due to scarcity of kerosene oil, which is not available in the villages even at the rate of 99 paise per bottle.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांत ।

*Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

What action the State Governments have taken under essential commodities Act of 1955, against the profiteers ? What is the increase of production of diesel and furnace oil with the reduction in the production of kerosene oil? What action the Government has taken to ensure the proper supply of Diesel oil to the farmers.

Shri M. C. Daga (Pali) : Has the Government given more kerosene to non-electrified areas? What process the Government has adapted to spupply kerosene to small scale industries?

How many persons have so far been arrested under essential commodities Act and what action has been taken against such people?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कांत बरुआ) : यह सच है कि देश में पैट्रोल उत्पादों की सैप्लाई में कमी हुई है । इसका कारण खनिज तेल में कमी है । बर्मा शैल और कलटैक्स की सप्लाई में 15 प्रतिशत की कमी हुई है ।

हम रूस से 5 लाख टन से कुछ अधिक मिट्टी का तेल मंगवाते थे । इस बार उन्होंने 10 लाख टन दिया है । परन्तु उनके बन्दरगाहों में बर्फ़ जमने के कारण रुस से तेल लाने में कठिनाई हो जाती हैं ।

डीजल की मांग कुछ मौसमों में खेती के उपयोगों के लिये अधिक हो जाती है । इसी लिये डीजल का उत्पादन बढ़ा दिया गया । बिजली की कमी के कारण भी डीजल की मांग बढ़ गई है । पंजाब में फरवरी, 73 में 24211 किलो लीटर के स्थान पर फरवरी, 74 में 33215 किलो लिटर डीजल दिया गया । हरियाणा में उसी अवधि में 11719 के स्थान पर 12673 किलो लीटर दिया गया । उत्तर प्रदेश में 21090 के स्थान पर 30139 किलो लिटर डीजल भेजा गया । इस देश में मिट्टी के तेल और डीजल को परस्पर बदला जा सकता है । इसीलिये उन दोनों के मूल्य को समान कर दिया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मांगा गया मूल्य दे दिया जाता है तो कोई कमी नहीं है ।

श्री देवकांत बरुआ : वास्तविकता यह है कि पैसे वाले लोग माल ले कर जमा कर लेते हैं । इस प्रवृत्ति को रोकना सरकार का और जनता का काम है ।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की सप्लाई के आंकड़े, जनवरी के 26743, फरवरी 20812 और मार्च के 21875 लिटर थे । अर्थात निर्वाचन के दिनों में सप्लाई कम गई हो थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अपने आंकड़े के संबंध में मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है ।

श्री देवकांत बरुआ : यदि वे अपने आंकड़े देते हैं तो मैं उनकी जांच करवाऊंगा और यदि सही निकले तो इन्हें स्वीकार कर लूंगा ।

जहां तक मूल्य का प्रश्न है खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि का इस पर प्रभाव पड़ा है। शांति लाल शाह समिति ने कहा था कि प्रति बैरल 10 सैंट की वृद्धि से 44 प्रतिशत की वृद्धि होगी । यह मान लिया गया है । अब हम 111/2 डालर की दर से खरीद रहें हैं । अपना खनिज तेल इसमें मिला कर 8 डालर नियत की है । सामान्यतः वृद्धि 45 पैसे की करनी पड़ती परन्तु मिट्टी के तेल में वृद्धि 15 पैसे ही की गई है ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है । हमने राज्यों को उचित वितरण करने तथा जमाखोरों को दंडित करने के लिये कहा है ।

श्री था० किरुतिनन (शिवगंज) : मंत्री महोदय ने कहा है कि वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है । क्या राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाती है ।

श्री बी० वी० नायक : यदि आप समझते हैं कि यह मामला राज्यों से संबंधित है तो इस विषय पर यहां चर्चा ही क्यों की जाती है । हम समझते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है ।

श्री बी० वी० नायक : चूंकि भारत राज्यों का संघ है इसलिये यहां के लोगों की आवश्यकतायें एक हैं ।

श्री डी० के० बरुआ : हमारे संविधान के अन्तर्गत इन उत्पादों का वितरण और अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । हम बिना किसी भेद-भाव के राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में सहयोग करते हैं चाहे तमिलनाडु हो अथवा पश्चिम बंगाल हो । यदि तेल की कमी किसी भी राज्य में होती है । तो इसका मतलब यह है कि वहां भारतीय नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है ।

श्री ज्योतर्मय बसु : आपने जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ।

श्री डी० के० बरुआ : आंध्र प्रदेश से मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के मामले उपलब्ध नहीं है परन्तु उन्होंने लिखा है कि लाइसेंसों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस अधिकारी अपेक्षित कार्यवाही कर रहे हैं । आसाम ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है । अरुणाचल प्रदेश से चोर बाजारी के कोई समाचार नहीं मिले हैं, बिहार में चोर बाजारी के सात मामलों का पता लगा है जिनमें से तीन के लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है तथा शेष मामले विचाराधीन हैं । चंडीगढ़ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । दिल्ली में मिट्टी के तेल की चोरबाजारी के 41 मामलों का पता लगा है जिनमें से दो व्यापारियों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया है । गुजरात में ऐसे 13 मामलों का पता लगा है जिनमें से चार मामलों पर न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है और नौ मामलों में पुलिस जांच कर रही है, हरियाणा में चोर बाजारी के दो मामलों का पता लगा है । मेरे पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मिजोराम, मेघालय तथा मनीपुर की कोई रिपोर्ट नहीं है । महाराष्ट्र में चोरबाजारी के 76 मामलों का पता लगा है । उड़ीसा में 18 मामलों का पता लगा है जिनमें से एक व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तथा दो के लाइसेंसों को रोक दिया गया है । पांडिचेरी से चोर बाजारी का कोई मामला नहीं आया है । पंजाब में गत छह महीनों के दौरान चोर बाजारी के 25 मामलों का पता लगा है । दो मामलों में लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, 11 मामलों को पुलिस में जांच के लिये दर्ज करा दिया गया है, 12 मामलों में या तो जमानतें जब्त कर ली गई हैं अथवा लाइसेंसों को अस्थाई तौर पर रद्द कर दिया गया है, राजस्थान में 15 मामलों का पता लगा है और तीन मामलों में जमानतें जब्त कर ली गई थी, तीन लाइसेंसों को रोक दिया गया था और नौ मामले विचाराधीन हैं, तमिलनाडु में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के 23 मामलों का पता लगा है जिसमें एक मामले में लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, सात मामलों पर न्यायालयों में कार्यवाही चल रही है । आठ मामलों में सजा दी गई है । तीन मामलों में कलेक्टरों द्वारा कार्यवाही बंद कर दी गई है । चार मामले कलेक्टरों के विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी का कोई मामला नहीं हुआ है, यहां कलेक्टरों को यह आदेश दिया गया था कि मिट्टी के तेल का वितरण नियमित किया जाये और दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में चोर बाजारी का कोई मामला नहीं हुआ है । खुदरा व्यापारियों द्वारा यदि इस मद की चोर बाजारी की गई है तो उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

त्रिपुरा में आठ मामलों का पता लगा है जिनमें से एक व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और शेष मामलों में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है, कर्नाटक में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी के 46 मामलों का पता लगा है जिसमें से एक व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और शेष मामलों पर कार्यवाही की जा रही है । गोवा, दमन तथा दीव में मिट्टी का तेल निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने के एक मामले का पता लगा है । यह मामला जिला मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है ।

हमें ये रिपोर्टें प्राप्त हुई है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उन्हें समय समय पर सभा पटल पर रखा जायेगा ।

मिट्टी के तेल की समस्या समय-समय पर भिन्न भिन्न रुप में सामने आती है । आज मिट्टी के तेल का प्रयोग केवल रोशनी करने के लिये नहीं किया जाता है अपितु यह खाना बनाने के लिये भी प्रयोग किया जाता है । चूंकि मिट्टी के तेल का प्रयोग शहर में अधिक होने लगा है इसलिये गांवों में इसकी कठिनाई अधिक महसूस की जा रही है । यह स्थिति तभी दूर हो सकती है जब शहरी क्षेत्रों को अधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध किया जाये, यह एक बहुत बड़ी समस्या है । चूंकि मिट्टी के तेल की मांग शहरों में बढ़ रही है इसलिये मैं इस बारे में गारंटी नहीं दे सकता । यदि हम आम आदमी को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमें शहरी क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये ईंधन का वैकल्पिक साधन ढूंढना पड़ेगा ।

तत्पश्चात लोक सभा वीरवार 14 मार्च 1974 के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 14th March, 1974.

———

119L SS—74—490—9-9-74—GIPF.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]